राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का २५वां दिवस [संख्या १८

बृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, गृह, आयुर्वेद, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि एवं पंचायत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भीमसेन।

भाखरा परियोजना क्षेत्रान्तर्गत घोषित असिंचित भूमि

५४७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि भाखरा परियोजना क्षेत्रान्तर्गत करीब ३०,००० एकड़ भूमि को असिंचित अनकमान्डेड घोषित किया गया है ? अगर हां, तो ऐसे असिंचित घोषित किये गये क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा डिस्ट्रिब्यूटरी माइनर्स की खुदाई पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में राजस्व विभाग की ओर से नहरी जमीन की कीमतें वसूल की गई हैं ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) लगभग २२,००० एकड़ भूमि को असिंचित घोषित किया गया है। केवल ६ हजार एकड़ भूमि ऐसी है जहां नहरों की लम्बाई कम की गई है। अनुमानित खर्चा ४० हजार से ५० हजार रुपयों के बीच में है।

(ख) यह भूमि अलॉट कर दी गई थी लेकिन असिंचित घोषित करने के बाद जो अधिक कीमत वसूल हो गई है उसको ठीक करने की व्यवस्था डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन की तरफ से हो रही है।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : किन किन नहरों की लंबाई कम कर दी गई है ?

Page No.2

श्री दौलतराम सारण : कई जगह कम की है।

श्री चुन्नीलाल : कौन कौन सी नहरों की लंबाई कम कर दी गई है।

श्री दौलतराम सारण : जोगीवाला माइनर की।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : किन किन की कितनी कितनी लम्बाई कम कर दी गई है?

श्री अध्यक्ष : जोगीवाला माइनर्स की की कम कर दी गई है।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित था कि ६ लाख एकड़ भूमि को पानी मिलना था। पंजाब सरकार को इसमें दिया गया है। माइनर्स और नहरें खोद कर जनता का पैसा व्यर्थ बर्बाद क्यों किया?

श्री दौलतराम सारण : जिस जमीन को अभी असिंचित घोषित किया गया है इसके लिए दूसरे स्थानों से पानी, राजस्थान कैनाल क्षेत्र से पानी प्राप्त करके इसे सिंचित करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री भीमसेन : भाखरा के पूरे क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा है क्योंकि नहरें कम हैं और उनमें और कमी की है।

श्री दौलतराम सारण : यह नोहर और भादरा तहसील की बात है। आप सम्पूर्ण भाखरा की नहरों के बारे में कह रहे हैं, वह सही नहीं है। प्रश्न नोहर और भादरा तहसील को असिंचित घोषित किया गया है, उसके लिए है।

श्री धर्मपाल (नोहर-सु०) : जो लोग भाखरा के क्षेत्र में आ गये थे; चकबन्दी किलाबन्दी की गई, वहां लगान वसूल किया गया, वह अब भी वसूल किया जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री दौलतराम सारण : इस एरिया के लिए कह चुका हूं कि जो भूमि असिंचित घोषित की गई है, उसका लगान बन्द कर दिया गया है। यह फिर से उत्तर दे दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह....

श्री धर्मपाल : माइनर में जो कमी की गई है उसका पता नहीं है; किन किन में कितनी कितनी कमी की गई है?

श्री दौलतराम सारण : नोहर और भादरा तहसील के माइनर के टेल हैं, उसके अन्दर जो कमी की गई है वह क्षेत्र है, ६ हजार एकड़ ऐसी भूमि है जिसके अन्दर नहर की लम्बाई कम की गई है। १३ हजार एकड़ ऐसी भूमि है जहां नहरों की लम्बाई कम करने का प्रश्न नहीं है; जो चकबन्दी में अनकमान्डेड की गई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): एक ओर कहा जाता है, मंत्री महोदय ने फर्माया, जो भूमि सिंचित घोषित की गई है, अब वहां पानी नहीं मिलता है, इसलिए किसानों को, जिनकी ज़मीन के दाम ज्यादा ले लिये थे, उनका पैसा उनको लौटाया जा रहा है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि राजस्थान नहर से पानी वहां मिल जायगा, वह पैसा, जो लगा है ५० हजार रुपये, वह उपयोग

(श्री मुरलीधर व्यास)

में आ जायगा। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी मालूम होती हैं। मंत्री महोदय हमेशा कहते हैं....

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह कहा है कि जो भूमि असिंचित घोषित की गई है, उस भूमि के लिए राजस्थान नहर या अन्य किसी प्रकार पानी प्राप्त करने के लिए और सिंचित करने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। यह मैंने निवेदन किया है, जो असिंचित घोषित की गई है, उसको प्रोजेक्ट एरिया से निकाला नहीं गया है, वह प्रोजेक्ट एरिया में है ही, वहां कीमत है, वह अनकमान्डेड की कीमत नहीं लगेगी, कमान्डेड की कीमत दाखिल नहीं की जायगी। अगर कमान्डेड की कीमत ली गई है, तो जो किश्त १५ वर्ष में ली जायगी उसमें एडजस्ट कर दिया जायगा।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार को मालूम है कि वह सिंचाई क्षेत्र में आने वाली जमीन थी, उसके मुताबिक जमीन कम कर दी गई है, उसकी पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही कर सकते हैं?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि उस जमीन को सिंचाई के क्षेत्र से बाहर नही निकाला जा रहा है। उस जमीन को सिंचित किसी दूसरी स्कीम से करने की तजवीज की जा रही है।

श्री भीमसेन : २२ लाख एकड़ जमीन असिंचित कर दी गई है, वह एक गांव में नहीं है, एक ब्लॉक में नहीं है! मेरी समझ में नहीं आता, राजस्थान नहर के पानी से अलग अलग जो २२ लाख जमीन अलग कर दी गई है, उसकी सिंचाई कैसे होगी?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कैसे होगी, यह तो इन्जीनियर देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : सरकार की तरफ से कह दिया है कि पानी न मिलने की वजह से इस क्षेत्र को अनकमान्डेड घोषित किया है, उस क्षेत्र में पानी नहीं पहुँच सकता। अब यहां पानी कैसे पहुँचाया जा सकता है, इसके लिए सरकार जांच करेगी, कोशिश करेगी। यह उत्तर दे चुके हैं, फिर क्या मतलब रह जाता है, कमान्डेड से हटा दी है या नहीं हटा दी गई।

(विराम)

श्री लच्छूराम।

श्री चुन्नीलाल : जो पानी टेल पर नहीं पहुँचा, उसकी इन्जीनियरों ने सर्वे की थी, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, उन्होंने जनता का पैसा क्यों खर्च किया?

श्री दौलतराम सारण : जो स्थिति थी, वह मैं निवेदन कर चुका हूँ कि पानी की कमी की वजह से जितनी जमीन में पानी दिया जा सकता है उतनी जमीन रखी गई है, बाकी को असिंचित घोषित किया है। इसलिए इसमें दूसरी किसी कार्यवाही की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

श्री भीमसेन : जितना पानी शुरू में मिलना था, उतना मिल गया है। इसलिए यह कहना कि पानी बाद में कम मिला है गलत है।

Page No.4

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं कहा कि पानी कम दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

माइनिंग स्केन्डल केस

४७५. **श्री लच्छूराम** (मन्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि चौधरी बी. एस. जाखड़, श्री धर्मेन्द्र प्रताप, श्री अखिलेश रामस्वरूप, भानुप्रताप, श्री ओंकार लाल, श्री पाबुदानसिंह जोशी माइनिंग इंजीनियर जयपुर के भ्रष्टाचार माइनिंग स्केन्डल केस में सरकारी गवाहान हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि एस. पी. जयपुर, श्री डालचन्द कोतवाल जयपुर, श्री गोपाल लाल एस. आई., सवाईसिंह एस. आई., चन्द्रभान सक्सेना एस. आई., कोतवाली, जयपुर, ए. एस. पी. सिटी, जयपुर, सी. आई. कोतवाली जयपुर, रामस्वरूप मानक चौक जयपुर, श्री रोशनसिंह इन्चार्ज मानक चौक जयपुर, श्री महमानन्द एस. आई., श्री चन्द्रशेखर बी. जे., श्री कल्याणचन्द हैड कॉन्स्टेबल, श्री बीर बाबू हैड कान्स्टेबल थाना अशोक नगर जयपुर, श्री ओंकार लाल जोशी उक्त इंजीनियर व दीगर खनिज विभाग के अधिकारियों से मिल कर (क) में जिक्र किये हुए गवाहान को चन्द बदमाशों से मार पिटाई व उन पर डकैतियों के जुर्म में फंसाने के लिए तैनात किये गये और उक्त (क) में जिक्र किये गये गवाहान के साथ सैकड़ों वकुवे करवाये गये और एस. पी. श्री शीशराम व उसके अधीन पुलिस अफसरान ने उनको एक दफा लुटवाया, झूठे केसों में भी फंसाया गया और रिपोर्ट करने पर १८२ आई. पी. सी. के तहत मुकदमा अदालत में पेश किया गया और (क) में उल्लिखित गवाहान को खानों पर बदमाशों को भेज भेज कर पिटवाया गया ?

(ग) यदि हां, तो (क) में जिक्र किये गये आसामियान की तारीख १०–८–५६ से आज तक कितनी ही रिपोर्ट्स सरकार के पास आई, कितनी ही रिपोर्ट्स चोरी, डकैती मार, पिटाई की थाना पुलिस अशोक नगर, कोतवाली मानक चौक, सदर थाना रामगंज जयपुर में १०–८–५६ से आज तक लिखित रूप में पेश की गई हैं। उनकी शोध, सरकार व थाना वाइज़ तारीखवार रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(घ) कृपया यह भी बतलावें कि १०–८–५६ से आज तक (क) में जिक्र किये गये आसामियान की रिपोर्ट में से कितने जयपुर के थानों में केस रजिस्टर किये गये हैं और उनमें से कितने केस अदालत में चालान किये गये हैं व कितने थानों में पेंडिंग रखे हुए हैं? उनकी तारीख व थाना वाइज़ सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ङ) क्या यह भी सही है कि अब (क) में दिये हुए गवाहान डरा-धमका कर जोशी जी को बचाने के लिए एस. पी. जयपुर द्वारा श्री गोपाल लाल एस. आई. कोतवाली, जयपुर, श्री रोशनसिंह एस. आई. मानक चौक, श्री महानन्द एस. आई. थाना अशोक नगर, जयपुर, तैनात किये गये हैं ?

(च) यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस

Page No.5

(श्री लच्छूराम)

अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, कब तक और नहीं तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) अन्वेषण के दौरान में श्री वी. एस. जाखड़, धर्मेन्द्र प्रताप, पाबूदान अखिलेश और रामस्वरूप के बयान लिये गये हैं।

(ख) जी नहीं। किसी भी पुलिस कर्मचारी ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की और न किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। यद्यपि श्री धर्मेन्द्र प्रताप के खिलाफ धारा १८२ भारतीय दंड संग्रह के अन्तर्गत अदालत में इस्तगासा पेश किया गया है क्योंकि उसके द्वारा दिनांक ६-२-६० को धारा ३६२ भा. दं. सं. के अधीन कोतवाली में दर्ज कराया हुआ मुकदमा तफतीश से झूठा पाया गया और ऐसा ही १८२ भा. दं. सं. के अन्तर्गत एक इस्तगासा श्री रामस्वरूप के खिलाफ अदालत में पेश किया गया क्योंकि उसने दिनांक १०-२-६० को धारा १४७।३७६ भा. दं. सं के अन्तर्गत एक अभियोग थाना अशोकनगर में दर्ज करवाया था जो अनुसंधान से झूठा होना पाया गया।

(ग) दिनांक १०-८-५६ से आज तक ऐसी रिपोर्टों पर कुल १० मुकदमे जयपुर शहर के थानों पर दर्ज हुए है वे इस प्रकार हैं :-

१. प्रथम सूचना क्रमांक १२७. दिनांक ६-१०-५६ धारा ३७६ भा. दं. सं. थाना अशोक नगर; अदालत में जेर तजवीज हैं।

२. प्रथम सूचना क्रमांक १०० दिनांक १०-८-५६ धारा २६।६४ फोरेस्ट एक्ट थाना अशोकनगर; अनुसंधान जारी है।

३. प्रथम सूचना क्रमांक १६१ दिनांक ३१-१२-५६ धारा ३७६ भा. दं. सं. थाना अशोकनगर; अनुसंधान हो रही है।

४. प्रथम सूचना क्रमांक २ दिनांक ३-१-६० धारा ३७६ आइ. पी. सी. थाना अशोकनगर, अदालत में विचाराधीन है।

५. प्रथम सूचना क्रमांक १६२ दिनांक ३१-१२-५६ धारा ३४१।४४६ भा. दं. सं. थाना अशोक नगर, अनुसंधान से रिपोर्ट झूठी पाई गई।

६. प्रथम सूचना क्रमांक ११ दिनांक ११-१-६० धारा ३७६ भा. दं. सं. थाना अशोकनगर; अदमसुबूत में अन्तिम रिपोर्ट दी गई।

७. प्रथम सूचना क्रमांक १४ दिनांक ११-१-६० धारा ३७६ भा. दं. सं. थाना मानक चौक; अदम पता में अन्तिम रिपोर्ट दी गई।

८. प्रथम सूचना क्रमांक २२ दिनांक १०-२-६० धारा १४७।३७६ भा. दं. सं. थाना अशोकनगर; अनुसंधान से मामला झूठा पाया गया।

६. प्रथम सूचना क्रमांक ५८ दिनांक ६-२-६० धारा ३६२ भा. दं. सं. कोतवाली जयपुर; अनुसंधान से रिपोर्ट झूठी पाई गई।

१०. प्रथम सूचना क्रमांक २६ दिनांक ११-३-६० धारा ३७६ भा. दं. सं. थाना

(श्री रामकिशोर व्यास)

अशोकनगर, अनुसंधान से मामला झूठा पाया गया।

(घ) इसका उत्तर खंड (ग) में दे दिया गया है।

(ङ) जी नहीं। यह असत्य है।

(च) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि पाबूदानसिंह, ओंकारलाल के खिलाफ इंजीनियर ने गबन के झूठे आरोप लगाये और अदालत में चालान करवाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपना प्रश्न दोहरायें।

श्री रामकिशोर व्यास : दुबारा कह दीजिये।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि पाबूदान, भानप्रताप, ओंकारलाल के खिलाफ गबन के झूठे आरोप लगाये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है, जितना जानकारी में था वह बता दिया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि सरकार के सामने इस प्रकार की शिकायत आई है कि जिन लोगों ने श्री जोशी के विरुद्ध बयान देने के लिए कहा है, बयान दिये हैं, उनको पुलिस के द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है, डराने-धमकाने की बात सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गवाहों के ऊपर पुलिस की मार्फत दबाव डाला गया है कि सत्य बात कहने से गुरेज करें।

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सूचना पाबूदानसिंह, श्री जाखड ने सरकार के समक्ष या सरकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : दी होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं कह सकता हूं कि ऐसी बात नहीं है, केस कम्प्लीट है; रेडी फोर चालान, this much I know.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि जो इस केस में बयान कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर पुलिस की तरफ से दबाव डाला गया है, ऐसी शिकायत सरकार के या सरकारी पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस तरह की शिकायत नहीं है कि कोई दबाव डाला जा रहा है।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि एन्टी-करप्शन, एस० पी० व गवर्नमेंट को लिखा है कि माइनिंग सर्विस के अन्तर्गत पुलिस गवाहों को दबा रही है इसलिए गवाह पेश नहीं करना चाहते ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

संचालक, आयुर्वेद विभाग द्वारा राजस्थान इंडियन मेडिसिन्स बोर्ड की बैठक से बहिर्गमन

५७६. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि दिनांक २७-८-६० को राजस्थान इंडियन मैडीसिन बोर्ड की बैठक में से संचालक, आयुर्वेद विभाग ने बहिर्गमन किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) जिस प्रस्ताव पर संचालक महोदय ने बहिर्गमन किया था उसकी प्रति सदन में प्रस्तुत करें।

(ग) संचालक महोदय ने जिस प्रस्ताव के विरुद्ध बहिर्गमन किया था क्या वह पारित हो गया या विचाराधीन है या निरस्त हो गया ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह उत्तर बोर्ड की प्रोसीडिंग्ज़ को देख कर दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास यह डाइरेक्टर की तरफ से आया है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि बोर्ड की प्रोसीडिंग्ज में इसका जिक्र है कि डाइरेक्टर वॉक आउट कर गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां पर जो जवाब आया है उसमें कोई वॉक आउट नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इन्डियन मेडिसिन्स बोर्ड की उस दिन की प्रोसीडिंग देखेगी कि डाइरेक्टर महोदय ने जो जवाब दिया वह कितना सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब डाइरेक्टर कहते हैं तो सही है।

डॉ० बहादुरसिंह : जब वॉक आउट करते हैं तो प्रोसीडिंग्ज में होगा।

श्री अध्यक्ष : वे तो कहते हैं कि चले गये और आप कहते हैं कि वॉक आउट किया।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वे कब इस बात को कहते हैं कि चले गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यहां पर भी बहुत से सदस्य उठ कर इधर उधर चले जाते हैं, उसको वॉक आउट नहीं कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी करायगी कि मेडिसिन्स बोर्ड की बैठक की प्रोसीडिंग्ज में वॉक आउट लिखा हुआ है; किसी दूसरों से नहीं तो प्रोसीडिंग्ज़ से ही जांच करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई प्रोसीडिंग्ज़ को देखने और जांच करने की बात नहीं है; कई माननीय सदस्य चले जाते

Page No.8

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हैं तो वॉक आउट नहीं कहा जाता या मैं कहीं बाहर चला जाता हूं तो उसको वॉक आउट नहीं कह सकते।

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार बाहर जाते हैं अगर अन्डर प्रोटेस्ट वॉक आउट करते हैं तो उसे वॉक आउट कहा जाता है। इन्डियन मेडिसिन्स बोर्ड ने बिना वजह ही अपनी प्रोसीडिंग्ज़ में लिखा कि वॉक आउट किया ?

श्री अध्यक्ष : वह बात कन्फर्म थोड़ी ही हुई है।

श्री भैरोंसिंह : वह प्रोसीडिंग्ज़ कन्फर्म हुई है और उसमें लिखा हुआ है। २७-७-६० को मीटिंग हुई उसमें कन्फर्म हुआ। जहां तक डाइरेक्टर का सवाल है उसने कहा कि मैं वॉक आउट करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर के खिलाफ एक प्रस्ताव आया था और उस पर डाइरेक्टर ने अन्डर प्रोटेस्ट वॉक आउट किया है। इसकी जांच कराई जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या डाइरेक्टर वहां पर सरकारी प्रतिनिधि की हैसियत से जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे नोमिनेटेड मेम्बर होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि यह वॉक आउट किया गया, उसकी जांच कराए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is a question of opinion. This should not be asked here.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार मेडिसिन्स बोर्ड की प्रोसीडिंग्ज़ को मान्यता देती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

श्री भैरोंसिंह : अगर मान्यता देती है तो इस पेर जो जवाब दिया गया वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हसनपुरा में हरिजनों और सवर्णों की मिली जुली-बस्ती बनाने सम्बन्धी योजना

५७७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि बाल बियरिंग फैक्ट्री के पास हरिजन बस्ती हसनपुरा में हरिजनों और सवर्णों को एक मिली-जुली बस्ती बसाने की योजना बनाई गयी थी ? यदि हां, तो कब और कितने घरों की बस्ती बसाने की योजना थी ?

(२) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत प्लॉट कट कर कुछ लोगों को अलॉट भी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो कितने लोगों को, बाकी के लोगों का अलॉटमेंट क्यों रोक दिया गया ?

(३) क्या इस बस्ती को यहां न बसा

(डॉ० चन्द्रकला)

कर कहीं और बसाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां पर ? यह योजना कब तक क्रियान्विन होगी ? ऐसा करने का क्या कारण है ?

(४) क्या सरकार को विदित है कि इस प्रकार योजना बना कर उसे शुरू करके फिर बन्द कर देने अथवा बदल देने से जनता को परेशानी होती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) हां, बॉल बियरिंग फैक्ट्री के पास हसनपुरा हरिजन बस्ती सन् १९५७ में हरिजनों के बसाने के लिये बनाई गई थी। इस योजना में १०४ भूखंड हैं।

(२) २६ भूखण्ड हरिजनों को और २ भूखण्ड सवर्णों को दिये गये थे। इसी समय उद्योग क्षेत्र के विस्तार का प्रश्न सरकार के समक्ष आया, इस कारण इस योजना में बाकी भूखण्डों को देना रोक दिया।

(३) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(४) अभी तक इस बस्ती में केवल एक व्यक्ति ने मकान बनाया है। यदि ऐसी योजना क्रियान्वित होगी तो उपर्युक्त कारण से जनता को परेशानी होने की आशंका नहीं है। यदि कुछ थोड़ी परेशानी होगी भी तो परिणाम में जो लाभ होगा, उसके मुकाबले में वह नगण्य ही होगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि यहां प्लॉट अलॉट हो गये हैं और यहां के लोगों ने सरकार से ऋण के लिए प्रार्थना की और उनको ऋण देना भी स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री सम्पतराम : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जब जमीन उन लोगों को अलॉट हो गई थी तो सरकार का यह कर्तव्य नहीं होता कि जब उनको हटाया जाए तो उनको दूसरी जगह बसने के लिये बताई जावे ?

श्री सम्पतराम : जब यह प्रश्न पैदा होगा तो सरकार अपने कर्तव्य को निभाएगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किये उनको पट्टे दे दिये गये ?

श्री सम्पतराम : पट्टे दे दिये या नहीं; मैंने आपको इस संबंध में उत्तर दे दिया और मैंने यह कहा है कि इन्डस्ट्रियल एरिया का प्रश्न सरकार के समक्ष है। यदि इन्डस्ट्रियल एरिया वहां होता है तो सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी। सरकार उनको हटा नहीं रही है। अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि कहां इन्डस्ट्रियल एरिया बनाना है।

डॉ० चन्द्रकला : न तो उनको पट्टे दिये गये, न उनको हटाने का तय है और न उनको बसाने का तय है। यह दुविधा की स्थिति उनकी कब तक रहेगी ?

श्री सम्पतराम : जब तक प्लॉन डिसाइड नहीं होगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि इस पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

श्री सम्पतराम : मैं निश्चित नहीं बता सकता।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु) : अध्यक्ष महोदय, जो लोग पहले ही म्युनिसिपल एरिया में बसे हैं उनके लिये यह कहा गया कि उनको प्लॉट नहीं दिये जावेंगे और उनको नहीं हटाया जावेगा, इसके लिये आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का प्रश्न है। यह उनके जीवन-मरण का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वे कह चुके हैं कि अगर इन्डस्ट्रियल एरिया बसाने की जरूरत होगी तो। वे क्या आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री लादूराम सुलाणियां : सरकार की ओर से पहले आश्वासन मिला हुआ है कि म्युनिसिपल एरिया में बसे हैं उनको नहीं हटाया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चुरू जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को टी० ए० व डी० ए० की अनुपलब्धि

५७८. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि चुरू जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को माहवारी तनख्वाह मिलने के साथ साथ जो उनको यात्रा खर्च, किराया व दैनिक भत्ता दिया जाना चाहिये, वह उन्हें नहीं मिल रहा है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन अधिकारियों व कर्मचारियों का १ जनवरी, १९५९ से १ जून, १९६० तक कितना कितना यात्रा-किराया, खर्च व दैनिक भत्ता बाकी है ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह भी सही है कि जिले का वर्तमान पुलिस अकाउटेन्ट १० पर्सेन्ट रकम न मिलने पर बिलों को पास न करके वापस लौटा देता है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

ऑलमोस्ट जून, ६० में कोई एक-आध बाकी हो जावे।

श्री किशनाराम : क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को माहवारी तनख्वाह मिलने के साथ साथ उनको यात्रा-खर्च, किराया व दैनिक भत्ता नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनको किराया भत्ता तनख्वाह के साथ ही साथ मिल जाया करें ? क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने वाली है ?

Page No.11

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग बिल बन कर जाते हैं।

श्री किशनाराम : प्रश्न यह है कि जो तनख्वाह उनको माहवार की माहवार मिलती है उसके साथ साथ पिछले महीने के जितने दिनों का भत्ता हो वह सारा का सारा दे दिया जावे ? यदि नहीं दिया जाता है तो उनका बिल बहुत दिनों तक पड़ा रहता है और पैसे नहीं मिलते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने बताया कि जून तक के दे दिये। कब दिये ? टी०ए०, डी० ए० के पैसे दे दिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग बिल्स के अलग अलग पेमेन्ट होते हैं, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कब दिये।

श्री अध्यक्ष : इस तारीख के सारे बिलों के पेमेन्ट हो चुके हैं, कोई बकाया नहीं है।

(विराम)

नेक्स्ट।

वाणियावास बंधे का निर्माण

५७६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या सरकार को विदित है कि वाणियावास बन्धे की सर्वे का काम शुरू हुए आज पूरे तीन साल बीत चुके हैं फिर भी आज तक उसके निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार इस काम को इस वर्ष शुरू करने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) वाणियावास बन्ध की सर्वे पूर्ण हो चुकी है। तखमीना बना लिया गया था पर तखमीना सही न होने के कारण और बन्धे की मिट्टी में खार होने के कारण इसकी दुबारा जांच की जा रही है।

(२) जी नहीं। क्योंकि सही तखमीना बनाने में और मजूरी में अभी समय लगेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री दौलतराम सारण : बात यह है कि यह जोधपुर स्टेट के समय से बना था उसकी मिट्टी में खार होने की वजह से कई बार टूट चुका है। इसके लिये कहा है कि जांच की जा रही है, ऐसा न हो कि फिर भी बांध टूटने की संभावना हो। इसलिये समय लग सकता है।

प्रश्न संख्या ५८०.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पृथ्वीराज पटेल।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

जयपुर में आयोजित राजस्थान प्रदर्शनी, १६५६, में स्वीकृत धनराशि से अतिरिक्त खर्चा

५८१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**

Page No.12

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९ जो जयपुर में हुई उसमें राजस्थान सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की और कितनी खर्च हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि १ लाख रुपया स्वीकृत धनराशि से अधिक खर्च हुआ और उसकी कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि इस प्रदर्शनी से जो आय हुई वह जरिये चालान उस समय जमा नहीं कराई गई बल्कि राजस्थान बैंक में संचालक ने अपने नाम से खाता खोल कर कुल धनराशि जमा कराई ? यदि हां, तो क्या यह सब कार्यवाही नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो संचालक के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(घ) क्या इस रकम का जमा-खर्च विभाग के ही खातों से हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(ङ) राजस्थान बैंक से कुछ ब्याज इस रकम पर मिला ? यदि हां, तो कितनी ? क्या ब्याज की रकम भी इस अकउन्ट में एड-जस्ट कर दी गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९ को १ लाख, ५० हजार की धन राशि और इसके अलावा विविध कला आदि को मिला कर कुल १ लाख, ५७ हजार...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सुनाई नहीं दिया । आप एक दफा रिपीट करें ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये एक लाख ५७ हजार की स्वीकृति हुई और २ लाख ३७ हजार का खर्चा हुआ ।

८० हजार के करीब ज्यादा खर्चा हुआ ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । एतराज होता है ।

(घ) चालू खाता खोला गया ।

(ङ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह चालू खाता किसके नाम से खोला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाइरेक्टर के नाम से खोला गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उनके पर्सनल नाम से यह खाता खोला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाइरेक्टर के नाम से खोला गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह खाता डाइरेक्टर के नाम से खोला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि डाइरेक्टर के पर्सनल नाम से खाता खोला गया और खोला गया तो क्यों खोला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाइरेक्टर था इसलिए खोला गया ?

एक माननीय सदस्य : सेपरेट नाम से खोला गया।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is not a fact that all the Government offices and the Departmental accounts are opened in the name of the offices or the posts and not in the name of personal accounts ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसलिए नहीं खोला गया कि डाइरेक्टर राजेन्द्रशंकर भट्ट थे।

श्री पी० के० चौधरी : Could you cite even a single instance in the entire Departments, whether in case of any Deptt. it is so; Director of Education has got his account in the name of Shri Jagannath Singh Mehta or as Director Education, whether the Asstt. Director has got his account as in his personal account in the name of Shri Saxena ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह मैं अर्ज नहीं कर सकता। जानकारी है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स रूल्स हैं उनके हिसाब से भी कोई बैंक में खाता डिपार्टमेंट के नाम से ही खोला जा सकता है, न कि किसी पर्सनल नाम से।

श्री रामकिशोर व्यास : जानकारी तो पूरी है नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो एक साधारणसी जानकारी की बात है कि किसी एक पर्सन के नाम से बैंक में सरकारी रुपयों का खाता नहीं खोला जाता है और डिपार्टमेंट्स के नाम से खोला जाता है। यह दूसरी बात है कि आप जानकारी को छिपाना चाहें। पर्सनल नाम से बैंक में इस तरह से रुपया सरकार का जमा नहीं हो सकता है, तो फिर आपको यहां बैठने का भी हक नहीं है, सन् ५२ से आप काम कर रहे हैं, सब पर आपने पानी फेर दिया है, यह आपके बस का रोग नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या यह सही है कि जनरल रूल्स के मुताबिक भी डाइरेक्टर के नाम से बैंक में खाता खोलना गल्त है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ८० हजार की मन्जूरी कब ली ?

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

जयपुर नगर में घटित आत्महत्या की घटनायें

५८२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर नगर में गत तीन वर्षों के अन्दर आत्म-हत्याओं की कितनी कितनी घटनायें घटित हुई ?

(ख) क्या सरकार ने उक्त घटनाओं के के घटित होने के कारण जानने का प्रयत्न किया है ? यदि हां, तो वे कारण क्या क्या

Page No.14

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) क्या सरकार ने उन कारणों को दूर करने का भी कोई प्रयास किया है जिनके फलस्वरूप उक्त घटनायें घटित हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या क्या प्रयास किये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) कुल ५४ घटनायें हुईं ।

(ख) जी हां, इन आत्महत्याओं के कारण घरेलू झगड़े और दीर्घ कालीन बीमारियां ज्ञात हुईं ।

(ग) ऐसी आत्महत्यायें प्राय: मनुष्य के हृदय में उत्पन्न आकस्मिक विचार-धाराओं के फलस्वरूप घटित होती हैं जिन पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता। ये केवल सामाजिक सुधारों के द्वारा ही समाप्त किये जा सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह मैं समझता हूं कि सरकार का भी कर्तव्य होता है और दूसरे राज्यों के सामने भी वहां की पुलिस और सरकार ने आत्महत्याओं के कारण जानने को और उनका निवारण करने के साधन जुटाने की कार्यवाही की है।

श्री रामकिशोर व्यास : कारण तो अर्ज कर दिया है। सरकार तो कोशिश करती है। लेकिन मूल कारण सामाजिक है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि ये आत्महत्यायें बेकारी के कारण भी होती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य भी इसको जानते हैं कि बेकारी को मिटाने की जितनी कोशिश होनी चाहिये की जाती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आखिर कारण तो जानना चाहिये सरकार को कि किस कारण से आत्महत्यायें की हैं और उनको दूर करना एक समाज कल्याण का दावा करने वाली सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

गीजगढ़ हाउस (जयपुर) के पीछे की बस्ती को बसाने सम्बन्धी योजना

५८३. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) बाईस गोदाम के पास गीजगढ़ हाउस के पीछे की बस्ती कब बसाई गई है ? क्या यह सच है कि 'सी' स्कीम की योजना बनने पर वहां बसे हुए लोगों को यहां लाकर बसाया गया है ?

(२) क्या इन लोगों का अपनी पुरानी जमीन पर कूचा उपाड़ हक था और वह हक यहां नई जमीन पर भी उन्हें एवज में मिला हुआ है ?

(३) क्या इस बस्ती के लोगों को स्थायी रूप से यहां बसने का अधिकार था. लेकिन साधनहीन होने के कारण अपने पक्के मकान नहीं बना सके ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(४) क्या सरकार ने इन लोगों को यहां की जमीन पर अस्थायी अधिकार माना है और अब यहां से उठाने की कोशिश में है ?

(५) इस बस्ती को यहां से उठा कर कहां ले जाकर बसाने की बात है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) मोजगढ़ हाउस के पीछे की बस्ती बसाये जाने की तिथि उपलब्ध नहीं है, पर यह सच है कि बहुत से परिवारों को, 'सी' स्कीम बनाने के समय, लगभग १९४२-४३ में यहां बसने की आज्ञा दे दी गई थी।

(२) ये लोग बहुत समय से रेज़ीडेन्सी के पास रह रहे थे और जब 'सी' स्कीम बनाई गई और लोग कन्सेशन रेट पर भी प्लॉट नहीं ले सके तो उन्हें मोज़गढ़ हाउस के पास सरकारी जमीन पर कच्चे मकान बना कर बसने की आज्ञा दे दी गई। यहां पर भी इन लोगों को केवल निवास का ही अधिकार है।

(३) इन लोगों को केवल कच्चे मकान बना कर रहने के लिए एक योजनानुसार जमीन बतला दी गई थी। चूंकि, जमीन सरकारी थी, इसमें पक्के मकान बनाने का कोई प्रश्न नहीं था।

(४) इन लोगों को केवल यहां रहने का अधिकार है। अभी इन्हें यहां से हटाने की कोई योजना नहीं है।

(५) नगर विकास मंडल की कोई योजना इन्हें वहां से हटाने की नहीं है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : जब बस्ती बसाने का इतिहास मालूम नहीं है तो सरकार किस आधार पर कह सकती है कि केवल रहने का अधिकार है और जमीन पर उनका कोई हक नहीं है ?

श्री सम्पतराम : उनके पास इस प्रकार के कोई सुबूत नहीं हैं कि वे साबित करा सकें।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार के पास क्या सुबूत है कि उनका हक नहीं है ?

श्री सम्पतराम : उनके पास कोई सुबूत नहीं है तो सरकारी जमीन है।

डॉ० चन्द्रकला : तो जब उनको बसाया गया तो तत्कालीन जयपुर स्टेट ने व्यवस्था की थी कि जो हक उनको 'सी' स्कीम में प्राप्त हैं वे ही हक उनको वहां पर प्राप्त होंगे ?

श्री सम्पतराम : 'सी' स्कीम के बाद उनको प्लॉट्स खरीदने की प्रायोरिटी दी गई, कन्सेशन रेट पर भी वे लेने के लिए तैयार नहीं थे तो दुबारा अधिकार रखने का कहां प्रश्न उठता है ?

डॉ० चन्द्रकला : किसी नागरिक की आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह खरीद सके, यही सोच कर तत्कालीन जयपुर स्टेट से उनको जो सुविधायें वहां प्राप्त थीं वही सुविधायें वहां प्रदान कीं। क्या सरकार यह नहीं मानती है कि उनके वे ही हक वहां पर हैं जो कि 'सी' स्कीम में थे ?

श्री सम्पतराम : मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

Page No.16

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कब से बसे हुए हैं ?

श्री सम्पतराम : जबाब इसका भी मैं दे चुका हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : इतने दिन तक वहां बसे रहे हैं तो कानूनी मुद्दा नहीं था कि उनको भी वहां से हटा दिया जाय, जैसा कि दूसरों को हटाया जाता है ? नहीं हटाया गया तो इसके पीछे कोई इतिहास था और कारण था।

श्री सम्पतराम : कारण तो बसने का होता है। कितने समय से आबाद हैं तो उसका जबाब मैं दे चुका हूं।

डॉ० चन्द्रकला : 'सी' स्कीम में कब से वे रह रहे थे ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम गुडाएन्दला के तालाब का निर्माण

५८४. **श्री मूलचन्द डागा** [पाली—डॉ० बहादुरसिंह धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या पाली तहसील के गांव गुडाएन्दला के तालाब की सर्वे पूरी हो ...? यदि हां, तो कब ?

...रकार इस तालाब के काम को ...गी ?

...मंत्री, **सिंचाई** (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, और तखमीना भी बना लिया गया था परन्तु सरकार की स्वीकृति के लिए अभी फाइनेलाइजेशन नहीं हुआ है।

(२) स्वीकृति के बाद इस कार्य को आरम्भ किया जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : सरकार में किस स्टेज पर है ?

श्री दौलतराम सारण : जांच हो रही है, जांच होने के बाद स्वीकार किया जावेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री दौलतराम सारण : ७२० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

डॉ० बहादुरसिंह : तखमीना कब मिला और कब से जांच हो रही है ?

श्री दौलराम सारण : इस वर्ष में मिला है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सी आई डी. विभाग के सर्कल इन्सपेक्टर श्री कंवरसेन द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग

५८५. श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : Will the Home Minister be pleased to state:-

(a) Is it a fact that Shri Kanwar Sen C. I. of the C. I. D. was given near about Rs. 7,000/-by Excise

(श्री भैरोंसिंह)

Department for use in collecting information and the arrest of smugglers of Opium and persons dealing in illicit distillation ?

(b) If so, when and by whom ?

(c) Is it a fact that the money was misused and no work was done to the satisfaction of the Excise Department ?

(d) Is it a fact that the Excise Department demanded the money back but the same was not refunded in time ? If not, please state the dates of demand and payment ?

(e) Is it a fact that one Sheodan Singh constable of C. I. D. was sent to Kotah on leave for two months and he collected about ten thousand rupees from the suspected opium dealers and gave this amount to Shri Kanwar Sen who deposited Rs. 7,000/-out of it in the Excise Department ?

(f) Is it a fact that certain persons made complaints against the constable to Shri Bhatia (Kotah) who enquired into the matter and found it to be true ?

(g) Is it a fact that having known of the facts the D. I. G., C. I. D. sent for the file from S. P. Kota and thus hushed up the matter ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) No, Sir,

(b) The question does not arise.

(c) The question does not arise.

(d) The question does not arise. However in the public interest, efforts were made to recover the money amounting to Rs. 7,000/-paid to the informer by the A. C., Excise and Taxation and the entire amount was recovered in two instalments and deposited with the Excise and Taxation Department Rs.4,000/-on 19.10.59 and Rs. 3000 on 4.1.60. The demand was made on 18. 11. 58.

श्री भैरों सिंह : कुछ भी नहीं समझे।

श्री अध्यक्ष : ७ हजार वापिस आ गये। ४ हजार एक दफा और ३ हजार एक दफा।

श्री भैरों सिंह : कौनसी तारीख को ?

श्री अध्यक्ष : सवाल अधूरा है। कुछ पार्ट्स अभी बाकी हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : (e) No, Sir.

(f) No complaint was made. However the only acucsed Ram Chandra Mina from whom Shri Kanwar Sen, Inspector, C. I. D. has recovered 20 seers of contraband opium had deposed against C. I. Shri Kanwar Sen in his statement before Kota Police and the same fact was conveyed by the S.P.D. to C.I. Kota and the matter is under enquiries with the C. I. D.

(g) No, Sir. The matter is under

Page No.18

(श्री रामकिशोर व्यास)

enquiry and in this connection the case dairies of case against Ram Chandra Mina involving seizure of 20 seers of contraband Opium were called for scrutiny by S. P., C. I. D., who is conducting the enquiries into allegations conveyed by S. P., Kotah.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एस० पी०, कोटा ने अपनी इन्क्वायरी रिपोर्ट के साथ उनके पास शिकायत आई उसको सही मान कर सरकार के पास भेजा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सी० आई० डी० वाले इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब मामले की इन्क्वायरी एस० पी० स्वयं कर सकते थे तो सी० आई० डी० में लाने की आवश्यकता क्यों हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : सी० आई० डी० वालों ने मुनासिब समझा। उनके अन्डर के ऑफिसर हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर किन कारणों से यह मुनासिब समझा जब कि एस० पी० ने इन्क्वायरी करके इत्मिनान कर लिया कि शिकायत सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : चूंकि सी० आई० डी० में है इसलिए सी० आई० डी० वाले इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : रामचन्द्र मीणा ने स्टेटमेन्ट दिया है वह किसके सामने दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत की है। कोटा में शिकायत की।

श्री भैरोंसिंह : किसके सामने ?

श्री रामकिशोर व्यास : शायद एस. पी. के सामने की होगी, जहां तक मेरा ख्याल है।

श्री भैरोंसिंह : किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने की होगी, कौनसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था ?

श्री अध्यक्ष : केस डायरी में जिक्र है।

श्री रामकिशोर व्यास : एस० पी०, कोटा ने डी.आई.जी., सी.आई.डी को लिखा The S. P. Kota wrote to DY. I. G. Police C. I. D. that such and such complaint has been received and the matter has been enquired.

श्री भैरोंसिंह : एस० पी०, कोटा ने डी० आई० जी० को लिखा है। उन्होंने जो अपनी जांच का निर्णय लिखा है, जांच की है वह सही है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह कुछ मेन्शन नहीं है शिकायत आने पर डी० आई० जी०, सी० आई० डी० को लिखा है।

श्री अध्यक्ष : केस रजिस्टर हुआ था या नहीं? आपने लिखा है accused RamChandra Mina from whom C. I. D. recovered two thousand mds...

श्री भैरोंसिंह : रामचन्द्र मीणा को गिरफ्तार करने के बाद जो स्टेटमेंट रिवील

Page No.19

(श्री भैरोंसिंह)

किया है कि इस तरह से मैंने पैसे सी० आई. साहब के नाम लिये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या क्या बयान दिया है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। इन्क्वायरी में यदि किसी के खिलाफ कोई बात पायी जायगी तो नेसेसरी एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : एक्साइज़ डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस के सी० आई० डी० विभाग को सूचना देने के बाद वापिस रुपया लेने का तकाजा नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : असल में पुलिस को रुपया दिया ही नहीं गया।

श्री भैरोंसिंह : तो यह सात हजार रुपया किसके लिये दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : असिस्टेन्ट कमिश्नर एक्साइज़ ने इन्फोर्मर को देने के लिये दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस बिल पर रिसीव्ड लिखा हुआ है उस पर श्री कंवरसेन सी० आई० के दस्तखत हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि :

A Payment was never made to Police Officer. It was given to the Excise Department.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस आफिस से इन्फोर्मर के नाम रुपये लिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्फोर्मेशन मिली थी सी० आई० डिपार्टमेंट द्वारा and that information was received in the C. I. D. and it was passed on to the Excise Deptt.

श्री भैरोंसिंह : क्या वह इन्फोर्मेशन सही निकली ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेटीरियलाइज़ नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : इन्फोर्मेशन सही थी तो इन्फोर्मर को पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया और जिस इन्फोर्मर के मार्फत सूचना मिली वह इन्फोर्मेशन यह थी कि यह रुपया इन्फोर्मर श्री कंवरसेन सी० आई० को दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : No. He was not an informer. Informer was somebody else. Kanwar Sen C. I. was not the informer.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन्फोर्मर के बारे में एक्साइज़ विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : I don't know whether the name was disclosed or not, but the information was sent.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि एक्साइज़ विभाग को इन्फोर्मर के नाम की जानकारी नहीं थी, फिर भी सात हजार रुपया एडवान्स कर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : It was paid by the Excise Department Police was also there and it was certified.

श्री भैरोंसिंह : रुपया दिया गया वह कंवरसेन, सी. आई., को दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कंवरसेन सी. आई. को नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस ने इन्फोर्मर का नाम बताने से इन्कार किया था, रुपया उनको दे दिया जाय वे इन्फोर्मर को दे देंगे ? उनके लिखने के माफिक डिपार्टमेंट ने श्री कंवरसेन, सी. आई., को सात हजार रुपया दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं इसका जवाब अर्ज कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : इन्फोर्मर को नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : इन्फोर्मर को दिया गया एक्साइज़ डिपार्टमेंट की सिफारिश पर।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंट को तो इन्फोर्मर का पता ही नहीं। पुलिस विभाग ने इन्फोर्मर की सूचना डिपार्टमेंट को नहीं दी। इन्फोर्मर के नाम की सूचना हम आपको देते नहीं हैं, लेकिन रुपया हमारी मार्फत इन्फोर्मर को दिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका क्या कहना है, रुपया था उसका पेमेन्ट हो गया ? अब क्या डिफिकल्टी रह गई ?

श्री भैरोंसिंह : यही तो डिफिकल्टी हो गई। इन्फोर्मर का नाम बताया नहीं गया और इन्फोर्मर के नाम से रुपया ले लिया गया और वह कंवरसेन, सी. आई., को दे दिया गया। उससे उन्होंने मकान बना लिया। एक्साइज़ डिपार्टमेंट उसके लिये ताकीदी करता रहा। इसके बाद एक कॉन्स्टेबल को कोटा भेजा गया। उसने ओपियम डीलर्स से दस हजार रुपया वसूल कर लिया और उसमें से सात हजार डिपार्टमेंट को दिया गया। इसके बाद भी सरकार कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार की सरकार के पास शिकायत नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : एस. पी., कोटा ने जो रिपोर्ट डी. आई. जी. को भेजी उसमें उन्होंने इस चीज को सही पाना बताया। उसके बाद भी आप कहते हैं शिकायत नहीं की ? आखिर आपके पुलिस के अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट है, उन कागजों को दबा दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : रुपया वापिस आ गया, अब क्या मुसीबत रह गई ?

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज पटेल।

(अनुपस्थित)

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का साक्षात् सत्यापन

५८७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No.21

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(क) क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के स्टोर्स का अभी तक भी फिज़िकल वेरीफिकेशन नहीं हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि स्टोर्स में से हजारों रुपये के ब्लॉक्स, फाइल्स, एग्ज़ीबिशन गुड्स तथा और भी बहुत सा सामान गायब है ?

(ग) क्या सरकार फिज़िकल ऑडिट कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(घ) सन् १९५५ से अब तक कौन कौन स्टोर कीपर्स रहे तथा उनमें किस किस को जमानत लेकर रखा गया और किस किस को बगैर जमानत के ? यह भेदभाव किस आधार पर रखा गया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) प्रदर्शनी सामान के अलावा फिज़िकल वेरीफिकेशन हो चुका है । सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यह सही नहीं है ।

(ग) फिज़िकल ऑडिट नहीं किया जाता, फिज़िकल वेरीफिकेशन होता है ।

(घ) श्री दशरथसिंह ।

श्री भंवरलाल ।

श्री रामकिशन ।

श्री दशरथसिंह ।

केवल एक से जमानत ली गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी स्टोर कीपरों से जमानत क्यों नहीं ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : फाइनेन्स डिपार्टमेंट का जो सर्क्युलर था उसके अनुसार जमानत ली जानी चाहिये थी, लेकिन जब उनको इसके लिये लिख कर भेजा तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिज़िकल वेरीफिकेशन कब हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : १९५९ में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एग्ज़ीबिशन गुड्स का क्यों नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो रहा है ।

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में श्री रामकृष्ण, थर्ड डिविज़नर का एम० बी० बी० एस० कक्षा में प्रवेश

५८८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state:-

1. How many applications were received this year from Backward and Scheduled Caste persons for admission in 1st year M. B. B. S. in S. M. S. Medical College, Jaipur ?

2. Which of them have been selected ? Please place a list of such candidates showing their percentage, place of residence and percentage of marks obtained.

3. Is it a fact that one Mr. Ram-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Krishan s/o Shri Haridas, a third divisione, having only 44% marks has been selected as one belonging to Backward and Scheduled Caste ?

4. Is it a fact that Mr. Ram Krishna is Brahman by caste and does not belong to backward and scheduled caste ? If so, how he has been selected as such ?

5. Is it also a fact that otherwise he could not be selected on merit ?

6. What proof of his belonging to scheduled caste or backward class Mr. Ram Krishna furnished before the authorities ?

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : 1. Fourteen.

2. A statement containing the information required has been placed on the table of the House.

3. Yes. Shri Ram Krishna s/o Shri Haridas has been admitted having 44.44% marks whose percentage after adding 5% marks became 46.66 and he stood in merit in schedule caste seats as given in the statement placed on the table of the House.

4. Shri Ram Krishna s/o Shri Haridas has written in his application his name as Shri Ram Krishna Sharma. He has been admitted against the seats reserved for Backward and Scheduled castes on production of a certificate from Tehsildar, Jaipur stating that he belongs to 'SAD' caste of Backward class as specified in Part XIV of Rajasthan list of Scheduled Castes, and Tribes and Backward Classes.

5. Yes. It is a fact that otherwise he could not be selected on merit.

6. A Certificate from Tehsildar, Jaipur.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि मेडिकल कॉलेज के प्रोस्पेक्टस के अनुसार शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये तहसीलदार का सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट होना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात है कि हमारे प्रोस्पेक्टस के मुताबिक तो कलेक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिये। किन्तु सोशियल वेलफयर डिपार्टमेंट द्वारा अलग से सर्कुलर इश्यू हुआ है उसके मुताबिक कोई आदमी तहसीलदार का सर्टिफिकेट भी ला सकता है, लेकिन इस मामले में उनको तीन रोज का नोटिस दिया गया है कि वे कलेक्टर का सर्टिफिकेट पेश करें, वर्ना उनका नाम काट दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या रामकृष्ण को कॉलेज से निकाल दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको नोटिस दिया गया है कि वे तीन रोज में कलेक्टर का सर्टिफिकेट पेश करें वर्ना निकाल दिया जायगा।

Page No.23

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री रामकृष्ण खण्डेलवाल ब्राह्मण हैं ?

श्री अध्यक्ष : That is his subject of enquiry.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही शिकायत है, इसी बात की जांच की जा रही है।

श्री पी.के. चौधरी(फुलेरा): डीलिंग क्लर्क खण्डेलवाल ब्राह्मण सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और उन्हीं महन्त के लड़के हैं श्री रामकृष्ण।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस प्रकार की शिकायत आई है। इस बारे में वे कुछ डॉक्यु-मेंट पेश करना चाहते हैं। इसके साथ ही उनको कहा गया है कि वे कलेक्टर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें; सर्टिफिकेट पेश नहीं करते हैं तो ओट मैडिकली कॉलेज से उनको निकाल दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय इन्हीं श्री रामकृष्ण के पिता खान्डल विप्र महासभा की स्वागत समिति के सदस्य हैं जिन्होंने इस सभा को २०१) रुपया दिया है। श्री हरिदास विप्र खन्डेलवाल ब्राह्मण है, हमारे आई० जी० पी० श्री गोवर्धन शर्मा इन्हीं की जाति के हैं। वे शिड्युल्ड कास्ट के हो सकते हैं, नन्दकिशोरजी शिड्युल्ड कास्ट के हो सकते हैं। रजिस्ट्रार एग्जामि-नेशन यदि शिड्युल्ड कास्ट के हो सकते हैं तो ये भी हैं, जब वे नहीं हैं तो यह कोई दिक्कत की बात नहीं। बात यह है कि वहां के जो डीलिंग क्लर्क और इन्चार्ज हैं वे खन्डेलवाल ब्राह्मण हैं। वे इस बारे में हमेशा गड़बड़ करते आ रहे हैं। लोगों से रुपया ले लेकर भर्ती कर लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने तो स्पष्ट बताया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एलीगेशन बिल्कुल गलत है। सारे लड़के जो एडमिट किये गये हैं वे सब मैरिट पर किये गये हैं। हायर पर्सेन्ट वाले को छोड़ दिया गया है, यह कहना बिल्कुल गलत है। किसी को नहीं छोड़ा गया। ऐसा कोई नहीं है दो सो लड़कों में। माननीय सदस्य किस बेसिस पर यह एलीगेशन लगाते हैं? रहा सवाल शिड्युल्ड कास्ट कह कर एडमिशन लेने का, सो उसकी मैं खुद इन्क्वायरी करा रहा हूं। मैंने कहा है उनको कि तुम कलेक्टर का सर्टिफिकेट पेश कर दो, नहीं तो नाम काट देंगे। उसने कहा है कि वह बैकवर्ड क्लॉस का है और डॉक्युमेंट्स पेश कर रहा है। अब जब तक विटनैस नहीं आवेगी तब तक तो इन्तजार करना पड़ेगा। बिना इसके कैसे उसको आज ही निकाल दें ? उसने तहसीलदार का सर्टि-फिकेट भेजा है, हमने कलेक्टर का मांगा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जान-कारी दूं कि यह सब मिस्चीवियस है और इस तरह से है : ओरीजिनल नोट्स हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट का जिक्र है। तीन नाम लिख गये हैं वहां शंकरलाल, ग्यानलाल, गोविंदसिंह इनके सामने जाति लिखी है। एक चौथा नाम है भोरम [illegible] इसके सामने जाति नहीं लिखी है। उन तीनों के सामने उनकी जाति लिखी है, पर आगे हो श्री राम-किशन के नाम के सामने जाति नहीं लिखी है। बाप के नाम के सामने लिखी है। तो यह सारा जानबूझ कर किया गया है क्योंकि वे ऑफिस में बैठे हैं।

Page No.24

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तहसीलदार, जयपुर का सर्टिफिकेट उन्होंने प्रोड्यूस किया है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें बहस होनी ही नहीं चाहिये थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को गुस्सा आ जाता है इतना जल्दी, कमजोर होने के कारण से ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप अपने आपको बड़ा मजबूत समझते हैं । आप जिस तरह की बातें कहते हैं उनको मैं सुनने-वाला नहीं हूं, एक बार कहे देता हूं । आप ख्वामख्वाह किसी को बदनाम करना चाहते हैं । सारे एडमिशन को एक हाई क्लॉस कमेटी देखती है । हायर पर्सेन्टेज के किसी लड़के को नहीं छोड़ा गया । गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्टरफिरेन्स नहीं है । सब निर्णय मैरिट पर हुए हैं । आप सब पर आरोप लगाते हैं, जैसे आपने सबको ठीक करने का ठेका ले रखा है । मैं ऐसी निराधार बातें सुनने को तैयार नहीं हूं । मैं उन सबका बराबर उत्तर दूंगा ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू सु०) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इतनी गर्मी से उत्तर दे रहे हैं । एक तरफ शिड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उनके अधिकार छीन लिये जाते हैं; जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टीफिकेट होना चाहिये वहां तहसीलदार का सर्टीफिकेट पेश करते हैं और कहते हैं तो गर्मी से जवाब देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : वही बात दोहरा रहे हैं । ऑर्डर प्लीज़! ऑर्डर !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इसका जवाब दे चुका हूं । एडमिशन हो गया तहसीलदार के सर्टीफिकेट के बेसिस पर । वह अगर गल्त है तो कलेक्टर के सर्टीफिकेट के लिये हमने कहा है और फिर हमने जांच शुरू कर दी है । अगर साबित हुआ तो निकाल दिया जावेगा । फिर वह कोई हो और अगर उसका पिता कुछ गल्त काम करता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जावेगा । बाप—बेटे दोनों एक जगह हैं और गल्ती करते हैं तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे । यह स्पष्ट है । इसमें पक्षपात की क्या बात है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्वेश्चन यह पैदा होता है कि जब नियम यह था कि कलेक्टर का सर्टीफिकेट लेना चाहिये तो फिर तहसीलदार का सर्टीफिकेट क्यों लिया गया ? यह क्या इस कारण से नहीं हुआ कि उसका पिता उसी ऑफिस में ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बन कर बैठा हुआ है और जान बूझकर नियमों की अवहेलना उसके द्वारा की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : यह उन्होंने कह दिया, वे जांच करवा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा एक प्रश्न है । इस पर एक्शन भी लिया और जानकारी भी कर रहे हैं । यह कैसे है ? खांडिल विप्र महासभा की किताब भी उन्होंने देखी है । सारे प्रोसीजर को भी वे देख रहे हैं । तो क्या मैं इस प्रकार की जानकारी का यह अर्थ लगाऊं कि अभी तक उन दोनों क्लर्कों के खिलाफ प्राइमाफेसी केस नहीं बन सका जिससे कि मैलाफाइडी इन्टेन्शन अपने

Page No.25

(श्री भैरोंसिंह)

लड़के को भर्ती कराने के सम्बन्ध में साबित हो ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसका उत्तर दिलवाया जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

खांडी बान्ध का निर्माण कार्य

४८६. **डॉ० बहादुरसिंह** [धौलपुर–श्री मूलचन्द डागा (पाली) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली में जब मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी तब चीफ इन्जीनियर ने यह कहा था कि खांडी बान्ध का काम इसी महीने या दो महीने के भीतर शुरू हो जायगा ? यदि हां, तो फिर भी देरी क्यों हो रही है ?

(२) क्या इस खांडी बान्ध का काम इस साल पूरा हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, सिचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां। परन्तु उचित रेट पर कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हुआ।

(२) ऐसी आशा की जाती है कि काम इस साल में पूरा कर दिया जावेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : डिपार्टमेन्टली क्यों नहीं करावेगी ?

श्री दौलतराम सारण : इसे वैसे बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। टेन्डर इन्वाइट दुबारा किये थे; एक-दो ने टेन्डर दिये हैं। उम्मीद की जाती है कि इनकी जांच के बाद स्वीकार हो सके तो काम चालू हो जावेगा।

एस० आई० व सी० आईज० के किये गये प्रोमोशन्स

५६०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) २ अप्रेल, १६५८ के पश्चात् किन किन एस० आईज० को सी० आई० के पद पर तथा किन किन सी० आईज० को डिप्टी एस० पी० के पद पर आरजी या मुस्तकिल तौर पर प्रोमोशन दिया गया है तथा किन किन को इस ही प्रकार डिमोट किया गया है ?

(ख) जिनको तरक्की दी गई है वे अपनी अपनी ग्रेड में सीनियोरिटी की लिस्ट में कौन कौन से नम्बर पर थे ?

(ग) क्या यह सही है कि कई अधिकारियों को इन प्रोमोशन्स के लिये सुपरसीड किया गया है ? यदि हां, तो किस किस प्रोमोशन में किन किन को सुपरसीड किया गया और क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) इन्सपेक्टर से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर उन्नत होने वाले कोई नहीं।

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद से अवनत हुए इन्सपेक्टरों की सूची इस तरह है : श्री दूलासिंह, श्री लक्ष्मीलाल, श्री केशवलाल,

(श्री रामकिशोर व्यास)

श्री सोहनलाल तलवार, श्री श्यामसिंह, श्री कंवरलाल, श्री भूरसिंह, श्री दुर्गापालसिंह, श्री किशनकरण और श्री बृजभूषण भटनागर।

(ख) सब इन्सपेक्टर के पद से इन्सपेक्टर के पद पर उन्नत होने वालों की सूची :

श्री गनेशसिंह, श्री रामस्वरूप, श्री जीतसिंह,
१४ ए ३३१ सी ८ ए

श्री भंवरसिंह, श्री एन० पी० सोनी,
७२४ सी ७४ ए

श्री सुखसिंह, श्री छोटेलाल, श्री यदुवीरसिंह,
२६३ सी ३२ ए १७४ बी

श्री पारथसिंह, श्री कल्याणसिंह, श्री जितेन्द्रनाथ,
३६ ए १४७ बी ३६ ए

श्री जुगराजसिंह, श्री कंवरसेन, श्री भालचन्द्र,
२६ ए ५४ ए ३० ए

श्री बालचन्द्र, श्री हरदयाल, एवं श्री
१ ए ६ ए

हरिकृष्ण
११ ए

इन्सपेक्टर के पद से अवनत होने वालों की सूची : श्री रामरतन, श्री उटमीराम, श्री शिवताजसिंह, श्री शिवनन्दनसिंह, श्री गुरबचनसिंह श्री अमरनाथ मुद्गल, श्री दुर्गादास, श्री सियाराम।

(ग) इन्सपेक्टरों के पद पर उन्नत होने योग्य सब इन्सपेक्टरों की स्वीकृत सूची में से किसी को नहीं छोड़ा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कई ऐसे सब इन्सपेक्टरों को भी प्रोमोशन दिया गया है जो 'सी' लिस्ट में हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, सही है।

श्री भैरोंसिंह : जब बी और ए की लिस्टों के अन्दर प्रोमोशन देने लायक थे तो 'सी' को कैसे दिया ?

रामकिशोर व्यास : कुछ केसेज़ तो ऐसे हैं जो गेलेन्ट्री के हैं। और एक केस ऐसा है जो टेक्निकल का है, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो का है। इसके अलावा और नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इनके अलावा ए को सुपरसीड करके इन्सपेक्टर के पद पर किसी और की पदोन्नति नहीं की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सी लिस्ट के तो तीन ही हैं जिनके नाम बताये हैं। ए तो खतम हो चुकी। बी लिस्ट चल रही है। एप्रूव्ड लिस्ट बनी हुई है उसके माफिक है।

श्री भैरोंसिंह : किसी को बी. सी. में सुपरसीड करके चान्स दिया हो, ऐसा नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एप्रूव्ड लिस्ट के ऑर्डरवाइज़ देते हैं प्रोमोशन। इसी के माफिक सब को दिया है।

बीकानेर जिले में बोर होल्स करवाना

४६१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :--

Page No.27

(श्री भीमसेन)

क्या सरकार बीकानेर जिले में एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल सेक्शन भारत सरकार की सहायता से कुछ बोर होल्स करवाने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): भारत सरकार के एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल आर्गेनाइजेशन की सहायता से तृतीय पंच-वर्षीय योजना में बीकानेर जिले में बोर होल्स कराने का इरादा है ।

श्री भीमसेन : कितने कराने का है ?

श्री दौलतराम सारण : अभी निश्चित संख्या तो नहीं दी जा सकती, पर डिविजन नें ६० कराने हैं ।

श्री भीमसेन : पानी की काफी दिक्कत है । क्या तीसरी योजना के पहले वर्ष में कुछ देने का इरादा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सवाईसिंह, कॉन्स्टेबल की उदय मन्दिर थाना, जोधपुर में हुई गिरफ्तारी के बाद ज्यादतियां

४६२. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि श्री सवाईसिंह राजपूत कॉन्सटेबल को तारीख २८.८.५६ को उदय मन्दिर थाना, जोधपुर में गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो किस अपराध में, किसके द्वारा और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कॉन्सटेबिल को पुलिस द्वारा बहुत मारा-पीटा गया जिससे उसके खून के दस्त एवं उल्टियां हुई और शरीर पर काफी चोटें आई ? यदि हां, तो क्यों और किस किस के द्वारा ?

(ग) क्या यह सही है कि सवाईसिंह को हॉस्पिटल में रखा गया ? यदि हां, तो कब से कब तक और क्यों ?

(घ) सवाईसिंह को कब छोड़ा गया और क्यों तथा किस तरह ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध की शिकायतें उच्चाधिकारियों को की गई ? यदि हां, तो उनकी जांच किसके द्वारा कराई गई तथा उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां । वह थाना डिविजन 'बी' जोधपुर के भार साधक पदाधिकारी द्वारा मुकदमा नम्बर १०० तारीख २८-८-५६, जुर्म दफा ३८१ ता० हि० में पी० आई० मालखाना, जोधपुर की रुपया १७,६००)रु० की चोरी के बारे में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पुलिस हिरासत में उसके पीलिया की बीमारी हो गई इसलिये तारीख ३-६-५६ को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां से तारीख ८-१०-५६ को छोड़ा गया ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(घ) तारीख १३–६–५६ को १६६ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत सुबूत काफी न होने पर जमानत पर छोड़ दिया गया ।

(ङ) जी हां, डी०आई०जी०पी०, जोधपुर द्वारा जांच की जा चुकी और शिकायत निराधार पाई गई है ।

जयपुर शहर के ठेला हॉकर्स की समस्या का समाधान

५६३. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) जयपुर शहर में ठेला हॉकर्स से सालाना कितना टैक्स लिया जाता है ? क्या यह सच है कि अन्य शहरों के मुकाबले में यह टैक्स बहुत ज्यादा है ?

(२) क्या लाइसेन्स देते समय नगर पालिका प्रत्येक ठेले के लिए उसका स्थान निर्धारित कर देती है ?

(३) क्या सड़कों, रास्तों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इन ठेलों के खड़े होने के लिए स्थान निश्चत है ? क्या ऐसे स्थानों को साइन बोर्ड आदि से चिन्हित किया हुआ है ?

(४) क्या निश्चित स्थान के अभाव में ये ठेले चाहे जहां खड़े रहते हैं और आवागमन में कठिनाई का कारण बनते हैं ?

(५) क्या यह सच है कि स्थान निश्चित न होने के कारण ही पुलिस वाले इन ठेला हॉकर्स को तंग करते हैं और कभी कभी उनका सामान उठा कर फैंक देते हैं ?

(६) क्या नगरपालिका और सरकार इन ठेले वालों की समस्या का उचित समाधान करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) ठेला हॉकर्स से ७२)रु. सालाना टैक्स वसूल किया जाता है । दूसरी जगह के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, स्थान तो निश्चित किये जा चुके हैं लेकिन ऐसे स्थानों पर साइन बोर्ड अभी नहीं लगाये गये हैं ।

(४) निश्चित स्थानों के अलावा यदि ठेले किसी दूसरी जगह खड़े हुए तो आवागमन में बाधा होना स्वाभाविक है ।

(५) स्थान निश्चित है और पुलिस निश्चित स्थानों के अलावा ठेले खड़े करने पर ही कार्यवाही करती है ।

(६) मौजूदा स्थानों के अलावा ठेलेवालों के लिए अन्य स्थानों का प्रश्न विचाराधीन है ।

डॉ० चन्द्रकला : जब स्थान निश्चित हो चुके हैं तो बोर्ड वगैरह लगा कर स्पेसिफाई क्यों नहीं किया जाता ?

श्री सम्पतराम : आपके सुझाव के माफिक कार्यवाही करेंगे ।

Page No.29

डॉ० चन्द्रकला : मेरा प्रश्न नहीं है। जब स्थान निश्चित हो चुके हैं तो उन्हें चिन्हित क्यों नहीं करवाती सरकार ?

श्री सम्पतराम : सरकार कर देगी।

सब इन्सपेक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट

५६४. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित हो गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) अप्रेल, १९५७ से लेकर अब तक किन किन सब इन्सपेक्टर्स को कब कब से सर्किल इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति की गई और वह किस किस आधार पर ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या इन सर्किल इन्सपेक्टरों को कन्फर्म कर दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब से और कौन कौन को ?

(घ) सब इन्सपेक्टरों की लिस्ट में ये सर्किल इन्सपेक्टर किस किस स्थान पर आते हैं तथा किस किस श्रेणी की लिस्ट में है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) थानेदारों की इन्टर लेक्ड सीनियोरिटी की लिस्ट अभी अन्तिम रूप में स्वीकृत नहीं हुई है; क्योंकि अभी कुछ प्रतिवेदनों का निर्णय एडवाइज़री कमेटी द्वारा नहीं किया गया है।

(ख) ऑफिशियेटिंग इन्सपेक्टरों की सूची व उनकी तरक्की की तारीख जिनको १-४-५७ के बाद दी गई है वे निम्नलिखित हैं। यह पदोन्नति स्वीकृत सूची के आधार पर दी गई है :—

श्री बलदेवसिंह	२-१-५७	३७ ए
श्री मानसिंह	१०-१-५७	३४ ए
श्री गंडासिंह	२७-७-५७	२८ ए
श्री जीवनसिंह	२७-७-५७	१९४ डी
श्री रामप्रताप	२७-७-५७	३५ ए
श्री शिवसिंह	२७-७-५७	६२ बी
श्री शिवदानसिंह	२७-७-५७	१९५ डी
श्री जलालखां	२७-९-५७	१८३ डी
श्री वसीउल्लाखां	२-१०-५७	६९ बी
श्री अब्दुल रशीद	१४-२-५८	२९८ सी
श्री लाखूसिंह	१५-३-५८	
श्री अमरदास	१८-३-५८	७१ बी
श्री गनेशसिंह	१-७-५८	१४ ए
श्री रामस्वरूप	१-७-५८	३३१ सी
श्री जीतसिंह	३१-७-५८	८ ए
श्री भंवरसिंह	१-८-५८	७२४ सी
श्री एन. पी. सीनी	१०-८-५८	७४ ए
श्री सुखसिंह	८-१२-५८	
श्री छोटे	३१-१-५९	३२ ए
श्री यदुबीरसिंह	३-२-५९	१७४ बी
श्री पार्थसिंह	१७-९-५९	३६ ए
श्री कल्याणसिंह	१३-१०-५९	१४७ बी

(श्री रामकिशोर व्यास)

श्री जितेन्द्रनाथ	११-११-५६	३६ ए
श्री जुगराजसिंह	२७-११-५६	२६ ए
श्री कंवरसेन	१४-१२-५६	५४ ए
श्री दालचन्द	२-७-६०	३० ए
श्री बालचन्द	२४-६-६०	१ ए
श्री हरदयाल	२४-६-६०	६ ए
श्री हरिकिशन	६-६-६०	११ ए
श्री घासीराम	१-४-५५	५१ बी

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने अभी ३० ए और बी बताया, यह क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सीनियोरिटी लिस्ट ए, बी, सी और डी भाग में बनी हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने राजस्थान की सीनियोरिटी लिस्ट एक बनाई है तो यह ए, बी और सी कैसे लग गया !

श्री रामकिशोर व्यास : जो टेन्टेटिव लिस्ट बनाई है वह लोगों को दे दी है ताकि जिनको ऑब्जेक्शन करना हो वे कर दें। वे ऑब्जेक्शन्स अभी तय हो रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह: वह लिस्ट कब बनी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बनी थी ।

श्री भैरोंसिंह : रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लिस्ट पब्लिश की और उसके ऊपर जो लोगों के ऑब्जेक्शन्स हुए वे अभी तक डिसपोज़ ऑफ नहीं किये तो उसका क्या कारण था और यह लिस्ट बनाने का क्या मतलब था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा कि कहा था कि एडवाइज़री कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की बनी उसके पास पेन्डिंग है ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के पास केवल वही केसेज़ पेन्डिंग हैं जो कि अजमेर के हैं । लेकिन डिपार्टमेंट की पहले की लिस्ट है तो प्रोमोशन देते समय एप्रूव्ड लिस्ट में जिनका नाम देते हैं उसी के आधार पर उनको लिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रेन्जवाइज़ अजमेर के मर्जर के पहले ही लिस्ट मौजूद थी ।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज ।

पंचायत समिति नादोती की जीप के मद में स्वीकृत धन-राशि

५६५. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर-सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत समिति नादोती, मुख्यालय वामनवास, जिला सवाई माधोपुर के जीप के मद में बजट में कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है ?

(ख) अक्टूबर, सन् १६५६ से लेकर अगस्त, सन् १६६० तक पंचायत समिति की जीप ने कितने मील का रन किया और पैट्रोल में कितनी धन-राशि व्यय की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जीप के लिए अलग से किसी भी विकास खण्ड के बजट में कोई रकम स्वीकृत नहीं होती है।

(ख) अक्टूबर, सन् ५६ से लेकर अगस्त सन् १९६० तक जीप ने ५,०७७ मील का रन किया और पैट्रोल पर १,११३ रुपये की धन-राशि खर्च हुई।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह धन-राशि अधिक खर्च नहीं हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

पुलिस थाना बांसवाड़ा में लड़की के अपहरण की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

४९६. श्री मोगजीभाई (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि दिनांक ७-८ जून, १९५९ को पुलिस थाना बांसवाड़ा में किसी लड़की के अपहरण किये जाने की रिपोर्ट की गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(ख) उक्त मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कब ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त लड़की के अपहरण करनेवालों को गिरफ्तार करने के बावजूद अदालत में चालान पेश नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, यह रिपोर्ट दिनांक ७-६-५९ को शाम को ६ बजे श्री गोतम पुत्र श्री दल्ला भील ने प्रस्तुत की थी।

(ख) इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा बाकी दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद आत्म-समर्पण कर दिया।

(ग) जी नहीं, चालान दिनांक २०-८-५९ को प्रस्तुत कर दिया गया था। एडीशनल सेशन्स जज, बांसवाड़ा के न्यायालय से तीनों अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि जब इस लड़की के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई उस समय उन मुल्जिमों के नाम भी दर्ज किये गये थे ? जितने भगाने वाले थे मुल्जिम, उनके नाम दर्ज किये गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनका तो चालान भी हो गया, फिर क्या सवाल बाकी रहता है ?

श्री मोगजीभाई : कितने आदमी थे अपहरण करनेवाले ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री मोगजीभाई : अध्यक्ष महोदय, उसमें और भी आदमी थे।

श्री अध्यक्ष : जांच के बाद जितने आदमियों का साबित हुआ उनका चालान कर दिया गया। आपको एतराज हो तो आप अदालत में रिपोर्ट कर दें, इस्तगासे के अनुसार।

(विराम)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

Page No.32

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ५६७

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री इब्राहीम के केस में अनियमितता बरतने के कारण लालसोट के थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही

५६८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि जुलाई सन् ५६ में एक रिपोर्ट श्री इब्राहीम मुसलमान ने लालसोट थाने में मारपीट की पेश की और पुलिस ने उसे मुआयने के लिए डॉक्टर, जयपुर के पास भेजा क्योंकि उस समय लालसोट में डॉक्टर नहीं था ?

(ख) क्या डॉक्टरी मुआयना होकर उसकी रिपोर्ट थाना लालसोट में आ गई है ? यदि हां, तो कब व पुलिस थाना लालसोट में उस पर क्या कार्यवाही की ?

(ग) क्या यह सच है कि थानेदार लालसोट ने श्रीइब्राहीम के केस को दबा दिया जिसके कारण उसे अदालत, दौसा में इस्तगासा पेश करना पड़ा ?

(घ) क्या यह भी सच है कि मजिस्ट्रेट, दौसा ने इस्तगासा पेश होने पर थानेदार, लालसोट से रिपोर्ट की नकल व डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगा मगर पुलिस ने पेश नहीं किया ?

(ङ) क्या सरकार ऐसे नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, किन्तु जुलाई, १९५६ में नहीं बल्कि २३-३-५६ को रिपोर्ट पुलिस में पेश की थी।

(ख) जी हां, श्री इब्राहीम के डॉक्टरी निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांक २५-३-५६ को थाने में पहुँची परन्तु चोटें साधारण होने से मामला नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस था अतः केस दर्ज न कर न्यायालय में उचित कार्यवाही करने की राय दी गई।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं, अदालत ने अपने पत्र दिनांक १०-२-६० द्वारा असली डॉक्टरी रिपोर्ट व रोजनामचे की नकलें मांगी थीं जो भेज दी गई।

(ङ) पुलिस अधिकारी की कोई गफलत या गल्ती नहीं थी। अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५६९

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

Page No.33

मानसिंह मुलजिम की गिरफ्तारी के मामले में श्री भगवानसिंह सिपाही का नौकरी से पृथक्करण

५६६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि तारीख २८-१-५४ को थाना सिविर, जिला भरतपुर में सेशन्स जजी वारन्ट की बहड़ा से थानेदार ने श्री मानसिंह मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए भगवानसिंह, नम्बर १२५ व मूला, नम्बर १३४ सिपाहियों को भेजा था ? वह थानेदार कौन था ?

(ख) क्या यह सही है कि थानेदार ने जो सेशन्स जजी का वारन्ट सिपाहियों को दिया था वह नकली था ?

(ग) क्या यह सही है कि जिन सिपाहियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था, उन्होंने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया था ?

(घ) क्या यह सही है कि सिपाही मुल्जिम को बरपुरा से चोकी बिलान-चटपुर ले जा रहे थे; उस समय कुछ गुण्डों ने सिपाहियों पर प्रहार कर मुल्जिम को छुड़वा कर भगा लिया ?

(ड.) क्या यह सही है कि सरकार ने इस कारण श्री भगवानसिंह सिपाही को नौकरी से अलग कर दिया है।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, उन सिपाहियों को सब इन्सपेक्टर ने नहीं भेजा था किन्तु हैड कॉन्सटेबल जद्दर-प्रसाद, इन्चार्ज चोकी बिलान-चटपुर ने भेजा था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं, मुल्जिम श्री भगवानसिंह कॉन्सटेबल की गफलत से भाग निकला।

(ड.) जी हां, उसकी गफलत के कारण।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न (ख) था कि 'क्या यह सही है कि थानेदार ने जो सेशन्स जजी का वारन्ट सिपाहियों को दिया था वह नकली था तो इसका उत्तर आपने दिया, 'जी नहीं'; तो क्या यह सही है कि उसके बाद में कोर्ट में यह साबित हुआ कि यह वारन्ट नकली था ? आप कहते हैं कि नकली नहीं था ?

श्री रामकिशोर व्यास : The warrant was genuine.

श्री मुरलीधर व्यास : क्या बिना वारन्ट के ही पकड़ कर लाया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वारन्ट बिलकुल सही था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

पीपाड़ शहर की नगरपालिका का पंचायत में परिवर्तन

६००. श्री रामनारायण वमा (पीपल्दा-मु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण वर्मा)

क्या यह सही है कि पीपाड़ शहर की नगरपालिका को पंचायत में परिवर्तित किया जा रहा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सम्पतराम : It should be replied by the Panchayat Minister.

रेलवे कॉलोनी, फुलेरा में चोरियें इत्यादि

६०१. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state:—

How many cases of theft and house breaking in Railway Colony, Phulera were registered with the Police Station at Phulera since the transfer of its jurisdiction to State Police from that of the Railway Police and what was the incidence of the theft and house breaking in the Railway Colony for the corresponding period of the year prior to the transfer of its Jurisdiction ? In how many cases the culprits have been apprehended, challaned and convicted ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : During the period from 1. 10. 59 to 16. 8. 60 after the transfer of Railway Colony, Phulera from GRP to Distt. Police, Jaipur only 6 cases of thefts and burglaries were registered in P. S. Phulera from Railway Colony, Phulera as against 5 in the corressponding period when it was in the jurisdiction of GRP. Out of these 6 cases culprits were apprehended, challaned and convicted in 3 cases.

श्री अध्यक्ष : श्री तेजमल बापना ।

जवासिया एवं समेलिया बन्धों का निर्माण

६०२. श्री तेजमल बापना (बानेड़ा) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

1. Whether the survey of Jawasiya and Sameliya Bunds in Banera and Shahpura Tehsils respectively have been completed ?

2. If so, what is the comnanded area, the land submerging and the estimated costs of both these bunds ?

3. Whether it is a fact that Jawasiya Bund in Banera Tehsil is more important and beneficial to cultivators ?

4. If so, when it is to be constructed ? If not, why ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) व (४) इस संबंध में अभी जांच नहीं हुई है; अतः प्रश्न नहीं उठता।

श्री तेजमल बापना : कब से कार्यवाही चल रही है ? कार्यवाही तो काफी अर्से से चल रही है ।

श्री दौलतराम : कार्यवाही एक बार शुरू की गई थी लेकिन २ तालाब पड़ते हैं उनके कैचमेन्ट एरिया का तय नहीं हुआ; इसलिए इसमें कुछ विलम्ब हुआ ।

श्री तेजमल बापना : अब कब तक पूरा हो सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : इसको एग्ज़ामिन किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई !

ग्राम अचनारा (चित्तौड़गढ़) के आदिवासियों से पुलिस द्वारा बल प्रयोग से बन्दूकों की लाइसेन्स फीस की वसूली

६०३. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम अचनारा में आदिवासियों से बन्दूकों की लाइसेन्स फीस की वसूली के सम्बन्ध में माह नवम्बर व दिसम्बर १९५९ में तहसील कार्यालय द्वारा आदेश दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि लाइसेन्स फीस की वसूली पुलिस द्वारा बल प्रयोग से की गई थी ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

(३) क्या सरकार के पास लाइसेन्स फीस की वसूली के संबंध में पुलिस द्वारा बल प्रयोग व रिश्वत आदि की शिकायत पेश हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कदम उठाया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री मोगजी भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि 'जी नहीं'। वहां अचनारा ग्राम में आदिवासियों से लाइसेन्स फीस वसूल की गई, वह पुलिस के द्वारा की गई। कैसे किया है ? पुलिस के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया कि पुलिस के एक सिपाही ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और किसी से पांच रुपये, किसी से ७ रुपये लिए गये, ऐसा थानेदार ने किया, जब कि लाइसेन्स फी १) रुपया सालाना वसूल करते हैं। लेकिन लोगों से ५ रुपये, १० रुपये वसूल किये हैं। आपने फरमाया कि 'जी नहीं', तो उसका क्या आधार है ? किस आधार पर यह जांच करवाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : बात यह है कि प्रतापगढ़ तहसील का जिक्र कर रहे हैं, लाइसेन्स की जरूरत नहीं है। They are exempted and they need not take और पुलिस भी वसूल नहीं करती।

श्री मोगजी भाई : अगर वसूल किया गया है तो क्या इन्क्वायरी करेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

ढाणी गुमानसिंह (सीकर) में पड़े डाके के डकैतों से हुई पुलिस की भिड़न्त का परिणाम

६०४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नीम का-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

थाना सब डिविजन, जिला सीकर की ढाणी गुमानसिंह में अभी हाल ही डाका पड़ा ? यदि हां, तो यह डाका किस तिथि को किस समय पड़ा ?

(२) क्या यह सही है कि जिस दिन डाका पड़ा उसी दिन सायंकाल एस. पी. सीकर के पास वायरलैस तथा तार द्वारा सूचना पहुँच गई थी ?

(३) यदि हां, तो सूचना प्राप्त होने के कितनी देर पश्चात् एस. पी., सीकर डकैतों के पीछे रवाना हुए ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त डकैतों से पुलिस की अचरोल के पास भिड़न्त हुई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, यह डाका ८ मार्च, १९६० को सायं के ५ बजे पड़ा था।

(२) जी नहीं एस. पी., को सूचना दिनांक १०. ३. ६० को दोपहर में हुई थी।

(३) एस. पी. सूचना प्राप्त होते ही शीघ्र रवाना हो गये।

(४) जी हां, इस भिड़न्त में डाकुओं का एक ऊंट मारा गया तथा उन्हें अन्य ३ ऊंट, ६० कारतूस ३०३ बोर के, ३५ कारतूस १२ बोर के व अन्य काफी सामान छोड़ कर पहाड़ तथा जंगलों की आड़ लेकर भागना पड़ा। पहाड़ों व जंगलों के कारण उनका भरसक प्रयत्न करने पर भी पता न चल सका।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जो घटना हुई थी सायंकाल, इसकी सूचना तार द्वारा एस. पी., सीकर को दी गई थी और उनको उसी दिन सायंकाल सूचना मिल गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे कहा कि उनको सूचना १० तारीख को मिली।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब शाम को सूचना मिल गई तो दूसरे दिन दोपहर को क्यों गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनको दस तारीख को दोपहर में तीन बजे सूचना मिली और वे तुरन्त रवाना हो गए।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

दिनांक ६ सितम्बर, १९६० का स्थगित प्रश्न

सरपंच, ग्राम पंचायत अलीगढ़, तहसील उनियारा द्वारा अलीगढ़ मिडल स्कूल के निर्माण हेतु पंचायत कोष से प्रदत्त धन-राशि

१८४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत अलीगढ़, तहसील उनियारा ने

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

अलीगढ़ मिडल स्कूल बनाने के लिए कोई धन–राशि पंचायत के कोष से दी है ? अगर हां, तो कितनी और किन आधारों पर ?

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत ने अपने अधिकार से ही यह धन–राशि दी है ? क्या उसे पंचायत समिति अथवा परिषद से ऐसी मोटी रकम देने पर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है ? अगर स्वीकृति लेना अनिवार्य है तो क्या उक्त पंचायत ने पंचायत समिति आदि की स्वीकृति प्राप्त की है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां। रु० १,१११) मिडल स्कूल अलीगढ़ को हायर सैकिन्डरी स्कूल की तामीर में सहायता दी गई थी। स्कूल भवन में चार नये कमरे जिनका अनुमानिक व्यय १५,०००)रु० था उसमें सहायतार्थ दी गई।

(ख) नहीं। ऐसी धनराशि देने के लिए पंचायत समिति की स्वीकृति आवश्यक थी। पंचायत समिति द्वारा स्वीकृति दिनांक ३०–११–५६ को दे दी गई थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि वह मिडिल स्कूल अलीगढ़ हायर सैकिन्डरी में परिवर्तित कर दी गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : परिवर्तन कर दी गई या नहीं, यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि हायर सैकिन्डरी मानकर उसको धन–राशि दी गई तो मैं पूछता हूँ कि हायर सेकन्डरी किस साल बनी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है लेकिन उसकी आशा में भी तो दी जा सकती है। उसकी आशा में कि कमरे बनाए जा रहे हैं और फिर हायर सेकन्डरी बनाने के लिए यह शर्त भी सरकार की रहती है कि कमरे बन जाने के बाद ही हायर सेन्कडरी खोली जायेगी, तो इसकी आशा में भी तो सहायता दी जा सकती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि हायर सेकन्डरी के नाम पर जो रुपये लेनेवाले हैं उन्होंने हायर सेकन्डरी के नाम पर ब्लफ करके सरपंच से रुपया वसूल किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। क्या सरपंच से वसूल किया है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह रकम किसको दी गई ? कमेटी को दी गई या किसी व्यक्ति को दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह प्रश्न तो अलग होता है। आपने तो यही पूछा है कि सहायता दी गई या नहीं ? इसके लिए मैंने कह दिया कि दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब सहायता दी गई तो किसको दी गई और किसके लिए दी गई ? हायर सेकन्डरी के लिए जो सहायता दी गई तो किसी कमेटी को दी गई या किसी व्यक्ति को दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हायर सेकन्डरी के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव किया था और पंचायत समिति ने उसका समर्थन किया था, उसके बाद रकम दी गई है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): उसका अकाउन्ट किस तरह रखा जाता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रकम को इसी कार्य में लिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या लैप्स हो गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो रकम दी गई है वह हायर सेकन्डरी के लिए ही दी गई है, लैप्स हो गई; मैंने नहीं कहा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या पंचायत समिति द्वारा भी दो तीन हजार रुपये दिए गए ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

दिनांक ८ सितम्बर, १९६० का स्थगित प्रश्न

पंचायत करेडा में धर्मार्थ रकम की वसूली

४३२. **श्री शिवचरणदास** (मांडल): क्या पंचायत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(क) जिला भीलवाड़ा, तहसील मांडल की करेड़ा पंचायत में धर्मादे के नाम से इन दो सालों में किस किस व्यक्ति से कितनी रकम वसूल की गई ? तारीख वाइज़ सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या पंचायत का यह रकम वसूल करना वैधानिक है। यदि हां, तो कैसे ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रकम उन्हीं व्यक्तियों से वसूल की गई है जिनके पंचायत में केसेज़ पेंडिंग थे ? यदि नहीं; तो सूची में वे कौन से व्यक्ति हैं जिनके केसेज़ पेंडिंग नहीं थे ?

(घ) उक्त वसूल शुदा धर्मादे की रकम कहां, किस मद में जमा की गई और किस मद में किस प्रकार खर्च की गई ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) धर्मार्थ कोई रकम वसूल नहीं की गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(१२. ०४ म० प०)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पृथ्वीराज (गंगापुर-सु.): प्रश्न सं० ५८० ले लिया जाता तो ठीक होता, काफी जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब तो समय काफी हो गया है।

मुख्य मंत्री महोदय के निजी सचिव के प्रति विशेषाधिकार प्रश्न सम्बन्धी

श्री फतहसिंह (भीम) : On a point of order, Sir, मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था; मैं उस सम्बन्ध में श्रीमान् की व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : It will be given in due course.

श्री फतहसिंह : सवाल यह है कि कल से सदन स्थगित होने वाला है और प्रश्न बड़े महत्व का है । सदन के नेता के निजी सहायक ने विशेषाधिकार का हनन किया है । श्रीमान्, एक पत्र सदन के नेता तक पहुंचाने के लिए दिया गया वाच एण्ड वार्ड का, मेरे सामने सदन के नेता के निजी सहायक ने...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को मैं कह चुका हूं....

श्री फतहसिंह : छीन लिया, उन तक नहीं पहुँचने दिया । मैंने जब उनसे पत्र वापिस चाहा तो वापिस नहीं दिया और बड़ी अभद्रता का व्यवहार किया । निजी सहायक का यह कार्य बड़ा अपमानपूर्ण है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसको अगर हम आगे के लिए टाल दें तो उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : टालने का प्रश्न पैदा नहीं होता है । माननीय सदस्य को जानना चाहिए कि प्रिविलेज मोशन्स को न तो इतना लाइटली उठाना चाहिए और न उनको लाइटली डील किया जाना चाहिए । आपने जो पोइन्ट उठाया है उस पर कार्यवाही हो रही है, आखिर उसमें समय लगेगा । इस सम्बन्ध में कई लोगों से जानकारी की गई है तथा और भी जानकारी की जा रही है । इसलिए मैंने आपसे कह दिया कि यथासमय व्यवस्था दे दी जायेगी ।

श्री फतहसिंह : प्रिविलेज मोशन्स के मामले तो जल्दी डील किए जाने चाहिए और अब तक व्यवस्था दे दी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : It can still take long time, I can assure the Hon'ble member...

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : जो प्रिविलेज मोशन रखा गया है तो उसके अन्दर इतना समय नहीं लगना चाहिए और जल्दी ही व्यवस्था दी जानी चाहिए । जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार मिनिस्टर्स के पी. ए. करते रहें तो ठीक नहीं हो सकता है । इस प्रकार के व्यवहार के लिए हमें प्रोटेक्शन है आपका । जब असेम्बली की प्रेमिसेज़ के अन्दर यह व्यवहार होता है तो बाहर की तो बात ही क्या की जा सकती है । असेम्बली प्रेमिसेज़ में ऐसा व्यवहार हो जाता है तो हमें आपका पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये । अगर सदन के नेता तक हम कोई पत्र पहुंचाना चाहें और वह भी असेम्बली प्रेमिसेज़ के अन्दर भी उन तक न पहुँचा सकें तो यहां तो कम से कम इसकी फ्रीडम होनी चाहिये और इसके लिए व्यक्तिगत आधार पर भी आपको जरूर सोचना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले ही कह चुका हूं कि व्यवस्था दे दी जायगी लेकिन यह तो

(श्री अध्यक्ष)

सारी जानकारी करने के बाद ही हो सकता है।

I certainly rearise the importance being attached to this matter.

श्री श्रीभानसिंह : I would like to know why the P. A. of the Chief Minister was allowed in the Committee Room. He should not be allowed to enter into the Committee Room. Are they allowed to snatch away the papers...

श्री अध्यक्ष : It is why so many things are to be looked into and...

मेजर श्री फतेहसिंह : This is a matter of evidence before the Privilege Committee...

श्री अध्यक्ष : It is for the Privilege Committee but...

श्री श्रीभानसिंह : I draw your attention, Sir, to...

श्री अध्यक्ष : Order Please ! Order !!

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, इस सदन के सदस्य होने के नाते राजस्थान की जनता के प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है, जो उत्तरदायित्व है उसको हम हमारे सदन के नेता तक पहुंचाना चाहें तो वह भी बीच में ही छीन लिया जाय तो यह हमारा अपमान नहीं, सारे राजस्थान की जनता का अपमान है।

(दो-तीन माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : There would not be any debate on this point of such a nature. I assure the Hon'ble member that this has been looked into very seriously and it will be dealt with at the proper time.

मेजर श्री फतहसिंह : इस तरह का व्यवहार होता है तो इस सदन के सदस्य नहीं होना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए !

श्री अध्यक्ष :Order Please ! Order !!

जन-लेखा समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी।

श्री हरिदेव जोशी (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं गबन के मामलों से सम्बन्धित जन लेखा समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्राक्कलन समितिके सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री भोलानाथ।

श्री भोलानाथ (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

गैर सरकारी विधायी कार्य

पुरः स्थापित किये जानेवाले विधेयक

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित)

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८

(गैर सरकारी विधेयक-विचारार्थ)

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान में समाज शिक्षण के निमित्त एक बोर्ड की स्थापना करने हेतु विधेयक, १६५८ विचारार्थ लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के प्रवर समिति के प्रतिवेदन को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का सारे भारत के समाज शिक्षण की दृष्टि से अनायास ही महत्व हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय, आज सारे भारत में समाज शिक्षण की समस्या की ओर इसका महत्व न केवल मान लिया गया है लेकिन इस क्षेत्र में विचार करनेवाले, काम करनेवाले और रात-दिन समाज शिक्षण की बात को आम वयस्कों तक पहुंचानेवाले जितने भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यकर्त्ता हैं वे सब यह मानते हैं कि समाज शिक्षण के प्रबन्ध, समाज शिक्षण के प्रयोग, उसके अनुसंधान और उसको एक अच्छी गत्यात्मक गति देने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि उसका एक उत्तरदायी विधान किया जाय। अनायास ही मैं यह बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार की समाज शिक्षण की स्थायी समिति के अन्दर भी यह विचार कई अर्से से चल रहा है और अखिल भारतीय समाज शिक्षण एसोसियेशन की ओर से निरन्तर कई अर्से से देश के विभिन्न स्थानों पर जो सेमीनार्स हो रहे हैं उनमें इस प्रकार से विचार चल रहा है. और अभी गये वर्ष डलहौज़ी में, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में समाज-शिक्षण के प्रबन्ध, प्रयोग, अनुसंधान और उसको शास्त्रीय गति देने की दृष्टि से स्थायी बोर्डों का विधान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में और विशेषकर राजस्थान में समाज शिक्षण के प्रबन्ध, उसके अनुसंधान और प्रयोग की दृष्टि से ऐसा कोई मध्यस्थ तन्त्र नहीं है कि जो हमारे वयस्क शिक्षण की दृष्टि से न केवल मार्ग-दर्शन दे सके, बल्कि उसमें गति और विस्तार ला सके। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह प्रयास आज इस सदन के सामने रखा गया है और इस सदन के द्वारा आज देश के सामने है। यह एक महत्वपूर्ण प्रयास बन गया है, अध्यक्ष महोदय। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो समाज शिक्षण के प्रतिनिधि हैं उनकी जो प्रक्रियायें इस बिल के सम्बन्ध में हुई हैं वे संक्षेप में यही हैं कि राजस्थान के द्वारा, खास तौर से हमारे इस सदन के द्वारा देश के सामने समाज शिक्षण के प्रबन्ध और प्रयोग की

(श्री जनार्दनराय नागर)

दृष्टि से जो यह कदम लिया जा रहा है वह विकेन्द्रीकरण के बाद में एक दूसरा प्रगतिशील कदम है। मैं इस बात के लिए अपने आपको यदि एक संतुष्ट स्थिति में प्राप्त करता हूं तब मैं यह कहूं कि हम इस सदन के द्वारा इस विधेयक को लाकर एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे अनायास ही भारत के समाज शिक्षण जगत को एक रास्ता मिलेगा।

मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, अध्यक्ष महोदय। आज राजस्थान के वयस्कों का ही नहीं लेकिन सारे देश के वयस्कों के शिक्षण का बड़ा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हमारा नवोदित भारतीय जनतन्त्र जब तक परिपुष्ट नहीं हो सकेगा, आज ,विकास का जो काम चल रहा है, देश का आयोजित विकास हम करना चाहते हैं, तो वह संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे वयस्कों के मन में अन्धकार है, जो दुर्भाग्य से, अध्यक्ष महोदय, भारतीय समाज में निरन्तर रूप से बढ़ रहा है। मुझे बड़ा दुःखद सा मालूम हुआ है कि हम अपनी जनता को किसी भी प्रकार से आलोकित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ साधुओं ने, कुछ संतों ने, कुछ भिक्षुओं ने और हमारे कुछ कीर्तन करने वाले लोगों ने हमारी जनता को अनायास ही शिक्षित रखा। उनको धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और घरेलू जीवन की मर्यादाओं की दृष्टि से शिक्षित रखा। एक आयोजित समाज की व्यवस्था के लिए, जनतन्त्रीय जीवन की पद्धति के लिए यह आवश्यक हो गया है कि समाज शिक्षण के सारे काम को न केवल विस्तृत करें, न केवल फैलायें, लेकिन उसको एक शास्त्रीय आधार पर भी लायें। आज समाज शिक्षण का काम केवल भावना का काम नहीं रहा, अध्यक्ष महोदय। वह आज सबसे बड़ी शिक्षा का काम रहा है। यदि आप बालकों की शिक्षा में वृद्धि, पौगण्डों और नौजवानों की शिक्षा में वृद्धि को लें तो सारी वृद्धियां समाज शिक्षण की वृद्धि के सामने संकुचित हैं। जो आज कुल मिलाकर राजस्थान में बालकों के शिक्षण का सवाल है तो वह ३० लाख बालकों तक जाता है। राजस्थान के नवयुवकों का सवाल अधिक से अधिक ५ लाख तक जाता है, लेकिन हमारे समाज शिक्षण का सवाल कम से कम राजस्थान के एक करोड़ वयस्कों तक जाता है। एक करोड़ वयस्क आज भारतीय समाज की रीढ़ हैं, आज हमारी शक्ति हैं, उनको हमें न केवल शिक्षित करना है, न केवल दीक्षित करना है, लेकिन जनतन्त्रीय पुरुषार्थ के लिए उन वयस्कों को योग्य करना है। उनके जीवन को समृद्ध करना है, उनके जीवन की कई आवश्यकताओं को प्राप्त कराना है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं अनिवार्यता यह मानता हूं कि राजस्थान में समाज शिक्षण के लिए उत्तरदायी प्रबन्ध होना चाहिए।

यह जो प्रवर समिति द्वारा परिवर्तित, जो सुधारा हुआ मसविदा इस सदन के सामने विचारार्थ रखा गया है, अध्यक्ष महोदय, इस पर सारे भारत की दृष्टि से विचार-विमर्श किया गया। इस पर हमने न केवल राजस्थान के समाज शिक्षण के कार्यकर्ताओं की राय ली है, लेकिन भारत के प्रमुख समाज शिक्षाविद है उनकी भी राय प्राप्त की है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे मसविदे को भारत के समाज शिक्षण के नेताओं की, विचारकों

Page No.43

(श्री जनार्दनराय नागर)

की, कार्यकर्ताओं की, संगठकों की और जो बहुत से संस्थाएं चला रहे हैं समाज शिक्षा की उनकी मूल्यवान राय प्राप्त हुई है। उनकी राय के विश्लेषण से हमें काफी मदद मिली है प्रवर समिति के अन्दर और इस बिल को ऐसा बनाया है कि जो भारत के सामने एक नजीर बन सके। मैं यह तो नहीं कहता कि इस बिल के विकास की दृष्टि से गुंजायश नहीं होगी, लेकिन हमारा यह पहला कदम है, यह हमारा साहस है, यह हमारा एक मिशन है। संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की और भारत की वयस्क जनता के प्रति एक मिशन है। आज हमारे देश में समाज शिक्षण की दृष्टि से काफी अर्से से आन्दोलन चल रहा है, काफी गतियां इसकी हैं। आज राजस्थान में जहां तक इसके विकास का प्रश्न है समाज शिक्षा का न्यूनतम कार्य हो रहा है। मैं मानता हूं कि समाजशिक्षण के न्यूनतम काम के लिए और सार्वजनिक दृष्टि से जो काम किया जा रहा है तो यह अनिवार्य हो गया है, अध्यक्ष महोदय, कि हम राजस्थान में एक मध्यस्थ तन्त्र कायम करें जिससे एक ओर तो हम समाज शिक्षण की संस्थाओं को, संगठनों को मार्ग-दर्शन दे सकें, उन्हें सलाह दे सकें, उन्हें परामर्श दे सकें और दूसरी ओर समाज शिक्षण की दृष्टि से व्यवस्था, प्रयोग और अनुसंधान कर सकें। आज हमारे देश में मैसूर स्टेट एडल्ट एजुकेशन कौन्सिल आज एकान्त रूप से समाज शिक्षण के मामले में सारे राज्य भर में काम कर रही है। हमारे सामने एक नजीर मैसूर स्टेट एडल्ट एजुकेशन कौन्सिल की है जो सारे राज्य में समाज शिक्षा का काम कर रही है। एक-दो और राज्यों में समाज शिक्षा की संस्थाएं चल रही हैं। वह समाज शिक्षण की दृष्टि से प्रयोग और अनुसंधान करती हैं। उसको राज्य की मान्यता प्राप्त है, अध्यक्ष महोदय, और मैसूर स्टेट में जिसने समाज शिक्षण की दृष्टि से अग्रगण्य काम किया है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि विभिन्न प्रकार की केवल सलाह देनेवाले मामूली बोर्डों की रचना समाज शिक्षण के व्यापक महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं मानता, अध्यक्ष महोदय, कि अपने राजस्थान में यदि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तार और विकास करना चाहते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं, उससे एक चैतन्य राजस्थान के समाज में उत्पन्न होगा। उससे एक बड़ी समस्या हमारे सामने होगी। वह समस्या हमारे वयस्कों के मानसिक जीवन के संबंध में है। हम सब इस बात को जानते हैं कि राजस्थान का वयस्क आज उत्साहित है, चेतनायुक्त है, वह विकास करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको शिक्षा और शक्ति चाहिए, उसके लिए विद्या चाहिए और समझ कर काम करने की स्फूर्ति भी चाहिए। यह सारा काम, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण बोर्ड के जरिये हम अच्छी तरह से कर पायेंगे।

मैं मानता हूं कि इस मामले में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो यह है कि केवल कुछ सलाहकार तन्त्र बना दिये जायं और भारत के एक-दो राज्यों में ऐसे सलाहकार तन्त्र हैं, लेकिन उन सलाहकार तन्त्रों से समाज शिक्षा का काम नहीं चल सका। यही वजह है कि अखिल भारतीय स्तर पर समाज शिक्षण संस्थाएं यह सोचने

Page No.44

(श्री जनार्दनराय नागर)

लगी हैं कि उत्तरदायित्वपूर्ण विधान इस मामले में किया जाना चाहिए। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है इस सदन के सदस्य के नाते कि मैं सदन के सामने बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में ले सका और इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रवर समिति से प्रतिवेदन से मंडित इस विधेयक को विचारार्थ यहां पर प्रस्तुत करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा नोट ऑफ डिसेन्ट है ....

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी का संशोधन है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप मन्त्री शिक्षा) : विचारार्थ लेने के बाद....

श्री अध्यक्ष : आपका जो मोशन है उसमें एमेंडमेंट है कि रीकमिट किया जाय सिलेक्ट कमेटी को।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षा का आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। विचार अच्छा है और समाज शिक्षा के लिए कोई बोर्ड बनाया जाय, वह भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक ही बात है। लेकिन आज के कन्टेक्सट में समाज शिक्षा के जिस उद्देश्य को लेकर यह बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं और बोर्ड के जिन जिन कामों का इसमें जिक्र किया गया है इन कामों को आज ही शुरू कर देना चाहिए और आज जो एफर्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा एक्सपेन्स करना चाहिए या नहीं चाहिए; यह भी बात हमें इस बिल को पास करने से पहिले सोचना चाहिए। हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा के लिये हमने ६८ लाख रुपयों का प्रावधान रखा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ड्राफ्ट प्लान था उस पर डिस्कशन हुआ उस समय हम चाहते थे कि हमारे जो प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हैं जैसे इन्डस्ट्री है, एग्रीकल्चर है उस पर ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिये बनिस्पत दूसरे कामों के। इसके अलावा सोशियल एजुकेशन के लिये हमने प्लान में ज्यादा पैसा रखा है। यदि इस बोर्ड का गठन करेंगे तो उसके लिये थर्ड इयर प्लान में और पैसे का इन्तजाम करना होगा और वह १५–२० लाख रुपयों के करीब होगा; १० लाख से तो हर्गिज कम नहीं हो सकता इन पांच वर्षों में। इसके लिये प्रावधान करना होगा। इसके डिटेल में जाने से पहले एक बात यह आती है कि आया इस बिल को पास कर दें उसके बाद इम्प्लीमेन्ट करने के लिये साधन हैं या नहीं ? जो फंड्स चाहिये, वे हम दे सकते हैं या नहीं ? जो अगर नहीं दे सकेंगे तो इस बिल को अभी हम पास करें या न करें, यह सोचने की बात है।

जहां तक इस बोर्ड के फंक्शन्स हैं, उद्देश्य हैं, मुझे विशेष ऐसी बात मालूम नहीं होती है कि यह जो काम है वह बिल्कुल ही नहीं हो रहा है या यह काम एग्ज़िस्टिंग एजेन्सीज़ नहीं कर पा रही हैं; मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। खास करके इसका काम सुपरविज़न का रखा है....

Page No.45

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : On a point of order, Sir, एग्ज़िस्टिंग एजेन्सीज़ कौनसी हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : जो भी हैं। सोशियल एजुकेशन या सोशियल सर्विस के लिये गवर्नमेंट की एजेन्सीज़ हैं वे भी वही काम करती हैं। सोशियल एजुकेशन वेग टर्म है Social Education is not a separate thing which you can take away from education. If you have to bifurcate and make social Lducation a separate item, I think it will defeat the purpose of that comprehensive and intensive Education which we are aiming at. इसलिये सोशियल एजुकेशन का नाम हमने दे रखा है उसमें कुछ आइटम्स आ जाते हैं। यहां इसमें सोशियल एजुकेशन का मतलब दिया है; इसमें यह मतलब बताया है " 'Social Education' means the education which, while providing social education to a person, helps him in becoming a respectable member of society and, thus, creates consciousness and capacity for all round development of the society." यह सोशियल एजुकेशन का मतलब बताया जाता है। I think the purpose of education is also the same. हम जो शिक्षा देना चाहते हैं उसका मतलब भी यही है, to build up a citizen. A conscious and dutiful citizen हम क्रिएट करना चाहते हैं। एजुकेशन का भी यही मतलब है। लेकिन जो कॉम्प्रिहेन्सिव एजुकेशन का मतलब है उसमें सोशियल एजुकेशन का विशेष मतलब यह दिया है : "...includes spreading of literacy and adult education work, community education and experiments relating thereto, creating material literature of social education, activities relating to information and imparting of social education, coordination and miscellaneous organizational activities pertaining to social education, and all such works, activities, writings, editions, inscriptions and compilations, which with their continuous and dynamic development and which, with and through their full objects, parts, organisations and facts, ingredients and experiments, come under or are according to or in conformity with practical and organisational aspects of social education." यही सोशियल एजुकेशन की डेफीनिशन है। अब इसको जहां तक मैं समझ पाया हूं जो आगे का हिस्सा है "build up a responsible and respectable citizen"...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति को जो बिल पेश किया गया था उसमें सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह से संशोधित नहीं किया गया है। जैसे 'पदेन सदस्यों' में बताया था विकास आयुक्त या उसका कोई प्रतिनिधि, संचालक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान तथा संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान; लेकिन जो विधेयक पेश किया गया है उसमें सारी की सारी लिस्ट ज्यों की त्यों रखी है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : जो अन्डरलाइन किये गये हैं उनको रखने का प्रवर समिति का मतलब है।

श्री पी० के० चौधरी : जहां तक लिटरेसी एण्ड एडल्ट एजुकेशन का सवाल है, एडल्ट एजुकेशन के बारे में मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि हमारे जो एफर्ट्स इसके लिये रहे हैं वे ज्यादा सफल नहीं हुए हैं और हमारे पास जो फंड्स हैं उनके बारे में there are tremendous demands on it from various directions. जैसे एग्रीकल्चर की तरफ से डिमान्ड है, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से रिसोर्सेज़ पर डिमान्ड है, इन्डस्ट्रीज़ के लिये डिमान्ड है। एडल्ट एजुकेशन के लिये जितने प्रयास हुए हैं उनको हमने देखा है। एडल्ट एजुकेशन सफल नहीं हो सकी। सोशियल एजुकेशन बोर्ड के बारे में आपका मेन प्लेन्क यह है कि एडल्ट एजुकेशन हो। इसमें लिटरेसी प्लस अदर शॉर्ट ऑफ एजुकेशन दोनों का समावेश किया है। मैं मानता हूं कि आज जो हमारी इकोनोमी है, रिसोर्सेज हैं, उनमें पिछले १०–१५ साल का तजुर्बा है, इन्डिपेन्डेन्स से पहले का तजुर्बा है उसको देखने से पता चलता है कि एडल्ट एजुकेशन सफल नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह १० साल और रुक सकता है। किसी एडल्ट को लिटरेट कर दें इससे बहुत बड़ा फायदा मिल जायगा, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले तो इम्प्रूव्ड मैथड ऑफ एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में उसको बतावें, फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में उसको बतावें, आर्टिज़न के लिये मशीनरी वगैरह का इन्तजाम कर दें, that is more useful; तो जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसके जरिये रिसोर्सेस को डेवलप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी बात यह है कि डेवलपमेन्ट वर्क के लिये एडल्ट एजुकेशन है; जैसे गवर्नमेंट ने अलग इन्डिविजुअल एक्सटेन्शन सर्विसेज़ चालू कर रखी है, जैसे इन्डस्ट्रियल एक्सटेन्शन सर्विस, एनिमल हस्बेन्ड्री एक्सटेन्शन सर्विस आदि, ये सारी की सारी एडल्ट एजुकेशन की एजेन्सीज़ हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : वे एजेन्सीज़ कौनसी हैं? आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : ये यह बता रहे हैं कि इन इन बातों के कारण इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव है।

श्री पी० के० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में इसके कॉन्स्टिट्यूशन में जाऊंगा। क्लॉज़ ४ में कम्पोज़ीशन ऑफ दी बोर्ड दिया है। बोर्ड के कम्पोज़ीशन में ५५ आदमी होंगे। There will be 55 persons in the Board. उसमें से 19 will be elected and the rest of the people यानी ३६ आदमी नोमिनेटेड होंगे; जब कि जो एक्सपर्ट ओपीनियन उन्होंने मंगाई थी उसका भी जिक्र आया है on page 3 of the report : "The above mentioned gentlemen advised the Committee that there was a need of a central organisation for the management, development and spread of social education in Rajasthan...The Board should also undertake the work of experimentation in social education." मैंने इसमें पढ़ा है, उनकी एडवाइस चाहिए। वह नॉन ऑफिशियल कंट्रोल में होनी चाहिए, ऑफिशियल कन्ट्रोल में नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल प्रीपोन्डरेन्स इसके मैनेजमेंट में नहीं होनी चाहिए। मैं इसके कम्पोज़ीशन को देखता हूं तो उसमें अबाउट ५५ मेम्बर्स

(श्री पी० के० चौधरी)

ऑफ दी बोर्ड हैं; उसमें सिर्फ १६ आदमी इलेक्टेड हैं और बाकी ३६ आदमी हैं, वे नोमीनेटेड हैं। फिर उनकी कौंसिल है। अध्यक्ष महोदय, गवर्निंग कौंसिल, गवर्निंग कौंसिल के १४ मेम्बर्स में से ६ इलेक्टेड एलीमेंट से आते हैं और बाकी ८ आदमी नोमीनेटेड एलीमेंट से आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, हालांकि वह ओटोनोमस बॉडी आप बना रहे हैं लेकिन ऑफिशियल नोमीनेटेड रिप्रजेन्टेटिव जो है, उसका बोर्ड में प्रीपोन्डरेन्स रहता है, एक गवर्निंग बॉडी है, उसमें प्रीपोन्डरेन्स रहता है। उसके बाद है, पॉवर एन्ड फंक्शन्स ऑफ दी बोर्ड। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह कह दिया था: "It will be simply and purely an advisory body" लेकिन उसमें रेगुलेशन का भी आ गया है "(11) To undertake any work, activity or function necessary for the regulation and supervision of social education in Rajasthan and for the fulfilment of the objects of the Board." अध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड के लिए पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कह दिया गया है: "It will be simply advisory, and it will give only guiding principles." ये जो ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स हैं, तो उसका जो कॉन्स्टीट्यूशन है, उसको जो पॉवर्स दी जायंगी, उसमें हमारा दृष्टिकोण एक तरह का हो सकता है, लेकिन उसकी पॉवर में यह आ जाता है "...function necessary for the regulation and supervision of social education." यह वाइड फंक्शन आया बोर्ड का। पॉवर ऑफ सुपरवीजन दे देते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन्स क्या होते हैं virtually it becomes in charge of the entire thing और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उनका कंट्रोल उसके हाथ में आता है। फिर उसका कम्पोज़ीशन एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। इसलिए यह साफ जाहिर नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में जो कारण बताया गया है एडवाइज़री नेचर का रहेगा, वहां जो बिल में प्रावधान है उसमें रेगुलेशन बनाने का, उसके कंट्रोल का, पॉवर फंक्शन देने जा रहे हैं। हम इनमें वेरियेशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में जो है और जो एक्चुअल प्रावधान किये गये हैं क्योंकि बोर्ड के कॉन्स्टीट्यूशन के बाद इसे वाइड पॉवर्स दी गई हैं, मैं समझता हूं कि एडवाइज़री बोर्ड है उसका कॉन्स्टीट्यूशन किस प्रकार का हो सकता है, जो रेगुलेटिंग और सुपरवाइज़री बोर्ड है, रेगुलेशन और सुपरवीजन की दोनों चीजें जिसके हाथ में आ जाती हैं, उसका कम्पोज़ीशन कैसा हो, उसको एक दूसरे दृष्टि बिन्दु से हम देखते हैं। इस प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कहा गया है और जो प्रोविज़न्स उसमें किये हैं, उन दोनों में भेद है।

इस बिल के साथ कई नोट्स ऑफ डिसेन्ट हैं, जिनमें माननीय सदस्यों ने अपने अपने ग्राउन्ड डिसेन्ट के लिए दिये हैं; जो इस कमेटी के मेम्बर थे। इस हालत में, मैं समझता हूं, कि सिलेक्ट कमेटी में इसे रिकमिट करके इस पर विचार किया जाय तो अच्छा होगा। इसके साथ साथ एक बात और पोइन्ट आउट करना चाहता हूं: "(7) To recognise the various official and non-official institutions of social education and affiliate them."

Page No.48

(श्री पी० के० चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, आज तक सोशियल एजुकेशन की जितनी एजेन्सी नॉन गवर्नमेंट चला रही हैं: वे ज्यादातर फिलेन्थ्रोपिकल एजेन्सीज़ हैं, जो आज कल चल रही हैं। यह जो इसमें एफीलियेशन का क्लॉज़ डालते हैं, यह पता नहीं है, यह एफीलियेशन क्लॉज़ डालने से यह मालूम नहीं है, एफीलियेशन और रिकगनीशन के बारे में कि सोशियल एजुकेशन बोर्ड, फलां जो नाइट स्कूल चलता है, उसको रिकगनाइज़ करेगा और रिकगनीशन करने से क्या ज्यादा फायदा मिलने वाला है ? या फलां प्रौढ़ शिक्षण का कार्य चला रहा है, या मनोरंजन क्लब चल रहा है, यूथ क्लब चल रहा है, महिला मंडल चल रहा है उसको जो बेनीफिट मिलता है उससे ज्यादा बेनीफिट सोशियल बोर्ड द्वारा एफीलियेट होने से, रिकग्नीशन होने से मिलेगा ? यह नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो बहुत सी एजेन्सीज़ हमारे देश में इस प्रकार की हैं, जो वाकई सोशियल एजुकेशन का काम करती हैं, लेकिन वह किसी प्रकार दूसरे के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि इन्डिपेन्डेन्ट हैं। यदि उनको गवर्नमेंट से ग्रान्ट लेनी हो, तो पहले आपको दर्ख्वास्त देती है और जो कन्डीशन्स होती हैं उनको फुलफिल करती है तो उसको ग्रान्ट दी जाती है; अगर नहीं करती है, तो नहीं दी जाती है। मान लीजिये, श्री रामकृष्ण मिसन चलता है, उसमें लाइब्रेरी चलती है, स्कूल चलता है, होस्टल चलता है और अपने ढंग से चलता है। अगर उसको ग्रान्ट लेनी है तो वह दर्ख्वास्त देता है और अगर कन्डीशन्स फुलफिल करता है तो ५० पर्सेन्ट या उससे अधिक ग्रान्ट मिल जाती है। आप इस कानून में कुछ क्राइटेरिया अलग रखेंगे। जो एजुकेशन इन्स्टीटयूशन्स हैं, जो अलग स्पॉटेनिअसली, फिलेन्थ्रोपिकल पर्पज़ के लिए काम करती हैं, उनको ख्याल में रख कर इस बिल पर विचार करना चाहिए कि उनके डेवलपमेंट, उनके विकास में, प्रसार में हमें किसी प्रकार अननेसेसरी अनेक प्रकार के रेस्ट्रिक्शन या बाइन्डिंग तो इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से सोचना चाहिए क्योंकि बोर्ड को रेगुलेशन बनाने की तो तमाम पॉवर हम दे रहे हैं, लेकिन हमें डिसीज़न करना चाहिए कि किस प्रकार के रेगुलेशन नहीं बना सकता, इस सम्बन्ध में बिल में स्पष्टीकरण रहना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सुझाव रखा था कि इस बिल को प्रवर समिति में दे दिया जाय, ताकि डिटेल में जाकर कम्पोज़ीसन वगैरह में सुधार कर फिर इस पर विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मेरा नोट-ऑफ डिसेन्ट है।

श्री शंकरलाल : चौधरीजी ने जो प्रस्ताव किया है....

श्री अध्यक्ष : आप बिल का समर्थन कर दें, उस पर डिस्कशन हो जायगा। इस स्टेज पर दोनों बातें आ सकती हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): दोनों चीजें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक पर सिलेक्ट

(डॉ॰ बहादुरसिंह)

कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत है, इस पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव भी है कि पुनः सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या उसी सिलेक्ट कमेटी में दिया जाय। जो प्रस्ताव पेश हुआ है कि उसी सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, इसका मैं विरोध करता हूं। जो असहमति पत्र मेरा है, उसके लिए सदन के समक्ष निवेदन कर दूं, इस बोर्ड के लिए जिस वक्त सिलेक्ट कमेटी के समक्ष यह विषय आया कि बोर्ड का गठन किस प्रकार से हो ; इसके बारे में जैसा रिपोर्ट में भी है कि भारत सरकार के विभिन्न विद्वानों के मत लिये गये। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विद्वानों के मत से यह बात स्पष्ट हुई कि यह बोर्ड अवश्य बनना चाहिए और राजस्थान का यह कदम उसी प्रकार का कदम माना जिस प्रकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया और उसी प्रकार इस बिल का भी स्वागत हुआ। लेकिन इस बिल के स्वागत के साथ साथ यह मत था कि बोर्ड का गठन किया जाय, वह इस प्रकार से किया जाय कि राज्य सरकार के जहां तक इसके अन्दर अधिकार हों उनको कम किया जाय। मैं विस्तार में न जाकर उनकी एक-एक, दो-दो लाइनें, उनके नाम से इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूं तो ज्यादा उत्तम होगा। एक हैं, एस. सी. दत्ता, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था, दिल्ली की है, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मत था, बोर्ड एक मार्ग प्रदर्शक हो, बोर्ड का कदम हो, वह मार्ग प्रदर्शक कदम हो। योजना, कार्यक्रम, प्रवृत्तियां, इसके संचालन के लिए यह उनका सुझाव था कि यह बोर्ड स्वतंत्र रूप से काम कर सके, ओटोनोमस बोर्ड हो और राज्य सरकार का इसमें कम से कम नियंत्रण हो। इसी प्रकार श्री वी. बी. कार्निक, सचिव, एस. ई. ओ., आर. एस. ई. सी. एम., पूना, इनका मत था कि विधान सभा के इसमें पांच सदस्य हों, जो मैंने अपने असहमति पत्र में भी व्यक्त किया है। लेकिन प्रवर समिति ने इसका निर्माण किया है उसमें विधान सभा के शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के सदस्य हैं उनकी संख्या दो रखी हैं और दो सदस्यों को ही इसमें प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन हमारे पूना के वी. बी. बलिक, मन्त्री एस. ई. ओ. आर. ई. सी. का मत है कि पांच विधान सभा सदस्यों को और पांच समाज शिक्षण के रखे जावें। उनका यह मत था कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की संख्या २१ रखी जावे क्योंकि जब हम २१ सदस्यों की संख्या रखते हैं तो इससे उन लोगों पर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी आवेगी और इस प्रकार से मेरे असहमति पत्र की काफी पुष्टि होती है।

इसी तरह से हमारे डाइरेक्टर रिसर्च ट्रेनिंग एण्ड प्रोडक्सन सेन्टर जमिया मिलिया, दिल्ली के मुश्ताक अहमद साहब का भी इसी प्रकार का मत था कि मेरी दृष्टि में समाज शिक्षा शैक्षणिक प्रयास है, जो जनता को 'जीयो और जीने दो' की प्रक्रिया के लिये तैयार करने में है। जिसमें यह प्रयास संयुक्त है, जीवन में सौन्दर्य और सुगठन, धर्म, रीति—रिवाज और विचारों की सहिष्णुता की भावना। एक बार बोर्ड बनने के बाद उसे कार्य की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये और वित्तीय मामलों की जांच के लिए एक लेखापाल नियुक्त करने का अधिकार सरकार को हो। उनका मत इस बात का है कि फाइनेन्स पर गवर्नमेंट का कन्ट्रोल हो मगर बोर्ड को कार्य करने की स्वतन्त्रता

(डॉ० बहादुरसिंह)

हो । प्रवर समिति ने इनकी राय के विपरीत यह रखा है कि सरकार का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहे, सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति ज्यादा रहें । इससे भी मेरे मत की पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक समाज शिक्षा शास्त्रियों को लिया जाना चाहिये बजाय राजतन्त्र के लोगों के ।

इसी तरह से एक और विद्वान् का मत है कि यदि बोर्ड भंग करना हो तो विधान सभा की राय से किया जावे न कि एक अधिकारी की राय से । उनका भी मत था कि बोर्ड का गठन हो और उसको यदि किसी आवश्यक कार्य से भंग किया जावे और उसका पुनः गठन किया जावे तो विधान सभा में उसके लिये प्रस्ताव लाया जावे और उसके बाद ऐसा किया जावे । इससे उनकी भावना यह थी कि हम राजतन्त्र से दूर इस बोर्ड को रखें लेकिन यहां पर इस बोर्ड का गठन सरकारी मशीनरी के तौर पर है ।

होमर, केम्फर, प्रौढ़ शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार कहते हैं कि बोर्ड का पुनर्गठन विधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए । लेकिन हमने यहां पर सरकारी तत्व ज्यादा रखे हैं । इसके अलावा उन्होंने और मत व्यक्त किया है । राज्य सरकार केवल हिसाब की जांच और अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करे । राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय निषेधमत (वीटो) का व्यवहार न हो । वीटो पॉवर गवर्नमेंट को नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे । माननीय अध्यक्ष, इस बोर्ड के गठन करते समय इस बात की कमी रह गई है । मैंने विद्वानों के मत इसलिए रखे हैं कि जिससे विधान सभा के माननीय सदस्य इसमें पर विचार करें और माननीय सदस्य इस संशोधन प्रस्तुत करें, इसलिए मैंने मत प्रस्तुत किये हैं । उनका मत यह था कि अगर बोर्ड को डिज़ोल्व किया जावे तो विधान सभा के मत लिए जाने आवश्यक हैं क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि राजनैतिक कारण हो सकते हैं और जैसा हम देखते हैं कि समय समय पर इस बात की आलोचना होती है कि सरकारी कर्मचारियों की इच्छा पर बोर्ड भंग किये जाते हैं । समाज शिक्षा संस्था जो शिक्षा देने जा रही है अगर उनके सदस्यों के विचारों का समावेश सरकार के कर्मचारियों के साथ नहीं बैठे तो वे उसे भंग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मत दिया कि जब तक विधान सभा में इसको नहीं लाया जावे इसको भंग नहीं किया जावे । इसलिए इस प्रकार यहां भी होना चाहिये कि विधान सभा में इसको पेश करके और पास करा कर इसको भंग किया जाना चाहिये । इसलिए इस प्रकार की एक बड़ी भारी कमी महसूस की जा रही है । इसके बाद में मैं और भी विद्वानों के मत अपने पक्ष में रखूंगा तो और भी अच्छा होगा !

श्री एस० राघवन, जिला समाज शिक्षा अधिकारी, त्रिवेन्द्रम की राय है कि राज्य को बोर्ड के लेखे की जांच का अधिकार हो, जो बोर्ड बने हैं उन पर फाइनेन्शियल कन्ट्रोल रखें । केवल आपत्तिकाल में जब बोर्ड के कार्य राष्ट्र और राज्य के विरोध में हों तभी राज्य सरकार निर्देशन दे । आपत्तिकाल में ही इसको बन्द किया जावे । इसलिए जब

(डॉ० बहादुरसिंह)

हमने बोर्ड को भंग करने के लिए समाज कल्याण या शिक्षा अधिकारी हो उनकी मर्जी पर रखा है, इसलिए उनके कथन के अनुसार भी कमी रहती है । इसलिए मैं कहूंगा कि जब हम इस बिल पर खंडशः विचार करें तो ध्यान रखना चाहिये ।

इसके बाद एक और विद्वान का मत व्यक्त कर दूं तो अनुचित नहीं होगा ए० आर० वाडिया, डाइरेक्टर टाटा इन्सटी-ट्यूट ऑफ सोशियल साइन्सेज़, बम्बई : उनका मत था कि समाज शिक्षा गैर सर-कारी निर्देशन और मार्गदर्शन में चले । माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े विद्वान का मत है जो एक बड़े इन्सटीट्यूशन के डाइरेक्टर हैं । उनका मत है कि बोर्ड स्वतन्त्र रूप से चलना चाहिये ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपने ए० आर० वाडिया कहा....

डा० बहादुरसिंह : डॉ० वार्डिया का भी मत यही था : यह ओटोनोमस बोडी हो और उसका गैर सरकारी सदस्यों के मार्गदर्शन में संचालन हो । हमने इसको ओटोनोमस बोडी अवश्य बनाया है लेकिन इसमें सरकारी ऑफिसर ज्यादा रखे हैं और गवर्नमेंट नोमिनेशन के कारण हमारा बोर्ड इस तरह का हो गया है जिस प्रकार के आज दूसरे बोर्ड चलते हैं । इसलिए मेरा जो मत था उसकी पुष्टि भी इस विद्वान के जरिये हो जाती है । उनका मत था कि गैर सरकारी सदस्य ज्यादा हों उसमें लेबर युनि-यन और समाज शिक्षा के विशेषज्ञ भी इस बोर्ड के गठन में हों । ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स ज्यादा हों; जैसा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट से प्रकट होता है । यदि मैं इस सम्बन्ध में राजस्थान के विद्वान का मत है उसको भी प्रकट करूं तो उससे भी मेरे विरोध-पत्र की पुष्टि होती है ।

श्री मोहनसिंह मेहता, वाइस चांसलर, राजस्थान विश्व विद्यालय का मत था कि बोर्ड के नियम और उपनियम बनाने का अधिकार उसी को होना चाहिये । बोर्ड को नियम और उपनियम बनाने का अधिकार हमने दिया । उनका मत था कि बोर्ड में १२ सदस्यों का गठन हो । मगर हमने यहां पर बहुत ज्यादा सदस्यों का गठन कर दिया है । इसलिए राजस्थान के वाइस चांसलर का मत है कि बोर्ड का इस प्रकार से गठन होना चाहिये । उनका मत है कि बोर्ड १२ सदस्यों का गठन हो और उसमें समाज शिक्षा क्षेत्र में कार्य करनेवाली स्वेच्छा सेवी संस्थाओं और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व हो। यदि बोर्ड बन गया तो परिणाम निराशा-जनक होगा । प्रत्येक सदस्य की उत्तरदायित्व की भावना में निर्बलता आ जायेगी ।

मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि वास्तव में हमने इसका गठन किया है वह बहुत ही लम्बा चौड़ा है । एक सबसे बड़ा काम इस विधेयक में मेरे समझ में आया है कि इसमें अध्यक्ष होगा, हालांकि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह सरकार द्वारा नामजद हो । यह हो सकता है कि माननीय सदस्यों के मत इस सम्बन्ध में कुछ भी हों मगर मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि वह सरकार द्वारा नामजद हो । क्योंकि जहां तक हम समाज का शिक्षण करना

(डॉ० बहादुरसिंह)

चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वास्तव में हम जो देश में विकास कार्य चला रहे हैं उससे अच्छी तरह से हमारे लोग शिक्षित होकर अच्छे नागरिक इस काम में आगे आवें और अच्छे नागरिक बनें। इस बात को लेकर यह विधेयक सदन के समक्ष था और हमने चाहा कि राज्य सरकार के द्वारा चेयरमैन नोमिनेटेड हो। बोर्ड के पर्सनल्स में से एक आदमी को गवर्नमेंट नोमिनेट करे। लेकिन जब हम स्वतन्त्र शिक्षा समाज का गठन करने जावेंगे तो या तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, ऐसा शिक्षा शास्त्री होना चाहिए जिसका दृष्टिकोण शिक्षा समाज की ओर हो और अनुभवी हो। इस सम्बन्ध में शिक्षा संस्थाओं का दृष्टिकोण दूसरा

(१ म० ५०).

होता है। ऐसा न हो कि किसी प्रकार की दलबन्दी आ जावे। मगर जब आपस में दृष्टिकोण में अन्तर आ जाता है तो दलबन्दी आ जाती है। यह ठीक नहीं होगा कि जहां हम समाज शिक्षा का काम देना चाहें वहां पर किसी प्रकार की दलबन्दी आ जावे। इसलिए मेरा यह मत है कि इस बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतन्त्र व्यक्ति होना चाहिये और बोर्ड के द्वारा नामजद या निर्वाचित होना चाहिये था। लेकिन उस प्रकार की व्यवस्था न करके इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि बोर्ड के अध्यक्ष के लिए एक पैनल रखा जावेगा और सरकार उनमें से नामजद करेगी।

अब नियम और उप नियम बनाने का भी सवाल है। जहां हम आजादी देना चाहते हैं उसमें मेरा तो मत इस प्रकार है कि संचालन और शिक्षा के लिए जो नियम और उप नियम बनें वे बोर्ड के अधिकार में ही होने चाहिये। जहां निर्वाचन या पुनर्गठन के नियम हों वहां पर राज्य सरकार को अधिकार देने चाहिये और राज्य सरकार को अधिकार देने का तात्पर्य है विधान सभा को वे अधिकार हों। विधान सभा को यह अधिकार होता है कि सरकार कोई नियम या उपनियम बनाये तो वह उसमें सुधार कर सके। इस प्रकार से निर्वाचन सम्बन्धी नियम और नामजद करने के नियम थे उन पर विधान सभा का सीधा नियन्त्रण होता है इसलिए इस पर भी मेरा एतराज था।

इस बोर्ड के बारे में मैं अन्त में माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं और इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा सारे देश में एक वातावरण बनाया गया था। जैसी प्रवर समिति की रिपोर्ट है उसमें भी आखिर में है कि कितने देश के विद्वानों को इस विधेयक की प्रश्नावली भेजी गई थी और उनके क्या मत आये थे। वे डॉक्युमेन्ट्स जिम्मेदारी के डॉक्युमेन्ट्स हैं और उनकी भावना है वह समाज शिक्षा में काफी बड़ा मार्ग-दर्शन दे सकती है। यह एक बड़ा आन्दोलन था। जिस समय सिलेक्ट कमेटी उदयपुर गयी थी उस वक्त समाज शिक्षा के बारे में एक बड़ा वातावरण था, जो बड़ा ही सराहनीय था। माननीय सदस्य, जो इस विधेयक में रुचि ले रहे हैं ने इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर इस पर खण्डशः विचार करें। असहमति पत्र प्रस्तुत करते हुए मेरा यह निवेदन था कि बोर्ड का गठन हो वह एक स्वतन्त्र संस्था

(डॉ० बहादुरसिंह)

के रूप में हो; उसमें कम से कम सरकारी अधिकारी लेंगे तो यह ज्यादा उपयोगी होगा और सरकारी नियन्त्रण भी कम से कम हो, जिससे इस बोर्ड को अधिक उपयोगी बना सकें और समाज शिक्षा क्षेत्र में यह अधिक काम कर सके। अतः सिलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करते हुए मैं असहमति पत्र प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, इस विधेयक पर बहस ३॥ बजे तक चलेगी। माननीय सदस्य, जिन्होंने बिल प्रस्तुत किया है उनको जवाब देने का मौका दिया जायगा और उसके पश्चात् प्रस्ताव पर मतदान होगा। इसको दृष्टि में रख कर माननीय सदस्य बहस करें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मतदान आज ही होगा ?

श्री अध्यक्ष : कन्सीडरेशन पर।

श्री भैरोंसिंह : फिर मतदान किस पर होगा ?

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिया जायगा, उस पर।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए ही तो बहस हो रही है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन तो फिर कर लेंगे लेकिन इस स्टेज को पूरा कर लें।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, जिन माननीय सदस्य ने समाज के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए जिस लगन और जलन के साथ सदन के समक्ष रखा है मैं उसके लिए उनकी इस बात की प्रशंसा कर सकता हूं लेकिन जब मैं इस विधेयक को देखता हूँ और इस विधेयक का जो प्रारूप है उस प्रारूप को जब मैं देखता हूँ, हालांकि यह सिलेक्ट कमेटी में गया है और मैं भी उसका एक मेम्बर था लेकिन जिस रूप में यह प्रवर समिति से लौट कर आया है, मेरे बहुत कुछ मौलिक मतभेद इस बिल के साथ रहे हैं। मैं सबसे पहले इस बात को अनुभव करता हूं यद्यपि राजस्थान की समाज व्यवस्था बहुत गिरी हुई है, उस समाज व्यवस्था को उठाने के लिए आज सामाजिक शिक्षण की आवश्यकता है लेकिन सामाजिक शिक्षा क्या हो, उसका स्वरूप कैसा हो, और सामाजिक शिक्षा हम किस प्रकार दें, इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है; ऐसा मैं अनुभव करता हूँ और इन सारी परिस्थितियों में यह बिल जो हमारे सामने लाया गया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान में समाज शिक्षण की दृष्टि से बहुत थोड़ा काम हुआ है और यदि मैं यह कहूं कि राजस्थान की धरती के अन्चल पर समाज शिक्षा का पौधा अभी जन्म ही ले रहा है और उसको किसी संस्था के बन्धन में अभी से बांध दिया गया तो, माननीय अध्यक्ष, मुझे डर है कि कहीं इस पौधे की भ्रूण हत्या न हो जाय; क्योंकि जहां तक मेरा अपना दृष्टिकोण रहा है, मैं इस बात को मानता हूं कि समाज शिक्षा का क्षेत्र संस्थागत न होकर,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सरकारी स्तर पर न होकर समाज की ओर से ही बढ़ना ,चाहिये, व्यक्ति की ओर से ही उन्मुख होना चाहिये, इस आधार पर इस बिल को यहां नहीं लाया गया है और मैं समझता हूं कि यह समय से पूर्व हो यहां पर रखा गया है। हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो अभी अभी लोकतान्त्रिक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ २ अक्टूबर से, उसके बाद राजस्थान के अन्दर २३२ पंचायत समितियों का निर्माण हुआ और उन पंचायत समितियों के अन्दर समाज शिक्षा को संगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए समाज शिक्षा के प्रसार कार्य की व्यवस्था की। राजस्थान के अन्दर इतने समाज शिक्षा प्रसार के अधिकारियों की व्यवस्था है वह मामूली नहीं, प्रान्तीय स्तर पर शिक्षा प्रसार के लिए समाज कल्याण के नाम पर चलती है, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा, हो सकता है कि राजनैतिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। मैं उन बातों पर उनको राजनैतिक दृष्टिकोण से काम में लिया जाता है, इस समय कुछ नहीं कहूंगा; फिर भी उन संस्थाओं के द्वारा समाज शिक्षण के और भी अन्य प्रयोग किये जा रहे हैं, प्रयत्न किये जा रहे हैं; उन सारी परिस्थितियों में आज इस बिल को यहां लाया गया है और उस पर विचार कर रहे हैं; मैं सर्व प्रथम उपयुक्त नहीं समझता था और सुझाव भी दे सकता हूं कि अभी हमारे समाज शिक्षा के अधिकारी हैं, प्रसार अधिकारी हैं, उन सब समाज अधिकारियों का पहले प्रान्तीय स्तर पर प्रति वर्ष सम्मेलन रखा जाय और वे अपने ख्यालात समाज शिक्षा सम्मेलनों में बतायें और परस्पर मिल कर ऐसी चीज़ निकाली जाय कि समाज शिक्षा के नाम पर किन किन विषयों को लेकर विचार कर सकते हैं। आखिर समाज शिक्षा का क्षेत्र यहीं तक पूरा नहीं हो जाता है जैसा कि इस विधेयक में लिखा है, प्रौढ़ शिक्षा तक चलेगा। वयस्क शिक्षा के नाम पर समाज शिक्षा को सीमित कर देना....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, आपने परिभाषा की है कि उसमें प्रौढ़ शिक्षा तक ही सीमित है, लेकिन आगे भी है।

श्री दयाकृष्ण विजय: मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए निवेदन करूंगा समाज शिक्षा की जो परिभाषा थी उस परिभाषा को मेरे सुझाव के ऊपर परिवर्तित भी किया गया, जो मैंने सुझाव दिये थे उसके अनुसार इसमें बढ़ाया भी गया है लेकिन केवल समाज शिक्षा की परिभाषा मात्र को बदल देने से समूचे विधेयक में परिवर्तन आ गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता।...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार की परिभाषा बिल में थी उसी प्रकार की परिभाषा रखी गई है सिलेक्ट कमेटी ने बदली नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं इस बात को बताना चाहूंगा समाज, शिक्षा के बारे में जो हमारा निर्णय था वह इसके साथ में नहीं है; फिर भी जिन माननीय सदस्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। उन्होंने साहित्य और समाज क्षेत्र में बड़ा कार्य किया है, केवल उदयपुर में स्वयं के परिश्रम से करीब १६ संस्थायें वे चला रहे हैं; सरकारी सहायता तो उसमें है ही लेकिन उनका जो प्रयत्न है उसकी सराहना किये बिना कोई नहीं रह सकता। उनकी संस्थाओं

Page No.55

(श्री दयाकृष्ण विजय)

द्वारा जो पत्र निकलता है उसके अन्दर जो विचार आते हैं उसमें सबसे पहले वयस्क शिक्षा का ही जिक्र किया गया है। राजस्थान राज्य में वयस्क शिक्षा के संगठन की आवश्यकता है जो उन संस्थाओं द्वारा पत्रिका निकलती है उनके विचार भी सिलेक्ट कमेटी में सुनने को मिले और पत्र में भी देखने को मिले। वे वयस्क शिक्षा पर ही प्रारम्भ से जोर देते रहे हैं। मैं यदि गलती नहीं करता तो वे प्रौढ़ शिक्षा को ही प्रारम्भिक समाज शिक्षा की स्टेज मान कर चलते हैं हालांकि उनके अपने विचारों को रखने का मुझे अधिकार नहीं है लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं वही मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I rise on a point of order...

श्री दयाकृष्ण विजय : आप डिस्टर्ब मत करिये। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो बिल हमारे सामने है उसकी परिभाषा को देखने के बाद....

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इनके बाद बोल सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं भी बोल नहीं पाऊंगा और उनके विचार भी सदन सुन नहीं पायेगा। आज जो समाज शिक्षा में विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से जितना भी समाज शिक्षण का कार्य चल रहा है उसको और ज्यादा किस प्रकार से इफेक्टिव बनाया जा सकता है; यह विचारणीय विषय है। क्या उसके लिये इस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि यह केवल परामर्शदात्री समिति के रूप में, एक एडवाइज़री बोर्ड के रूप में, कार्य करेगा। यह ठीक है कि प्रारम्भिक स्थिति में इस प्रकार का रह सकता है। मैं इसे मानता हूं कि अगर हम बोर्ड का गठन आज नहीं करते हैं तो आगे हमें करना अवश्य पड़ेगा और इसका मैं समर्थन भी करूंगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में आज जो समाज शिक्षा की अवस्था है वह एक शिशु अवस्था में चल रही है; उस पर बोर्ड को लाकर हमारी प्रवृत्तियां और प्रयासों को सामाजिक संस्थाओं में रूढ़िबद्ध कर देना उपाधि परीक्षा आदि के ढांचे में ढाल देना मैं ठीक नहीं मानता और यह उचित भी नहीं कहा जा सकता।

जैसा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट में लिखा गया है सभी माननीय शिक्षा शास्त्रियों का विचार रहा है और उन्होंने लिखा है कि वे चाहते हैं कि इस प्रकार का बोर्ड बनाया जाय। माननीय अध्यक्ष, मैंने भी उनके विचार सुने हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों के विचार बाहर से आये और जिनको प्रवर समिति ने सुना, जिन्होंने अपने विचारों द्वारा प्रवर समिति को मार्ग–दर्शन दिया उनके लिये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, उनका मत है कि अभी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं कुछ सम्मतियां आपके सामने रखूंगा। मैं सबसे पहले एस० डी० पुनेकर, अध्यक्ष, अनुसन्धान विभाग, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइन्स, बम्बई, उनकी राय

Page No.56

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का जिक्र करूं। उन्होंने अपनी राय देते हुए लिखा है कि 'विशेषकर राजस्थान जैसे प्रान्त के लिये जिसने प्रशासनिक लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में अगुवाई की है यह विधेयक अवांछनीय है....'

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार पुनः बोलने को खड़े हुए)

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, श्री मुश्ताक अहमद, डाइरेक्टर रिसर्च ट्रेनिंग एन्ड प्रोडक्शन सेन्टर, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू देहली जिनकी राय भी प्रवर समिति ने मांगी थी उन्होंने लिखा है :

'यह आवश्यक नहीं कि बोर्ड ऐसे माध्यम में बदले कि सारी समाज शिक्षा उसका ठेका हो जाय'। वास्तव में उनका आशय यह है कि प्रत्येक स्थान पर योग्य और समाज शिक्षा....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अश्रव्य)

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके बाद श्री होमर केम्फर, एडल्ट एज्युकेशन एडवाइज़र, भारत सरकार उनके विचार इस तरह के हैं:

'मैं समझता हूं कि बिल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार और ध्यान देने की आवश्यकता है'।

इस तरह से शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनके विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि 'मैं समझता हूं इससे समाज शिक्षा बहुत अधिक संस्थागत हो जायगी। आशा करता हूँ जिस प्रकार हिन्दुस्तान की उच्च और माध्यमिक शिक्षा में एक केटेगरी और बढ़ जायगी।"

इन ओपीनियन को देखने के बाद यह नहीं कह सकते कि समाज शिक्षा को जरूरी नहीं माना हो। समाज शिक्षा की आवश्यकता बहुत है लेकिन संस्थाबद्ध गुलामी वे नहीं चाहते।

इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण प्रवचन हमारे पास लिखे हुए उन लोगों के आये थे जो माने हुए शिक्षा शास्त्री है।

श्रीमती लीला बाई फडके, ऑनरेरी सेक्रेटरी नेशनल कौन्सिल ऑफ वीमेन इन इन्डिया, बम्बई उन्होंने लिखा है कि 'शिक्षा मंत्रालय ही समाज शिक्षा का काम संचालन करे।' उन्होंने बोर्ड की अलग आवश्यकता को अनुभव नहीं किया।

इसके बाद ए० आर० देशपाण्डे ने भी साधारण समालोचना करते हुए जो प्रश्नावली समाज शिक्षा शास्त्रियों के पास भेजी गई उनके अन्दर इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। राजस्थान के अन्दर वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता है या नहीं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Point of order, Sir, according to our Rules he cannot oppose the Bill as a whole.

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member is not opposing the Bill as a whole. He is referring to the various opinions received from the people to

(श्री अध्यक्ष)

whom reference was made by the Select Committee.

श्री दयाकृष्ण विजय : राजस्थान सरकार के पास अपना शिक्षा विभाग है। सरकारी विभाग के अन्दर इसका पहले से ढांचा विद्यमान है। उपसंचालक, समाज शिक्षा अधिकारी विकास खंडों में कार्य करते हैं, समाज शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद हमारे वाइस चान्सलर हैं उनकी राय भी बहुत विचारने योग्य है, वह इस प्रकार है :

"अभीप्सित है कि समाज शिक्षा का कार्य गैर सरकारी माध्यम से चलाया जाय। इस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता नहीं है।"

जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था जहां तक इस विधेयक का सवाल है आज भी सरकार समाज शिक्षा के क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ साथ इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज शिक्षा की दृष्टि से समाज शिक्षा अधिकारी हैं वे प्रौढ़ शिक्षा का कार्य करते हैं, रात्रि शालायें चलती हैं। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार की समाज शिक्षा की परिभाषा इसमें दी हुई है उसको समाज शिक्षा के अनुरूप बदला जाय। कुछ परिभाषा जोड़ी भी गई है उससे यह सारी की सारी परिभाषा इस प्रकार की लगती है कि केवल एक शिक्षण संस्था के रूप में यह कार्य करने वाली संस्था होगी। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि समाज शिक्षण की परिभाषा में जिन तीन लाइनों को अन्डर लाइन किया गया है वह इस प्रकार से है "समाज शिक्षण से अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जो व्यक्ति का सामाजिक शिक्षण करते हुए उसे समाज का योग्य नागरिक बनने में सहायता करे और इस प्रकार समाज के सर्वांगीण विकास की चेतना तथा क्षमता उत्पन्न करे"। लेकिन जिस आधार पर इसको कसा गया है ये तमाम बातें इसमें रह गई हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करूं समाज शिक्षण का कार्य बड़ा व्यापक कार्य है; इसलिये इसकी परिभाषा को व्यापक तौर पर बढ़ाने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि हम परिभाषा में सारी सामाजिक भावना को इकट्ठा नहीं कर सकते। समाज शिक्षा शास्त्रियों का भी यही मत रहा है कि समाज शिक्षा की परिभाषा जिस प्रकार की दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है उसके अनुसार भी रख लेते तो ज्यादा अच्छा होता! दूसरी योजना में इस बात को काफी अच्छे तरीके पर रखा गया है। एस० जी० पुनेकर ने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि समाज शिक्षा की जो परिभाषा अध्याय में दी गई है वह असन्तोषजनक है। समाज शिक्षा सामुदायिक शिक्षा के हल के लिये इससे बहुत विशाल एप्रोच है। साक्षरता के अतिरिक्त इसके क्षेत्र में स्वास्थ्य, मनोरंजन, गृहस्थ जीवन, आर्थिक कार्यक्रम, नागरिकता की शिक्षा, ये सभी आ जाते हैं। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ ५१७ पर दी हुई है। इसके अतिरिक्त भी जितने समाज शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने इसकी परिभाषा को व्यापक भावना की दृष्टि से देखा है ताकि समाज भलीभांति गठित हो और मैं इस आधार पर निवेदन कर सकता हूं कि इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे और इसके अन्दर इस भांति के विचार और आधार दिये जावें कि सिलेक्ट कमेटी मूल बिल से भी आगे जाकर जो जीवन का

(श्री दयाकृष्ण विजय)

संपूर्ण विकास एवं सर्वांगीण विकास का क्षेत्र है उनको भी इस बिल के अन्दर निहित कर सके। इस दृष्टि से दुबारा इसका सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना जरूरी है।

मैं माननीय शिक्षा शास्त्रियों के विचार सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारी यह परिभाषा और यह बिल हमारे सारे प्रयोजन को किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं करेगा।

जिन माननीय शिक्षा शास्त्रियों का जिक्र मेरे पूर्व वक्ता ने किया उनमें कैम्फर साहब ने लिखा है कि समाज शिक्षा में वे सब विषय सम्मिलित हैं; जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य ज्ञान, नागरिकता, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, गृह-व्यवस्था, शिशुपालन, भोजन सम्बन्धी शिक्षा आदि विषयों को इसमें रख दिया है। मैं इतना कहूंगा कि उद्देश्य और कारणों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है और यह नहीं होगा तब तक हम बिल का गठन उसके अनुरूप नहीं कर सकते। इस प्रकार का एक आरोप शिक्षा शास्त्री ने किया भी है; धारा ६ में बताया भी है कि इसके क्या क्या फंक्शन्स होंगे। इसके अनुरूप इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। धारा ६ में केवल एक-दो को छोड़ कर बाकी सब केवल शैक्षणिक और परीक्षा सम्बन्धी है। उप खण्ड ८, ९, १० और १४ स्पष्ट नहीं हैं। तो केवल इस कार्य के लिये बोर्ड स्थापित नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट उक्ति श्री देशपांडे की है और मैं समझता हूं कि सब के विचार आये थे उन सब में ए० आर० देशपांडे के विचार बहुत ज्यादा विस्तृत और काफी अच्छे थे। जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है कि विधेयक के उद्देश्य और कारण ठीक नहीं हैं, न सुगठित ही हैं।

इसी तरह श्री मोहनसिंह मेहता के विचारों की ओर ध्यान दें। वे कहते हैं कि यह सबसे बुरी बात होगी कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को निरक्षरता के कार्य की समाप्ति के साथ समाप्त कर दिया जाये। समाज शिक्षा के व्यापक क्षेत्र को लेते हुए इसमें सभी प्रकार की शिक्षा—सभी प्रकार की लिबरल शिक्षा को मजदूर, किसान, क्लर्क आदि को दी जाय, कार्यालयों में काम करने वाले, विद्यार्थियों में काम करने वाले सभी लोगों को समर्पित होनी चाहिये।

सभी माननीय शिक्षा शास्त्रियों का यह ख्याल रहा है कि हम अपने इस बिल को केवल कुछ पाठ्यक्रम तक और उपाधियां वितरण तक ही सीमित न रख कर इसके क्षेत्र को बहुत अधिक व्यापक बनावें और इसके वास्ते मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक बार फिर एक कमेटी इस बात की बैठाई जावे जो विचार करे कि हम राजस्थान में इस समाज शिक्षा को सुगठित और विस्तृत करने के लिये किन किन विषयों को संकलित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और उन सब का विस्तार किस तरह कर सकते हैं। इन सारी सम्भावनाओं पर विचार करने के बाद फिर विधेयक यहां लाया जाय तो ज्यादा उचित होगा। इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रख कर प्रवर समिति फिर दुबारा विचार करे तो फिर बार बार उसको अधूरा रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दुबारा इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ।

रहा सवाल इसके गठन का; सो मैंने अपने पत्र में भी बताया है कि इसमें एक बहुत बड़ी लम्बी–चौड़ी सूची रखी गई है । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य जो इसमें रखे गये हैं उन्हें निकाला जा सकता है । जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अपने पत्र में लिखा भी है, पढ़ने के समय की कमी को देखते हुए आवश्यकता नहीं है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : उस कमेटी के पर्सोनल तो कहने चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसी तरह के विचार सभी शिक्षा शास्त्रियों के भी हैं कि पन्द्रह–बीस व्यक्तियों से इसमें अधिक नहीं होने चाहिये । श्री मुश्ताक अहमद कहते हैं कि बोर्ड में १५ से २० आदमी रखे जाने चाहिये, अधिक नहीं । कैम्फर भी कहते हैं कि बीस सदस्यों से अधिक नहीं होने चाहिये, एस० डी० पुनेकर कहते हैं १६ होने चाहिये; तो किसी ने १५, किसी ने १६ और किसी ने २० कहा है । इससे अधिक किसी ने नहीं कहा । जनरल राय यह है कि बीस सदस्य से बड़ा बोर्ड न हो ।

प्रस्तावक महोदय कहेंगे कि हमने एक गवर्निंग कौंसिल का प्रोविजन भी रखा है । पर यह तो एग्ज़ीक्यूटिव के तौर पर काम करेगी । पर समाज में किस प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये इसके लिये बार बार बोर्ड को मिलना और घुलना होगा और उसे हर मुद्दे पर सोच विचार कर गवर्निंग कौंसिल को आदेश और निर्देश देने होंगे । अगर बड़ी कमेटी यह हुई तो सबका इकट्ठा होना सम्भव नहीं होगा और अगर गवर्निंग कौंसिल की जरूरत है तो बोर्ड को बनाने का मकसद नहीं रह जाता; वह सब काम कर लेगी । गवर्निंग कौंसिल की स्टेज बाद में आ सकती है । प्रारम्भ में इसको रखा जावेगा तो उचित नहीं होगा ।

मेरा उस समय भी प्रवर समिति में यह विचार था : सारे राजस्थान की परिस्थितियों से बिना अवगत हुए अगर योजनाएं बनाते और चलाते हैं तो यह सब व्यर्थ जावेगा । इस दृष्टि से यह मैं अब भी कहूंगा कि कम से कम सदस्य रख कर और गवर्निंग कौंसिल अभी न रख कर काम चलाया जाय ।

दूसरा है मनोनयन का । हमारी दृष्टि से जिला परिषद् और पंचायत समिति को प्रभुत्व न दिया जाय तो ठीक होगा; श्री मेहता की यही राय है कि पांच के स्थान पर २ हों । वैसे मनोनयन के मैं खिलाफ हूं; कारण सरकार अपनी मर्जी के व्यक्तियों को नियुक्त करती है, इस कारण योग्य व्यक्ति पिछड़ जाते हैं । यह हो सकता है कि योग्य व्यक्तियों को चाहे कोऑप्शन के आधार पर किया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा । मनोनयन का क्षेत्र न बढ़ा कर कोऑप्शन का क्षेत्र बढ़ाया जावे । मेरा संशोधन भी था मनोनयन को घटाने के सम्बन्ध में और कोऑप्शन की संख्या को बढ़ाने के लिये ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रवर समिति में भी मैं इससे सहमत नहीं था कि अध्यक्ष को सरकार मनोनीत करे बल्कि समाज शिक्षण के क्षेत्र में भारत की ख्याति के व्यक्ति को इसका अध्यक्ष चुना जाना चाहिये। शिक्षा शास्त्रियों की भी राय इसमें इसी तरह की है कि इसके गठन का सारा पॉवर लेजिस्लेटिव बॉडी को होना चाहिये, सरकार को नहीं; क्योंकि इससे हमेशा यह डर बना रहेगा कि बोर्ड किसी राज्य सत्ता के हाथों की कठपुतली और खिलवाड़ बन कर न रह जावे; बल्कि एक स्वतन्त्र बॉडी की तरह काम करता रहे। इसके लिये आवश्यक है कि हम जितना अधिक ऑफिशियलडम से और सरकारी नियन्त्रण से दूर रखेंगे उतना ही यह बोर्ड प्रभावशाली होगा। हालांकि आज इस विधेयक की जरूरत नहीं है, यह समय से बहुत पूर्व है, आज वे परिस्थितियां देश में निर्माण नहीं हुई हैं; पर मैं इस भावना का पक्षपाती नहीं हूं। पर फिर भी मैं चाहता हूं कि इसमें इतना आवश्यक है कि सामाजिक जीवन के सर्वांगीण चित्रण, सर्वांगीण विकास के सारे अंग इसमें समाविष्ट हों और उस तरफ चहुँमुखी हम प्रगति कर सकें, इसके लिये क्या क्या सम्भावनाएं हो सकती हैं; इस पर एक कमेटी बैठ कर फिर और विचार करे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक फिर प्रवर समिति को सौंपा जाय। वे सारी सम्भावनायें सिलेक्ट कमेटी के पास आयें और सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स उन सम्भावनाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन करें और फिर यह पास किया जाये तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि समाज शिक्षा की आवश्यकता है उसके लिए इनके प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य को धन्यवाद करता हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनका जोश समय से पहले है। यदि वह इसको थोड़ा बाद में लाते तो ज्यादा अच्छा रहता....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उनका जोश ठंडा हो जायेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : मुझे उम्मीद है कि ठंडा नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : आपका सहयोग रहेगा तो जोश चलता रहेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्य इसको प्रस्तुत करने में इतनी जल्दी न करें। इस विधेयक की सारी सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए पहले एक कमेटी का गठन कराया जाये जिसमें अभी इसके ऊपर और भी समाज-शास्त्रियों के विचार लिये जा सकते हैं और फिर प्रवर समिति में दुबारा बैठकर इसमें परिवर्तन करायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): श्रीमान्,

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मेरा असहमति पत्र इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा।

(विराम)

Yes, Shri Mahendra Singh Panwar.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): श्रीमान्, यह जो दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव है मैं इसका विरोध करता हूं। अर्ज करना मेरा यह है कि जो मैंने भाषण सुने उनमें मैंने कुछ ऐसा देखा कि मूल रूप से, सैद्धांतिक दृष्टि से यह बिल उपयोगी है और समाज शिक्षा का बोर्ड बनना चाहिए, ऐसी विचारधारा व्यक्त की गई है। समाज पर खुली हुई आवश्यकताओं को छोड़ देना कि समाज शिक्षण कौन करे, कौन नहीं करे इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए; इस सिलसिले में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। लॉर्ड सेलसबरी का एक एटरनल जुमला कहूंगा। वह इंग्लैंड के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने एक जुमला कहा है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने मालिक को पढ़ायें "we should teach our master". जनतंत्र के अन्दर समाज शिक्षण की कमी के कारण उसकी बुनियाद ढीली हो जाती है। अगर शिक्षा नहीं है तो जनतंत्र चल नहीं सकता। उसके लिए कोई जिम्मेदारी की जगह बनानी पड़ती है। सवाल आता है कि उसको खुले समाज के ऊपर छोड़ दिया जाये तो उसके इन्तजाम में भूलें हो सकती हैं अभी एतराज उठा कि बोर्ड में सरकारी आदमी न हों। मैं तो समझता हूँ कि यह एक अजीब सी बात है। सरकारी आदमियों पर इस सदन का भी कन्ट्रोल है। सदन में उनके लिए भी पूछताछ हो सकती है! जो गैर सरकारी लोग हैं वह गैरजिम्मेदार भी हैं। मैं समझता हूं कि वह गलत चीज है। हमें उसको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि अच्छा यह होता कि इस सदन के सामने संशोधन रखे जाते, सुझाव आते कि यह कम्पोज़ीशन होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर उस काम को नहीं करके फिर दुबारा सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए, इसके लिए जो भी सदस्य कहते हैं मैं समझता हूं कि उनकी कमजोरी है। मैं चाहता हूँ कि सदन में उनके ऊपर विचार किया जाता। एक सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद दूसरी सिलेक्ट कमेटी में जाये; यह कौन सा तरीका है? हां, अगर उसके कलेवर में नुक्स दिखता है तो उसके लिये सदन में संशोधन रखे जायें। आप संशोधन देने में चूकते हैं तो सरकार जनता के ऊपर टैक्स का बोझा डालती है। दूसरी बार सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मतलब है कि कितना व्यय होगा, इसका अन्दाजा लगाइये। हम पूर्ण जिम्मेदारी को नहीं समझकर बात को टालने की नीति रखें; यह उचित नहीं है। मैं चाहता था कि हम यहां पर संशोधन लाते और समाज शिक्षण के लिए अगर बोर्ड बनता है और सदन के अधिकार के नीचे आता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है। समाज शिक्षण एक बुनियादी चीज़ है। अगर हमने यह नहीं किया तो जनतंत्र खत्म हो जायेगा। यही मेरा कहना है और इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि यह दुबारा सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान समाज शिक्षण बोड विधेयक विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है। इस विधेयक पर जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है वह मुझे थोड़ी अपूर्ण सी लगती है क्योंकि इस रिपोर्ट में उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख नहीं है, जो कि इसमें होना चाहिए था। मैं भी इस प्रवर समिति की एक सदस्या थी और प्रवर समिति ने जो कुछ

(डॉ० चन्द्रकला)

इस विधेयक को अन्तिम रूप देकर इसको पूर्ण किया था उस पर हमारी असहमति थी। जहां तक समाज शिक्षा की आवश्यकता का प्रश्न है उसमें दो राय नहीं हो सकती। समाज शिक्षण आज की नहीं बल्कि सर्वकालीन एक मूलभूत समाज की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि इस विधेयक को लाने वाले माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव को यहां रखते हुए कहा और जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है उससे मुझे यह लगता है कि एक ओर तो हम बहुत विस्तृत, बहुत ही सुन्दर आदर्श और सिद्धान्त की कल्पना करते हैं और दूसरी ओर व्यवहार में हमारे सामने उसका बहुत छोटा और संकुचित रूप रहता है। हम इसके उद्देश्यों और कारणों को, जो इसके पीछे नहीं दिए हुए हैं लेकिन जो मूल विधेयक में हैं, उसका बहुत ही अच्छे और अलंकारिक शब्दों में कह सकते हैं और उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो कि समाज शिक्षण से अछूता रह जाये। कोई भी बालक, वृद्ध, युवा किसी भी समाज का किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस समाज शिक्षण के काम से किसी तरह से भी अछूता रह जाये, ऐसा इससे नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने इस सदन में बताया कि समाज शिक्षण एक करोड़ प्रौढ़ों के जीवन से सम्बन्धित चीज है। उस समय मुझे ही नहीं, सदन को ही नहीं, बल्कि सभी सोच विचार करने वाले व्यक्तियों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि समाज शिक्षण का अर्थ क्या प्रौढ़ शिक्षण है। यदि समाज शिक्षण का अर्थ केवल प्रौढ़ शिक्षण से लिया जाता है तो अन्य माननीय सदस्यों के साथ मैं भी कहूंगी कि इस तरह के विधेयक की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इसका अर्थ जैसा कि अभी बताया गया है इससे बहुत अधिक समझती हूं। इसलिए इस विधेयक की उपयोगिता है। इस विधेयक का होना ठीक है लेकिन जिस रूप में यह विधेयक सामने आया है प्रवर समिति से प्रतिपादित होकर उसकी कुछ बातों से मेरा मतभेद है और जिनसे मतभेद हैं वह ऐसी मूलभूत बातें हैं कि अगर मेरी शंका दूर नहीं होती है तो इस विधेयक की उपयोगिता नहीं रह जाती है।

सबसे पहली बात जो मुझे इसमें देखने को मिली वह मैंने समाज शिक्षण की परिभाषा को देखा। इसमें समाज शिक्षण की जो परिभाषा दी हुई है उसको अगर मैं यहां सदन में पढ़ दूं तो यहां बैठे हुए शायद ही किसी व्यक्ति के सामने उसका एक स्पष्ट चित्र आ सकेगा और समाज शिक्षण को परिभाषित करने के लिए समाज शिक्षण शब्द का ही कम से कम तीन-चार बार यहां उपयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों में जिस चीज की परिभाषा दी गई है, परिभाषा किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए होती है, उसकी रूपरेखा को निश्चित करने के लिए होती है लेकिन जहां पर समाज शिक्षण की परिभाषा दी गई है उसमें लिखा है :

'समाज शिक्षण से अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जो व्यक्ति का सामाजिक शिक्षण करते हुए उसे समाज का योग्य नागरिक बनने में सहायता करे' हम समाज शिक्षण की बात करते हैं और उसके द्वारा सामाजिक शिक्षण की बात करते हैं।

'और इस प्रकार समाज के सर्वांगीण

(डॉ० चन्द्रकला)

विकास की चेतना तथा क्षमता उत्पन्न करे एवं साक्षरता प्रचार एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्य, कम्युनिटी शिक्षण' कम्युनिटी शिक्षण और समाज शिक्षा एक ही है केवल अंग्रेजी और हिन्दी का अन्तर है।

'एवं तत्सम्बन्धी प्रयोग, समाज शिक्षण साहित्य एवं सामग्री सृजन का कार्य, समाज शिक्षण सूचना और विनियोग कार्य, समाज शिक्षण सम्बन्धी समन्वय एवं विधि (संयोजन कार्य तथा उन तमाम कार्यों, प्रवृत्तियों, लेखनों, संपादनों एवं आलेखनों और संयोजनों से है जो धारावाहिक तथा गत्यात्मक विकास हित अपने सम्पूर्ण सम्बन्धों, घटकों, संगठनों एवं तथ्यों तथा तत्वों और प्रयोगों सहित तथा समाज शिक्षण कार्य के द्वारा अनुरूप एवं अनुसार, अभ्यास क्रमों और प्रबन्धों से है।'

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): भाषाविदों की समाज शिक्षण की परिभाषायें बतलायी हैं।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्वानों में जहां समाज शिक्षण की बात होती है उसके लिए जो भूमिका बने और उसके लिए इससे भी अधिक विद्वत्तापूर्ण परिभाषा बने तो भी ठीक है, लेकिन जहां समाज शिक्षण के लिए कानून बनाने का प्रश्न है, समाज शिक्षण की हम कानून के द्वारा व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके लिए जो प्रावधानों की व्यवस्था कर रहे हैं, कानून की भाषा में साहित्यिकता अनुपयोगी होगी। साथ ही इससे कोई अर्थ निकले तब भी माना जा सकता है कि यह उचित है लेकिन इस परिभाषा से समाज शिक्षण का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है।

इस समिति की रिपोर्ट पर दूसरे विद्वानों या विशेषज्ञों की राय का सवाल है। हमारे सदन में पहले बहुत कुछ बताया जा चुका है, उसको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज समाज शिक्षण के बारे में तरह तरह की रायें हैं, तरह तरह के दृष्टिकोण हैं, तरह तरह की विचारधारायें हैं। इसके लिए हमको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमको सब विचारधाराओं को सुन कर, समझ कर अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने समाज के अनुकूल विचार करके हमको उसकी रूपरेखा को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है देश के करीब सवा सो गणमान्य विशेषज्ञों को, यह प्रतिवेदन, हमारे इस विधेयक के साथ, प्रश्नावली भेजी गई थी लेकिन हम उसमें से केवल १७ व्यक्तियों के उत्तर ही प्राप्त कर सके हैं। यह भी जरा देखने की बात है कि केवल १७ विशेषज्ञों की राय ही हमको क्यों मिली? हमको जल्दबाजी न करके और भी थोड़ा ठहर कर दूसरे लोगों की राय जाननी चाहिए। इसके साथ ही जो विशेषज्ञों की राय आई यहां पर थोड़ा बहुत उनकी परिभाषा के सम्बन्ध में बताया जा चुका है। लेकिन लोगों से साक्षात् करके जो राय जानी गई वह भी बड़ी विलक्षण थी। उसमें प्रौढ़ शिक्षण और रात्रि पाठशालाओं की ही सारी बातें की गई। कुछ लोगों की प्रौढ़ शिक्षण के सम्बन्ध में तो ऐसी राय है कि प्रौढ़ शिक्षण एक सामयिक आवश्यकता है। हमको आजादी मिली और आजादी मिलने

(डॉ० चन्द्रकला)

के बाद जब तक हम स्वतंत्र नागरिक के रूप में नहीं बन जाते तब तक आवश्यकता है, पांच साल से आगे नहीं रहनेवाली है। जब इतनी अनिश्चितता है समाज शिक्षा के बारे में तब हम आगे क्या सोच सकते हैं? हमको सबसे पहले निश्चित स्वरूप इसका तय करना होगा, केवल समाज शिक्षण की बात कर देना ही पर्याप्त नहीं है। एक ओर जब हम यह मानते हैं कि प्रौढ़ों के लिए अभी ही शिक्षा की आवश्यकता है बाद में नहीं रहेगी तो हमें बोर्ड बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो हमें समाज शिक्षण की जो परिभाषा है उसको बहुत स्पष्ट और सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके लिए शब्द जाल की या शब्द विस्तार की जरूरत नहीं है। थोड़े से शब्दों में छोटी सी परिभाषा हमको बनानी चाहिए, अपने प्रान्त की दृष्टि से, हमको भारत के समक्ष आदर्श उपस्थित करने की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमको दूसरों के लिए अनुपम उदाहरण बनने की जरूरत नहीं है। जो अपने प्रान्त की स्थिति है उसको दृष्टि में रखते हुए जो सुन्दर से सुन्दर परिभाषा बन सकती है वह बनानी चाहिए और तब ही इस समाज शिक्षण की परिभाषा का रूप देना चाहिए। अभी जब परिभाषा ही अधूरी है, परिभाषा के बारे में ही हम स्पष्ट नहीं हैं तो आगे की रचना के बारे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए मेरी तो यह स्पष्ट राय है कि सबसे पहले हमको समाज शिक्षण की परिभाषा में ही सुनिश्चितता लानी चाहिए।

इसके साथ ही मैंने बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में जो रूप यहां विधेयक में दिया गया है उससे भी असहमति प्रकट की है। इस सम्बन्ध में मेरे से पहले भी सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। कोई भी बोर्ड बहुत बड़ा बना करके हम अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य जो इस बोर्ड को बनाने के पक्ष में हैं सबको ही वे बोर्ड में समेटना चाहते हैं। इस विधेयक में उन्होंने बोर्ड के गठन में सभी को लाने की कोशिश की है जिसमें सरकारी, गैर सरकारी, पदेन, मनोनीत, महिला हरिजन, विधान सभा सदस्य और दूसरे सभी लिए जायेंगे, जिससे कि किसी का प्रतिनिधित्व छूटे नहीं। ऐसी हम कोशिश करेंगे तो मैं समझती हूं कि प्रतिनिधित्व एक का भी नहीं हो सकेगा। इतने सब लोगों से तो बोर्ड का काम नहीं हो सकता। इतना बड़ा भारी भरकम बोर्ड बनता हैं तो उससे कोई काम नहीं हो सकता है। इतने बड़े भारी भरकम बोर्ड से भला काम हो सकता है? मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जितने बड़े बड़े बोर्ड बना देते हैं उनमें कोरम तक पूरा नहीं होता है। इतने बड़े २ बोर्ड में काम होना भी मुश्किल होता है। इसके लिए प्रवर समिति ने जो बीच का रास्ता निकाला है कि गवर्निंग कौंसिल बना दें और वह काम करती रहे। अगर आप गवर्निंग कौंसिल ही बना लें और गवर्निंग कौंसिल से काम चलालें तो फिर बोर्ड की आवश्यकता क्या है? इस प्रकार का इतना बड़ा बोर्ड बनाने की आवश्यकता ही क्या है? हां, अगर हम इसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को सामने लाना चाहें, कुछ व्यक्तियों को अनुगृहीत करना चाहें तो मैं उससे सहमत हो सकती हूं; लेकिन इतना बड़ा भारी बोर्ड

(डॉ० चन्द्रकला)

अपने प्रान्त में बना कर उससे समाज शिक्षण का काम हो सकेगा ऐसा मुझे नहीं लगता । इसलिए बोर्ड के गठन में हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। हमको यह देखना पड़ेगा कि बोर्ड का गठन कर हम अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दें और फिर प्रान्त के समाज शिक्षण के कार्य को सुचारू रूप से चलावें। लेकिन यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। यह निश्चित बात है कि अगर हमको समाज शिक्षण की सुन्दर व्यवस्था करनी है, उसे सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने की दृष्टि से बोर्ड की स्थापना करनी है तो हमें सीमित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अब यह प्रतिनिधित्व किस तरह का हो, कैसा हो, क्या हो; इसके विषय में भी विशेषज्ञों की राय आई है, प्रवर समिति की राय है और सदन खुद इस सम्बन्ध में निर्णय कर सकता है । लेकिन जिस रूप में इस बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में बात कही गई है वह अव्यवहारिक है, अनुपयुक्त है और वह किसी तरह से उचित नहीं हो सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है ।

इसके साथ ही जैसा कि मैंने अपने असहमति-पत्र में लिखा है कि इसमें जो सभापति या अध्यक्ष होगा उसके लिए पूरे समय के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। वैसे इतना बड़ा बोर्ड होगा, जितना व्यापक काम बोर्ड का होगा उसको देखते हुए तो एक पूरे समय का अध्यक्ष होना आवश्यक प्रतीत होता है लेकिन इसी विधेयक में जो अध्यक्ष का काम बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि वह बैठक का सभापतित्व करेगा। सिर्फ इतने से काम के लिए कि वह बैठक का सभापतित्व करेगा पूरे समय के लिए नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है, यह सदन अच्छी तरह से समझ सकता है। इसलिए मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, कुछ आधार भी समझ में नहीं आता। एक ओर हम अपनी परिभाषा, अपने उद्देश्यों और कारणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका अलग अलग विधान करते हैं, प्रावधान करते हैं, सारी बातों को सोचने लगते हैं तो किस प्रकार छोटे और संकुचित दायरे में जाकर बैठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को समाज शिक्षण की एक बहुत बड़ी, मैं क्या कहूं, कोई सनक है और उसको पूरा करने में वे लगे हुए हैं। इसलिए उनको हर जगह, पत्रिका देखो तो 'समाज शिक्षण संस्था, समाज शिक्षण' और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी राय में उदयपुर में समाज शिक्षण के अलावा कुछ नहीं होता । हमने एक मुहावरा सुना था कि काबुल में गधे नहीं होते और घोड़े ही घोड़े होते हैं। उदयपुर में जाकर यह महसूस हुआ कि वहां समाज शिक्षण के अलावा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा उदयपुरवाले मानते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों से मिलने का मौका मिला....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): वहां सोने-चांदी की खानें भी तो हैं।

डॉ० चन्द्रकला : उदयपुर में श्रमजीवी कॉलेज है वह समाज शिक्षण की आदर्श संस्था बताई गई है । स्पष्ट है कि किसी कॉलेज को समाज शिक्षण की आदर्श संस्था नहीं कहा जा सकता है। वहां जहां गये वहां समाज शिक्षण की बात है। समाज शिक्षण की बात करने लगे तो मुझे लगा कि यह

(डॉ० चन्द्रकला)

श्रमजीवी कॉलेज विशेष हो सकता है और हो सकता है कि इसको कोई विशेषता हो, लेकिन सब हालचाल जब देखा तो मालूम पड़ा कि जयपुर की हर गली, हर रास्ते में ऐसे श्रमजीवी कॉलेज हैं। नाइट कॉलेजेज़ हैं, संध्या कॉलेजेज़ हैं, प्रातः कालीन कॉलेजेज़ भी हैं जो समाज शिक्षण का बड़ा सुन्दर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें समाज शिक्षण का कार्य नहीं मानती हूं। जैसे और सारे कॉलेजेज़ का कार्य है वैसा मैं मानती हूं। समाज शिक्षण की परिभाषा को पढ़ें तो उनके शिक्षण को मैं नहीं मानती हूं कि वह ऐसा है जिसको हम समाज शिक्षण मानें। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, जिसका हम समावेश कर सकते हैं। न मैं मानती हूं कि केवल साक्षरता प्रसार, पुस्तकीय ज्ञान या किसी विषय का सैद्धान्तिक ज्ञान उसमें आता है। मैं मानती हूं कि योग्य नागरिक बनाने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है वह शिक्षा समाज शिक्षण में आ सकती है।

जिन विशेष व्यक्तियों, विशेषज्ञों, कार्यकर्त्ताओं के बारे में जो इस रिपोर्ट में बताया गया है; जो व्यक्ति आये वे व्यक्ति अधिकतर उदयपुर के ही थे। उन्हीं की बातें जानी गई और सोची गईं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक माननीय सदस्य और सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रान्त है। समाज शिक्षण का कार्य सब जगह हो रहा है, सब डिवीज़नों में हो रहा है; बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है तो कोई कारण नहीं है कि केवल थोड़े से लोगों की राय लेकर ही किसी निश्चित नतीजे पर पहुँचें, और यही कारण है कि यहां पर जो परिभाषा दी गई है वह अस्पष्ट है। इस अस्पष्टता का कारण यही है कि बहुत थोड़े से क्षेत्र में अपने आपको हमने संकुचित रखा है। यदि यह विधेयक लाना है तो माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठ कर उदयपुर के बाहर राजस्थान और दूसरी जगहों की बात उन्हें सोचनी पड़ेगी। अगर आप राजस्थान से बाहर पूरे देश के लिए एक मॉडल, एक आदर्श विधेयक की बात करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान भर की बात सोचनी पड़ेगी और हो सके तो देश–विदेश की बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन उदयपुर के आयुर्वेद कॉलेज का प्रिन्सीपल भी समाज शिक्षण का विशेषज्ञ हो सकता है जिसने विधेयक को पढ़ा तक नहीं है। मैं उन बातों को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहती, लेकिन जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विवरण सदन के सामने प्रस्तुत है उससे स्पष्ट है कि हम इस रिपोर्ट को इसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी असहमति इस तरह से प्रकट करती हूं। मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूँ कि वह पुनः माननीय सदस्य को कहे कि वह सोच कर, सब बातों का ध्यान रख कर जो सदन में बातें कही जाती हैं, उनको देख कर वापिस इस विधेयक की रचना करके सदन में विचारार्थ ले आयें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज शिक्षण सम्बन्धी बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार चल रहा है। उसका मतलब यह है कि इस तरह से इसको फिर टाल दिया जाय। सबसे पहले मैं फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव सिलेक्ट

(श्री मोतीलाल)

कमेटी को दुबारा भेजा जाय इस बारे में रखा है उसका विरोध करता हूं । साथ ही साथ मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उन सदस्यों के भाषणों को सुना जो कि सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स थे और १० सिटिंग होने के बाद भी अपने मानस का निर्माण नहीं कर सके कि इसमें क्या होना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य माफ करेंगे, कि खास तौर से जनतन्त्र जिस समाज में रखते हैं उसमें समाज की मालिक उसकी जनता होती है । उसको शिक्षित बनाने के लिए हम एक कानून बनाने के लिए विचार कर रहे हैं । सन् १६५८ में यह इस हाउस में आ चुका था और ६० के अन्दर हम विचार कर रहे हैं दो साल के बाद । उसके बाद भी हम इस विचार में हैं कि इसको और टाल दिया जाय ताकि इस ओर के लोग कुछ और समय तक मूर्ख रहें ताकि अपनी स्थिति को, अपने राज्य चलाने की भावना को, अपने काम को हार्दिक रूप से नहीं कर सकें और अन्धकार में रहें, ताकि कुछ लोग जो कि देश में ५-७ पर्सेन्ट शिक्षित हैं वे लोगों को संचालित करते रहें और वे अपनी इच्छा के माफिक अपना निर्माण नहीं कर सकें, इसलिए बाकी लोगों को अन्धेरे में रखना चाहते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको इतना महत्वपूर्ण मानता हूँ, जैसा कि मैंने सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के समय कहा था कि समाज के अन्दर जनतन्त्र को रखना है तो राजस्थान के अन्दर प्राइमरी शिक्षा को आगे सरका सकते हैं लेकिन समाज शिक्षा का काम निरन्तर करना होगा । हमने पंचायत राज्य कायम किया है । हम चाहते हैं कि हमारे सरपंच और पंच लोग पढ़े-लिखे हों, सहकारिता को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सहकारी समितियों के मेम्बर्स पढ़े लिखे लोग होने चाहिए । सहकारी बैंक में चले जाते हैं तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए । अपढ़ लोग होते हैं वे, समझते नहीं हैं इसलिए यह हमारी संस्थाएं फेल होती हैं । आम तौर पर यह शिकायत होती है कि पंचायत और पंचायत समितियों के सरपंच और पंच पढ़े लिखे नहीं होने के कारण से काम को नहीं समझते हैं । दूसरी तरफ उनको शिक्षित करने के लिए, समाज को चलाने के लिए, जो हमने उनके हाथों में हथियार दिये हैं उनको चलाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं कि वह शिक्षा किस आधार पर हो, इसमें किस प्रकार की सुविधा कौन सी रहे, कौन सी ठीक है, उसके लिए हम बोर्ड बनाना चाहते हैं तो उसका विरोध सुन कर मुझे दुःख होता है । दुःख इसलिए होता है कि मैं उस तबके से आया हूं जिसमें ८० प्रतिशत अनपढ़ लोग हैं । वे वोट देने के अधिकारी हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि किस तरह से इस अधिकार को काम में लेना चाहिए । चुनाव आते हैं उस समय वे बहकावे में पड़ जाते हैं

(२ म. प.)

और समझ नहीं सकते हैं और कुछ ऐसे तत्वों को वे वोट दे देते हैं जिनको कि वे चाहते नहीं हैं ।

यह हम मानते हैं कि समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक जनतन्त्र मजबूत नहीं हो सकता है और चल नहीं सकता है ।

(श्री मोतलाल)

हमारे माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हैं उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन प्लान को पहले लेना चाहिए और १० साल तक समाज शिक्षण की बात को छोड़ देना चाहिए । माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अन्दर सभी देशों ने माना है कि जब तक किसान और मजदूर शिक्षित नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है, उनमें वह जिम्मेवारी नहीं आ सकती है ! जब तक उनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा तब तक देश के बारे में उनमें जिम्मेवारी नहीं आयेगी । विदेशों के अन्दर प्रोडक्शन प्लॉन के अन्दर किसानों और मजदूरों ने हाथ बंटाया है । वह तभी बढ़ सके है जब कि उनको ज्ञान आ गया । प्रोडक्शन प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं जब तक कि किसान और मज़दूर शिक्षित नहीं हो जाते । उससे उनमें चेतना आयेगी और काश्तकारों को ज्ञान आयेगा तभी प्रोडक्शन प्लान आगे बढ़ सकता है । इसका हमें बहुत अच्छा अनुभव इस बात से हुआ है कि ७ साल से हमारे यहां ब्लॉक्स खुल रहे हैं और गांव गांव में एक एक एक्सटेन्शन ऑफिसर रखा है जो वहां किसानों को बतलाता है कि किसानों को कौनसा खाद काम में लाना चाहिए । आज किसान जानता है कि किस खाद को काम में लाने से उसका डबल प्रोडक्शन होता है । आज भी हमारे किसान उसका नाम नहीं जानते हैं कि इसका एनेलेसिस क्या है । लेकिन विदेशों में जानते हैं किसान और रिकमन्ड करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि इस इस तरह का खाद आ सकता है तो प्रोडक्शन डबल हो सकता है । किसानों के ऑर्गेनाइज़ेशन भी रिकमन्ड करते हैं गवर्नमेंट को कि खाद की व्यवस्था की जाय । हमारे देश के किसान खाद के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं क्योंकि वे अनपढ़ हैं । वे जानते नहीं हैं इसलिए बहकावे में रहते हैं । इसी तरह से फैक्ट्री के मजदूरों का हाल है । वे अपने हक को नहीं समझते हैं । काम को नहीं जानते हैं इसलिए वे प्रोडक्शन के अन्दर फेल होते हैं । ट्रेड यूनियन्स पोलिटिक्स पर चलती हैं । हमारे देश में पोलिटिकल पार्टीज़ मज़दूरों के दिमाग को खराब करती हैं, क्योंकि हमारा मज़दूर वर्ग शिक्षित नहीं है । जो मज़दूरों के नेता हैं वे पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, क्योंकि हमारा मज़दूर वर्ग शिक्षित नहीं है । जो किसान नहीं हैं वे किसान नेता बने हुए हैं । उन मज़दूरों में इतना ज्ञान नहीं है कि वे अपने अन्दर से अपने नेता चुनें । इसलिए अगर इस कानून को पास करने में आपत्ति आती है तो समाज के पक्ष में नहीं है, उसके हित में नहीं हैं, अहितकर है । वे चाहते हैं कि समाज को और अन्धेरे में रखें ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह अर्ज करूंगा कि हमने देश में जनता का राज्य कायम किया और जिस दिन विधान पास किया आज से १३ साल पहले उस दिन के बाद हम तरक्की करते जा रहे हैं । अभी दो साल पहले दुनिया ने माना है कि राजस्थान ने विकेन्द्रीकरण करके जनता की आर्थिक अवस्था को पंचायत और सहकारिता की मार्फत उन्नत करने का कदम उठाया है । इसके बावजूद भी जो किसान और मजदूर गांवों में रहते हैं और जो सहकारिता और पंचायतों को संचालित करते हैं और हम उनको शिक्षित

(श्री मोतीलाल)

नहीं करेंगे तो न तो हमारी पंचायतें अच्छी तरह से चल सकेंगी और न सहकारिता मूवमेंट सफल हो सकेगा और न असेम्बली और सरकार अच्छी तरह से काम कर सकेगी। उनको पूर्णरूप से जिम्मेदार करने के लिये पहले उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा।

अब रहा सवाल यह कि समाज शिक्षण की कौनसी परिभाषा होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में यहां कुछ कहा गया। परिभाषा के शब्द कुछ भी हों, शिक्षा की बात है। समाज शिक्षण का मतलब यह है कि जनता को साधारण ज्ञान दिया जाय, कुछ अक्षर ज्ञान हो, साधारण तरह से किस प्रकार उनको प्रोडक्शन में हिस्सा लेना चाहिये, किस तरह से राज्य के कामों में हिस्सा लेना चाहिये; इस तरह की यदि उनको शिक्षा देते हैं तो उनका बहुत बड़ा हित होगा। मैं इस तरह की शिक्षा को प्राइमरी स्कूल की शिक्षा से भी ज्यादा महत्व देता हूं। प्राइमरी स्कूलों में ६ साल की उम्र वाले बच्चे पढ़ते हैं और जब तक वे २०–२१ साल के नहीं हो जाते तब तक वे कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आज जो वयस्क हैं, जो देश को चलाने के लिये काम करते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक काम करते हैं उनको हमें पहले शिक्षित करना चाहिये। जो आने वाली पीढ़ी है वह १५ साल बाद हमारे समाज की व्यवस्था कायम करेगी। तब तक हमने कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें मूर्ख कहेगी। दुनियां के दूसरे देशों की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने इस प्रकार की चीज़ को माना है और इसके आधार पर वे उन्नति करते जा रहे हैं।

मैं एक छोटे से देश का उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से डेनमार्क में जाने का अभी सौभाग्य मिला था और वहां जाकर मुझे वहां के सामाजिक ढांचे को देखने का मौका मिला। मैंने वहां पर देखा कि वहां की जनता स्कूल ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। वहां की सहकारिता जितनी मजबूत है उतनी दुनियां के किसी दूसरे देश में नहीं है। इस देश में सहकारिता के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है, यह जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा; इसके बावजूद भी वहां के डेरी प्रोडक्शन का ६० प्रतिशत सहकारिता पर आधारित है और दूसरे आर्थिक मामले ७० प्रतिशत सहकारिता पर आधारित हैं। ऐसी वहां की सहकारिता है जहां पर कि इसके लिये कोई कानून नहीं है।

दूसरी बात यह है कि वहां पर जो जनता स्कूल्स हैं उनकी मार्फत समाज शिक्षण का काम सेन्ट पर्सेन्ट हुआ है। वहां जनता अपनी ड्यूटी और लिबर्टी को किस तरह से निभाती है यह देखने की चीज है। वहां का छोटे से छोटा किसान और मजदूर यह जानता है कि प्रोडक्शन किस तरह से करना है। यह एक छोटा सा देश है जहां की जन संख्या ५० लाख के करीब है। वहां पर न बड़े बड़े फार्म्स हैं, न कारखाने हैं। वहां के लोगों ने डेरी फार्म्स को लेकर सहकारिता के आधार पर इतनी उन्नति की है। बड़े बड़े कारखाने वाले देश हैं उनसे भी ज्यादा ऊंचा उन्होंने अपने देश को उठाया है। वे डेमोक्रेटिक ढंग से चलते हुए अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन को निभा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण समाज शिक्षण है। इसके अलावा विदेशों में जितनी दूसरी

(श्री मोतीलाल)

संस्थाएं हैं जैसे चर्च को ही ले लीजिये चाहे कैथोलिक चर्च हो या दूसरा हो वे लोगों को बिना शिक्षित किये हुए समाज को चला नहीं सकते, निभा नहीं सकते। छोटे से छोटा देश जैसे लग्जुमबर्ग है अपना सोशियल डेवलपमेंट करके दुनिया के सामने खड़ा है।

हमारे यहां राजस्थान की जन संख्या डेढ़ करोड़ से भी अधिक है। हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिये, हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये हमने सहकारिता और पंचायत संस्थाओं को कायम किया है। हमारी पंचायतों की आज हालत यह है कि उनकी लिस्ट कौन लिखे, उनके खसरे कौन बनावे, कानून की बात उनको मालूम नहीं क्योंकि वे इतने पढ़े-लिखे नहीं, इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं इसलिये हमें यह करना पड़ता है कि वहां सेक्रेट्री के पद पर किसी पढ़े-लिखे आदमी को रखना पड़ता है। इस पर हम जब सोचते हैं तो हमारे सामने यह बात आती है कि किस तरह से हम इस बात को इकोनोमिकली निभायेंगे, तो हमें यह ख्याल करना पड़ता है कि यदि वहां के किसान, पंच और सरपंच पढ़ जायेंगे तो रास्ता अपने आप निकल जायेगा। वे अपने आप सोचेंगे, विचार करेंगे और आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे। इसलिये फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापिस लें और इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करावें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस बिल को अमेन्डमेंट के द्वारा संशोधित कर लें। जो माननीय सदस्य इस बिल के इनचार्ज हैं या फाउन्डर हैं उनसे मैं इतना ही कहूंगा इस बिल की सारी भूमिका को देखने के बाद कि वे शायद भूल गये हैं कि देश का विधायक किसान और मजदूर होता है लेकिन इस बिल में उनका कहीं नाम नहीं है। न तो आपने ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधियों को लिया है, न फारमर्स के ऑर्गेनाईजेशन्स से प्रतिनिधि लिये हैं। मैं कहूंगा कि देश में कोई ऑटोनोमस बोडी बनावें। पहले डिस्ट्रिक्टवाइज़ बोडी बनाने के बाद इलेक्टिव बोर्ड होना चाहिये। स्टेट बोर्ड इलेक्टेड बेसिस पर हो, हालांकि गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हों, उनकी संख्या कितनी हो, यह निर्णय की बात है, कम हो या ज्यादा हो लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का न हो। लेकिन बोर्ड का निर्माण निश्चित रूप से नीचे से आना चाहिये। हर डिस्ट्रिक्ट में समाज शिक्षण बोर्ड हो वह अपने प्रतिनिधि इस बोर्ड में भेजे। राजस्थान की विचित्र स्थिति है। एक जिले की भाषा दूसरे जिले की भाषा से अलग होगी, सिद्धान्त अलग होंगे; इस दृष्टि से समाज शिक्षण बोर्ड रहेगा तो हर जिले के प्रतिनिधि ५ या दो हों; इसका विकेन्द्रित-रूप रखना इसलिये जरूरी है। जनतांत्रिक दृष्टिकोण रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा और लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही साथ किसान मजदूरों की संस्थाएं हैं वे ज्यादा काम करती हैं उन्हें ज्यादा मालूम है कि कौन सी स्थिति में किस तरह के समाज शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे अच्छी तरह से तरक्की हो सके। उनके प्रतिनिधि रहें, विकेन्द्रित संस्थाएं जैसे जिला परिषद, पंचायत समितियां आदि उनका बोर्ड बने, उनकी मार्फत काम करेंगे तो उनके प्रतिनिधि इसमें रहने

(श्री मोतीलाल चौधरी)

चाहिये तभी वे अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। मैं इतना ही कह कर फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को विथड्रा करलें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को पुन: सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिये ताकि अच्छी तरह से विचार हो सके। मैं जब इस विषय पर सोच रहा था तो मैं ऐसा महसूस करता था कि जहां तक विचार करने का सवाल है, सिलेक्ट कमेटी द्वारा विचार करने का सवाल है, यों तो सिलेक्ट कमेटियां समय समय पर बनी हैं लेकिन खास करके समाज शिक्षण बोर्ड के बारे में जो सिलेक्ट कमेटी बनी उसको जिस तरीके से काम करना था उसने उस तरीके से काम करने का प्रयत्न भी किया क्योंकि समाज शिक्षण से संबंधित बोर्ड को बनाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सिलेक्ट कमेटी के संचालकों ने यह भी देखा और समझा कि इस संबंध में समस्त इलाकों में जाकर वहां की संस्थाओं को देखें जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या जो शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले हैं उनके विचारों को जानें। इतना ही नहीं, इस विधेयक को बनाने से पूर्व हिन्दुस्तान के बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों को भी इस विधेयक की प्रतियें भेजीं और साथ ही साथ उनसे सुझाव भी मांगे गये। वे सिलेक्ट कमेटी के सामने भी आये और उन पर भी सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने विचार किया। तो जहां तक सिलेक्ट कमेटी के काम करने का सवाल था, मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने कार्य को विस्तृत रूप से किया। जहां तक कि सिलेक्ट कमेटी की बैठक उदयपुर में हुई, वहां शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण किया, उसे भी देखा, जिन लोगों की राय आई, वे भी समिति के समक्ष पढ़ कर सुनाई गई और उसके साथ साथ उसके आधार पर संशोधन, परिवर्तन करने का काम भी समिति ने किया। अब ऐसी परिस्थिति के बाद अगर इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय तो सिलेक्ट कमेटी कौनसा नया काम करेगी ? इसी तरीके से, मैं समझता हूँ कि करेगी, इससे ज्यादा काम करना कठिन होगा। हो सकता है कि इसको फिर दूसरी सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जाय, तो उसमें इसी प्रकार से राय मांगी जायगी, और उसमें वही हो सकता है, जो कुछ काम इसमें किया गया है उसके अतिरिक्त और काम नहीं होगा। इसलिए मैं इस विचार का कि इसे पुन: सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय, इसका तो मैं विरोध करता हूं।

इसके साथ साथ कुछ सम्माननीय सदस्यों की इस प्रकार की भी मन्शा थी, वे यह चाहते थे कि इस बिल पर फिर से गम्भीरता से विचार करने के लिए इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाय और बाद में इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय। मैं इस राय का भी नहीं हूं, क्योंकि फिर से विचार किया जाय तो क्या होगा क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं जहां तक समझता हूं जैसा जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

समाज शिक्षण की व्याख्या जो है, वह जब तक ठीक ढंग से नहीं बन पाती तब तक विधेयक बनाने से मतलब क्या ? मैं कहना चाहता हूँ कि समाज शिक्षा का जो स्वरूप है, वह बड़ा व्यापक है और कितने भी शिक्षण शास्त्री मिल कर समाज शिक्षण की व्याख्या करना चाहते हों, उसकी एक ही व्याख्या हो, दूसरी नहीं हो सके, यह कठिन काम है। समाज शिक्षण की व्याख्या करना और फिर ऐसी व्याख्या कि उसके सिवाय दूसरी हो नहीं सके और उसके बाद इस विधेयक को लाया जाय या कार्य प्रारम्भ किया जाय, यह कठिन काम है, हो नहीं सकता, असम्भव है, क्योंकि जो समाज शिक्षा का रूप है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, उसका बहुत ही विस्तृत रूप है। इसके बारे में यहां तक सोचते हैं कि यह प्रौढ़ शिक्षा का रूप है। जिस प्रौढ़ व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, उसको एकमात्र साक्षर बना देना, उसको शिक्षा देना, इतना इसका काम है और जो इसके लिए यह सोचते हैं कि यह बिल इतने से सार्वजनिक काम के लिए है, तो मैं समझता हूं कि यह भूल है। प्रौढ़ शिक्षा से इसका मतलब नहीं है, यह भी नहीं कि समाज शिक्षा के अन्तर्गत छोटे से छोटे बालक से लेकर ६०-७० वर्ष तक के वृद्धि शिक्षा प्राप्त कर सकें। कुछ कह सकते हैं कि जो शिक्षा चल रही है, बालक उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं उसमें समाज शिक्षा नहीं मिलती। मैं मानता हूं कि समाज शिक्षा नहीं मिलती है परन्तु आज समाज के ढांचे में जो परिवर्तन होते जा रहे है, समाज के रूप में परिवर्तन होते जा रहे हैं और उस तरीके से जिस प्रकार ज्ञान का विकास होता है, इन सारी चीजों को हम किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा इन्स्टीट्यूशन नहीं है, जिससे किसी प्रकार से समाज का विकास हो सकता हो। समाज के विकास के दृष्टिकोण से यह आवश्यक मानना पड़ेगा कि समाज के समुचित, सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से और जिस प्रकार समाज के साथ साथ समाज के ज्ञान-विज्ञान बढ़ते हैं, उस ज्ञान की सारी जानकारी समय समय पर उनको मिले, जो वे पढ़े-लिखे हैं, जो नहीं समझते हैं ! यह बिल अपढ़ के लिए भी है और उसके लिए भी है जो होशियार है, जो एम. ए. तक शिक्षा प्राप्त कर चुका है, उसके लिए भी समाज शिक्षण आवश्यक है। हर एक नागरिक के जीवन से सम्बन्धित, परस्पर समाज से किस प्रकार व्यक्ति का सम्बन्ध है और उसका जो जीवन-स्तर है वह कितना ऊंचा है और उसके अनुसार ज्ञान-विज्ञान की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, ये सारे दृष्टिकोण समाज शिक्षण में होते हैं। समाज शिक्षण विदेशों में भी होता है और विदेशों में इस प्रकार की दूसरी शिक्षायें होती हैं, परन्तु समाज शिक्षण का रूप है, वह उससे विपरीत है और उस रूप को हमको समझना है। मैं कहना चाहता हूँ कि इंगलैंड में समाज शिक्षा है, जर्मनी में है, डेनमार्क में है और समाज शिक्षण की संस्थाओं की ओर से इस प्रकार के आयोजन किये जाते हैं जिससे उनके ज्ञान-विज्ञान में विकास होता है। एक डॉक्टर है, एम. बी. बी. एस. है, वह डिग्री प्राप्त कर लेता है, यह स्पष्ट है कि १० साल, पांच साल पहले डिग्री प्राप्त की थी, उस समय जो ज्ञान था, उसका वह ज्ञान आगे चल कर विज्ञान में परिवर्तित हुआ और बहुत सी नई नई चीजें

(श्री मुरलीधर व्यास)

सामने आई ! अब उन चीजों से परिचित कराना है पुराने डॉक्टरों को। तो समाज शिक्षण संस्थायें इस प्रकार के आयोजन करती हैं, जिनके अन्तर्गत, ऐसे डॉक्टर, जो एम. बी. बी. एस. हैं, वह स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, डॉक्टरी के सम्बन्ध में नया विज्ञान बना है, उन सारी चीजों के सम्बन्ध में, इलाज के सम्बन्ध में और आंखों के ऑपरेशन के सम्बन्ध में, जो विज्ञान में विकास हुआ है उस सब के बारे में वह शिक्षा देता है। वह यह बताता है कि अब पांच साल के अन्दर विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, अब इस विज्ञान के आधार पर काम करना है। तो यह भी उनका काम है। केवल इतना सोच लिया जाय कि इसका काम छोटा है, प्रौढ़ों को पढ़ा देना है, बच्चों को, बूढ़े लोगों को पढ़ा देना है, इतना काम नहीं है। मैंने उदाहरण के रूप में जैसा कहा, इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा समाज शिक्षा में आती है। दर्जी है, नाई है, धोबी है, बढ़ई है, हर प्रकार के काम करने वाले हैं, उनके कैम्प होते है। जो दर्जी हैं, वह इस प्रकार से सिलाई करता है, जिससे कपड़े की बचत होती है और नई डिज़ाइन का कपड़ा बनाता है तो वह वहां सब कुछ बताता है। इसी प्रकार एक नाई हजामत बनाने लगा है वह देखता है कि इस काम में कितना विकास हो गया है, तो कैम्प करके शिक्षा देते हैं। कैम्प किया जाता है, जिसमें वह आते हैं और सिखाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस शिक्षा का रूप, जो हम सोचते हैं उसकी तरक्की के लिए कोई नया रास्ता न सोचा जाय तो इसका विकास नहीं हो सकता है। दूसरे, हमें अपने देश को विकसित करना है। आज जिन परिस्थितियों में हम हैं, उन परिस्थितियों में विकास नहीं कर सकते, हम देश का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं। तो जो समाज का विकास करने का रास्ता है, उसको अपनाया नहीं जाय, उसको छेड़ा नहीं जाय, यह कहा जाय कि कुछ समय के लिए ठहर जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि यह कहना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां तक समाज शिक्षा के रूप का प्रश्न है, हम सबको ज्यादा उन्नत बनाना चाहते हैं और उसके बाद इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसको भी हमें समझना चाहिए। अभी हमारे सम्माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज हमारे राजस्थान ने अपने दृष्टिकोण से सोचा और उसने एक विकेन्द्रीकरण की योजना बनाई और उसके अन्तर्गत हमारे जनतांत्रिक ढांचे को एकदम बदल दिया गया और वह इतना नया ढांचा बना है, इतना प्रगतिशील बना है कि बाहर के लोग और हिन्दुस्तान के लोग महसूस करते हैं कि यह कदम उठाया है, उसको डेमोक्रेसी में एक नया कदम लोग मानते हैं। मैं भी समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के ढंग से एक अच्छा कदम उठा है। अब जो अच्छा कदम है, अच्छी योजना बनाई है, यह कामयाब कैसे हो सकती है ? विकेन्द्रित ढांचे में जो काम करने वाले हैं, अगर वे समाज से सम्बन्धित जानकारी से परिचित नहीं हैं तो जिस ढांचे को हमने बनाया है उसको कैसे कामयाब कर सकते हैं ?

इसी प्रकार पंचायत समिति उसका माध्यम हो, उसका माध्यम जिला परिषद् हो, गांवों में काम करने वाले कॉम्युनिटि प्रोजेक्ट में काम करने वाले उसका माध्यम हों। वे जिस प्रकार से शिक्षित हों किस

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार उनको शिक्षा में जानकारी हो वे हम करते हैं। परन्तु जो नया ढांचा हमने बनाया है अगर उस ढांचे के अनुरूप तैयार नहीं करेंगे तो हम विकेन्द्रीकरण से डेमोक्रेसी को कतई कामयाब करना चाहें, नहीं हो सकती। तो इस समाज शिक्षण में भी जैसा कि अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे कई स्थान हैं जहां समाज शिक्षण का काम होता है जैसे बीकानेर, जयपुर में। रात्रि शालाएं हैं, प्रौढ़ शिक्षा चलती है। ऐसा है कि वे लोग जो खेती का काम करते हैं उनको दिन को समय नहीं मिलता, वे रात को पढ़ते हैं। यह इसका रूप है। परन्तु यह रूप हर जगह का नहीं हो सकता। हम समाज शिक्षा के अंग हैं, संस्थाएं उसमें आवेगी क्योंकि यह भी आवश्यक अंग हैं कि जो कर्मचारी पढ़ रहे हैं आगे पढ़ना जारी रखना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए वे पढ़ते हैं और इसके लिए ही ऐसी संस्थाएं काम करती हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ऐसी संस्थाएं चाहते हैं जिसके अनुरूप हम ऐसे शिक्षक या लोग या व्यक्तियों को तैयार कर सकें जो इसके अनुरूप होकर काम कर सकें। मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में जैसे जनता कॉलेज चलते हैं जिसमें शिक्षा का आयोजन किया गया है और वह हमारे लिए एक आवश्यक अंग है समाज शिक्षण का और हम उसको आवश्यक अंग समझ रहे हैं; इसी प्रकार और भी इसके प्रचार के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसको मिल कर दूर कर सकते हैं। मगर यह कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता है। इसलिए है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि ८ वीं में पढ़ता है आप उसको तैयार नहीं कर सकते। नीचे वाले जो भी बच्चे हैं, आज का समाज शिक्षण आज जिस प्रकार चाहता है वह तैयार नहीं हो सकते हैं। इसलिए तैयार करना है कि इसके साथ ८० प्रतिशत लोग इसके दायरे में नहीं आते हैं। उनको छोड़ना नहीं चाहिये। ये दोनों दृष्टिकोण हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस काम में विशेष करके दिक्कत आवेगी। इसके काम करने के लिए बहुत बड़ा दायरा चाहिये। सारे गांवों में प्रचार करने के लिए समय लगेगा। मैं यह नहीं कहता कि सारा काम एक साथ हो जावे। मैं यह कहूंगा कि सारे प्रगतिशील देश हैं उन्होंने इस बात को मान लिया है और अगर हमने भी इस सिद्धान्त को मान लिया है तो हमें जल्दी शुरू करना चाहिये और अनुभवों के आधार पर काम जारी करना है। आप यह समझें कि समाज शिक्षण की कमजोरियें हैं उनको मिल में लाकर दूर करेंगे, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। वह जब आप काम करेंगे तब अपने आप सामने आयेंगी और निकल जावेंगी। कुछ कमियें होंगी। कुछ दिक्कतें होंगी उनमें उसके बाद में ही सुधार होगा। परन्तु पहले से ही आप यह सोचें कि इसमें सुधार आ जावे; मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। यह ठीक है कि सदन बैठ कर कुछ कमियों को दूर कर सकता है परन्तु इसके लाभ जब सामने आवेंगे और उस समय कुछ कमियें होंगी वे अपने आप दूर हो जावेंगी, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं यह मानता

Page No.75

(श्री मुरलीधर व्यास)

हूं कि जब यह बिल बन जावेगा और इसमें कुछ काम करेंगे और समाज के क्षेत्र में जाकर काम करके अनुभवी लोगों को देखेंगे और उनकी राय लेंगे तभी उसमें परिवर्तन कर सकेंगे । तब कहीं जाकर हम समाज शिक्षण के काम को प्रारम्भ करते हुए आगे बढ़ेंगे । इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने इसमें यह निर्णय दिया है कि इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जावे; यह उचित नहीं है । यह कहना कि कुछ समय के लिए छोड़ दिया जावे, मैं नहीं मानता । मैं मानता हूँ कि खामियें सब में होती हैं । ऐसी हालत में इसमें जो कमियें हैं उसमें सुधार करके जल्दी समाज शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये । अब यह कहा गया कि यह उदयपुर में रहेगा । हर डिविजन में, हर डिवीज़नल हैड क्वार्टर में आप शिक्षण चला सकते हैं । आपको पब्लिक को शिक्षा देनी चाहिये, आपको पंचायतों को शिक्षा देनी चाहिये, काम करनेवालों को शिक्षा देनी चाहिए । अगर इसके दायरे में शिक्षण दिया गया तो वह समाज शिक्षण को समझ कर शिक्षा दे सकते हैं । यह काम जल्दी हो सकता है और कुछ काम भी हो सकता है । एक ही केन्द्र हो तो कितना काम हो सकता है ? इन सारी कमियों को दूर कर सकते हैं । यह कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं कहूंगा कि इसकी जरूरत है और इसको अविलम्ब पास करना चाहिये । इसकी खामियों और कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय लगेगा, वह लगना चाहिये और वह लगेगा । मैं समझता हूँ कि इसको जल्दी से पास करना चाहिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण बोर्ड बिल प्रवर समिति के द्वारा प्रतिपादित सदन के समक्ष प्रस्तुत है । समाज शिक्षण बोर्ड की आवश्यकता और महत्व के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि किसी की भी दो रायें नहीं हैं । कोई इसके गठन में, कहीं इसकी रचना में, कहीं किसी खास धारा में चाहे अपना मतभेद प्रकट करें । लेकिन जहां तक यह मूल विधेयक लाया गया है तो इस समय चाहे प्रवर समिति के दौरान में किसी ने इसके लिए असहमति प्रकट की हो कि इसकी हमारे देश में आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं कि कहीं भी देखने में नहीं आया । यह बिल प्रवर समिति के समक्ष आया । वहां पर केवल प्रवर समिति के सदस्यों ने ही अपने विचार और सुझाव दिये हों, ऐसी बात नहीं है बल्कि उस समय हमारे देश के, हमारे समाज के कुछ ऐसे विशेष और विशिष्ट व्यक्तियों और शिक्षा शास्त्रियों ने जिन्होंने इस क्षेत्र में लम्बे अर्से तक काम किया है, उन्होंने समिति के सामने साक्षात्कार होकर अपने अनुभवों के आधार पर अपने सुझाव दिये । मैं समझता हूँ कि लगभग १६ महानुभाव समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए आये । दूसरे महानुभाव जो प्रवर समिति के समक्ष साक्षात् नहीं आ सके उन्होंने अपने विचार लिखित रूप में में भेजे और उन विचारों पर प्रवर समिति के सदस्यों ने विचार किया और उनका समावेश किया । तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इस प्रतिवेदन को हम कोई अधूरा या अपूर्ण मानें, सो तो ऐसी चीज इसमें प्रतीत नहीं होती क्योंकि जितने भी विचार इतने सीमित समय में आ सकते थे आ गए । कुछ

Page No.76

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विशेष प्रतिवेदन रखा है उससे मतभेद हो सकता है । लेकिन मुख्य चीज तो यह है कि हमारे देश को क्या इस प्रकार के समाज शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं ? मैं समझता हूं कि समाज शिक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है । मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां जो शिक्षा इस समय दी जा रही है उससे भी इसकी आवश्यकता हमारे देश में ज्यादा है । यदि कुछ दिनों के लिए दूसरी सारी शिक्षा को भी बन्द कर दिया जावे तो हमारे देश को इतनी हानि नहीं हो सकती लेकिन हमारे समाज में जो एक बाहरी रूप से शिक्षण का काम परम्परा से चलता आ रहा है वह बन्द हो जाता तो हमारा देश अधोगति की ओर चला जाता । ऐसा मेरा विश्वास है । क्योंकि पिछले वर्षों में हमारी इस शिक्षा का बहुत ह्रास हुआ है । लगभग २००, ३०० वर्षों के काल में जब इसका ह्रास हो रहा था उस समय भी हमारे धर्मगुरू और दूसरे लोगों द्वारा हमारे देश में समाज शिक्षण का प्रचार जारी रहा । चाहे वे हिन्दुओं के धर्म प्रचारक रहे हों, चाहे वे जैनों के धर्म प्रचारक रहे हों, चाहे मुसलमानों के या किसी भी धर्म के धर्म-प्रचारक रहे हों, वे न केवल धर्म का प्रचार करते थे बल्कि उसमें समाज की सर्वांगीण उन्नति का समावेश होता था । लेकिन आज के युग में सारे संसार में नये वैज्ञानिक अन्वेषण हो रहे हैं । वैज्ञानिक दौर चला है तो इस युग के अनुरूप भी हमारे देश को तैयार करना है और उसी प्रकार की समाज शिक्षा की व्यवस्था करनी है और इसी दृष्टि से इस बोर्ड के गठन की आवश्यकता महसूस की गई है ।

तो इसके सम्बन्ध में सबसे पहली चीज तो यह बतलायी गई कि समाज शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे देश को और राज्य को भी इसलिए आवश्यकता है कि हम इस दृष्टि से संसार के दूसरे देशों से पीछे हैं । हम अपने देश के धर्म गुरुओं का गुणगान करते हैं, हम अपने देश के वीरों का गुणगान करते हैं, हम अपने देश के विद्वानों का बखान करते हैं, लेकिन मैं बड़े पुरातन विचारों का होते हुए भी इस बात को स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हमारा देश आज बहुत पीछे है । जहां तक हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय चरित्र का सम्बन्ध है; आज हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय चरित्र नहीं बन पाया । यों भी देखें तो एक युग वह था जब कि हमारा देश सारे संसार का गुरु कहलाया । वह युग तो समाप्त हो चुका । जो हमारे देश में धर्म परायणता थी, जो हमारे देश में सच्चाई और ईमानदारी थी, जो हमारे देश में कर्त्तव्यपरायणता और कर्त्तव्य निष्ठा थी वह तो आज इतिहास के पन्नों में ही रह गयी । आज उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाय, इंगलैंडवासियों का राष्ट्रीय चरित्र है, अमेरिका निवासियों का राष्ट्रीय चरित्र है, जापान के देशवासियों का भी राष्ट्रीय चरित्र है, मैं समझता हूं हमारे देशवासी उस राष्ट्रीय चरित्र में पीछे हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में आज भी ऊंचे से ऊंचे संत रहते हैं, महात्मागांधी जैसे महात्मा भी हमारे देश में हो सकते हैं तो साथ साथ जिनको हम अधम भी कह सकते हैं, अधमाधम भी हमारे देश में मिल सकते हैं । हमारे देश के प्रति जो कर्त्तव्य होना चाहिए, जिस प्रकार से दूसरे देशवासी अपने देश के समाज और कर्त्तव्य

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

का पालन करते हैं, उसमें हम पीछे रह गये हैं; इस प्रकार के उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां राष्ट्रीय चरित्र की कमी है और उसके निर्माण के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता समाज शिक्षण की है। जहां तक इसके उद्देश्य और परिभाषाओं पर वाद-विवाद हुआ, काफी लम्बी चौड़ी परिभाषा दी गई है। उसकी उपयोगिता को समझने का विचार किया तो मैंने उस सम्बन्ध में उसी समय विचार बनाया और आज भी उस विचार पर दृढ़ हूं कि समाज शिक्षा का उद्देश्य केवल एक-दो पंक्तियों में ही संभव नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं मेरा अपना दृष्टिकोण है कि समाज शिक्षा का उद्देश्य हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसको समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना, उसके चरित्र का निर्माण है, उसके व्यक्तित्व का विकास है और इसलिए वह समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सके। इसके आधार पर यदि समाज शिक्षा का कार्य हो तो अवश्य वह सफल होगा।

राष्ट्र निर्माण के बारे में बताया। उसके बारे में हमारे में कमी है। मैं अभी भी यह अनुभव करता हूँ कि हमें अपने पड़ौसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, हमें अपने गांव के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिये, हमें अपने देश के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिये, हमें अपने देशवासियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिये, हम पढ़े-लिखे कहलाने वाले लोग, युनिवर्सिटीज़ की डिग्री प्राप्त करने वाले, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा कीजिये, उनमें भी कमी आज पायी जाती है। जो देश-प्रेम हमारे राष्ट्र-वासियों में होना चाहिये वह आज हमको नहीं मिलता है। उसका कारण केवल मात्र राष्ट्रीय निर्माण की भावना की कमी और राष्ट्रीय चरित्र की कमी है। ऊपरी शिक्षा आज दी जाती है। किताबी शिक्षा दी जाती है और जो शिक्षा हमारे परम्परागत धर्म-और संस्कृति के आधार पर जो हमारे धर्म गुरू देते थे और किसी समय में हमारी मातायें लोरियों के द्वारा देती थी और पिता भी सुबह-शाम यज्ञहौत्र के द्वारा देते थे उसका आज हमारे देश में पूर्णतया अभाव हो गया है। इसीलिए आज पढ़े-लिखों में चरित्रहीनता की शिकायतें मिलती हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं, मिलावट की शिकायतें की जाती हैं और झूंठ, प्रपंच और तिगड़मबाजी ऐसे कितने ही शब्द आ रहे हैं, जो पढ़े-लिखे लोगों में ज्यादा मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे यहां की पढ़ाई-लिखाई केवल किताबी है और वह किसी प्रकार से सच्चे नागरिक नहीं बनाती। हमारा राष्ट्रीय चरित्र जो होना चाहिये उसका वह निर्माण नहीं करती। सच्चे नागरिक बनाने के जो साधन हो सकते हैं आज उनका अभाव है। मैं आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सर्वथा विरोधी हूं। क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली हमें कुछ पढ़ने-लिखने-धन्धा दिलाने के लिए ही है। इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है बल्कि इससे तो हमारे व्यक्तित्व का ह्रास हो रहा है। जिस प्रकार के व्यक्तित्व का विकास एक स्वतन्त्र देश के नागरिक का होना चाहिये वह आज की इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा नहीं होता। व्यक्तित्व का विकास इसलिए नहीं होता,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आज तो व्यक्ति खुशामद, चापलूसी एक दूसरे के पीछे २ फिरना और इससे कुछ आर्थिक लाभ हो जाय, पद का लाभ हो जाय, इस तरह से एक संकीर्णता में फंस गये हैं। इसीलिए व्यक्तित्व के विकास में यह बाधक है। इसलिए आवश्यक शिक्षा की व्यवस्था की जाय जो राष्ट्र के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का और राष्ट्र के निवासियों का, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सके। वह किस तरह से हो सकता है? जो इस बिल में बताया है। हमारे मनीषियों ने विचार प्रकट किये हैं, उसके सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि जहां तक हो समाज शिक्षा के लिए मैं चाहूंगा कि वह सरकार का जो प्रभाव है उससे कम से कम प्रभावित हो। साधारण शिक्षा के बारे में भी मेरा यह व्यक्तिगत मत है और मैं समझता हूं कि ऐसे लोग भी इस मत का समर्थन कर सकते हैं कि जितनी यह राजतंत्र से मुक्त होगी उतनी ही हमारी यह शिक्षा अच्छी और आदर्श शिक्षा कहला सकती है। इसलिए समाज शिक्षा को तो सरकारी तन्त्र से बिल्कुल ही मुक्त रखना बहुत ही आवश्यक है। हां, हिसाब-किताब, किसी प्रकार की गड़बड़ी की बात हो उस पर निरीक्षण की बात हो सकती है, लेकिन दैनिक काम जिसको कहना चाहिये, समाज शिक्षण क्या है, उसका क्या विषय हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाय, इनमें सरकार की ओर से विशेष हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं इस बात का भी पक्षपाती हूं कि इसमें राज्याधिकारियों को कम से कम स्थान मिलें। इसमें राज्याधिकारी कम से कम हों। केवल शिक्षा विशारद के नाम से अथवा शिक्षा में अनुभव न हो और उनको रख दिया जाय, इससे काम नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए आप कहेंगे शिक्षा-शास्त्री हो। हमारा यह अनुभव है, शिक्षा के माने में वे शिक्षित अवश्य होंगे, यह मैं मानता हूं, वह बी. ए., एम. ए. और आजकल जो आर. ए. एस. और आई० ए० एस० की चीज़ चल पड़ी है, होंगे, लेकिन वे शिक्षा मर्मज्ञ होंगे; यह आवश्यक नहीं है। कॉलेज के प्रिन्सिपल हैं, उनका वेतन इतना नहीं होगा, लेकिन शिक्षा के माने में वे अधिक समझते हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि शिक्षा की दृष्टि से शिक्षा विशेषज्ञ हैं उनका समावेश उनमें किया जाय, बनिस्बत उनके कि जो राज्याधीन पदों पर अधीष्ठित हैं उनको रखा जाय। मान लीजिये शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के संचालक के रूप में हो सकते हैं, उसमें भी हम यह मानेंगे कि वे शिक्षा विशेषज्ञ नहीं हो सकते जो शिक्षा की दृष्टि से उसके ज्ञाता रहे हों, कॉलेज के प्राध्यापक रहे हों, वर्तमान शिक्षा संचालक हैं, वे शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों का शिक्षा के क्षेत्र से सम्पर्क नहीं है उनको शिक्षा संचालक बना दिया जाता है और बना दिये गये हैं। इस प्रकार शिक्षण संस्था की या बोर्ड की समिति गठित होती है, कोई इस प्रकार की व्यवस्था होती है, ऐसे व्यक्ति आकर बैठते हैं तो उनका अधिक उपयोग नहीं होता है।

इसके गठन के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इसमें यह प्रावधान विशेष रूप से रखने का है। हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है, राज्य सरकार की ओर से विरोध किया जाता है; मेरा जहां तक ध्यान है राज्य सरकार की ओर से एक अधिकारी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ने उदयपुर में विचार व्यक्त किये थे उसमें उनकी ओर से शंका प्रकट की गई थी कि इतना बड़ा काम जिस पर हम लोगों ने विचार प्रकट किये थे कि समाज शिक्षा का विस्तार इस तरह से होगा कि जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक जितने भी अवसर आते हैं उन सब के लिये शिक्षा दी जाय, इतना बड़ा इसका विस्तार होगा; उनका कहना यह था कि इतने बड़े काम के लिये सरकार के अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। मेरा उस समय भी उत्तर था और आज भी कहता हूँ जैसा कि हम तृतीय योजना में स्वीकार कर चुके हैं कि हमको अपने देश के १४ वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को साक्षर करना है। मैं यह समझता हूं कि इससे हमारा काम बहुत कुछ हल्का होता है। जहां तक अक्षर ज्ञान का सवाल है वह इसमें आ जायगा, अक्षर–ज्ञान के लिये व्यय सरकार की ओर से हो जायगा। जितनी भी समाज शिक्षण में काम करने वाली संस्थायें हैं उन पर इसका भार डाला जाय, सरकार उनको सहायता दे, लेकिन सरकार अपनी ओर से नहीं खोले। इस प्रकार का कार्य करने वाली संस्थायें उदयपुर, जोधपुर बीकानेर हर जिले के जो जिलास्तरीय स्थान हैं वहां इस प्रकार की संस्थायें विद्यमान हैं। इसके अलावा दूसरी जगह भी है जो लोग इस प्रकार की संस्थायें चला रहे हैं ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा में अभिरूचि ले उनको प्रोत्साहित किया जाय। समाज शिक्षण में जो जो विषय समाविष्ट हैं उनके आधार पर शिक्षण संस्थायें खोलें उनके सम्बन्ध में सीमा और नियम निर्धारित कर दें; इस तरह से ये सरकारी संस्था न बन कर गैर सरकारी संस्थायें बनी रहें। आवश्यकता इस बात की पड़ेगी कि जो समाज शिक्षण संस्थायें होंगी उनमें पुस्तकीय ज्ञान नहीं होगा; अंकगणित, बीज गणित, ज्योमेट्री, इतिहास, भूगोल नहीं होगा। वहां जो शिक्षा होगी वह यह होगी कि स्वास्थ्य किस तरह से अच्छा रह सकता है, उनको मल्ल रखने होंगे जो दंड बैठक का ज्ञान दे सकें, अच्छे वैद्य रखने होंगे जो स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दे सकें। वहां नागरिक ज्ञान की शिक्षा देनी पड़ेगी इस। तरह से बहुमुखी शिक्षा देने की आवश्यकता होगी। इसके लिये समाज के लोगों का भी वे सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा वे लोग जो रिटायर्ड हैं जिनकी शिक्षा में रूचि रही है वे भी इस प्रकार की संस्थायें बनायेंगे। हर गांव और शहर में इस प्रकार के लोग मिल सकते हैं जो इस प्रकार की संस्थायें चला सकते हैं। इस तरह से समाज के एक एक अंग सम्बन्ध में कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं। सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है जो बोर्ड बनता है उसका समन्वय इस प्रकार से करें ताकि इस प्रकार के लोगों द्वारा वह कार्य हो सके। इसके अन्दर जहां तक हो, सयोजन और नियोजन का विशेष रूप से ख्याल रखा जाय और इसमें सरकारी तन्त्र को कम से कम दखल देने दिया जाय।

इसके अलावा इस सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इसमें जो ४५ सदस्यों को रखा गया है यह अधिकतम संख्या है, इसको कम किया जाय। सरकारी सदस्य तो इसमें अत्यल्प हो, इसके साथ साथ दूसरे भी जहां तक हों कम से कम रखे जायं। इसको बहुत विस्तृत न बनाया जाय और जो आवश्यक हो वह छूट न जाय और जो

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अनावश्यक हो उनको व्यर्थ में न भरा जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय और इनकी संख्या कम की जाये ।

इसके साथ साथ मैं यह उचित समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अधिकार विकेन्द्रित हों, इसका कार्य-क्षेत्र भी विकेन्द्रित हो । संचालन आप किसी स्थान से कर सकते हैं । इस सिलसिले में एक माननीय सदस्य ने जिन्होंने कि इस बिल का समर्थन किया है उन्होंने अपने विचार प्रगट करते हुए कहा है कि इसको अभी कुछ देरी से लिया जाये और जिन चीजों का इसमें समावेश है उन पर भी ध्यान दिया जाये । इस बिल को विलम्बित किया जाय इसके पक्ष में मैं नहीं हूं । यह जो हमारी संस्था होगी, बोर्ड होगा, वह गत्यात्मक और विकासोन्मुख होगा । आज जो बन गया है उसी प्रकार का रहेगा; यह कल्पना नहीं कर सकते । विकासोन्मुख और गत्यात्मक जब इसको हम मानते हैं तो उसके लिये अवसर मिलेगा जैसे जैसे समय बीतता जायगा उसके अनुसार परिवर्तन भी होता रहेगा । जिस जिस प्रकार का प्रभाव समाज और देश पर पड़ता जायेगा संस्था के अन्दर उसी प्रकार की गतिविधियां चलेंगी और उसी प्रकार की व्यवस्था होगी । इसलिये आज विलम्ब करना मैं उपयुक्त नहीं मानता । जितना जल्दी हो सके हमें इसको पास करना चाहिये और जो जो सुझाव मैंने इसमें दिये हैं मैं समझता हूं उस प्रकार के सुझावों का समावेश इसमें किया जाय और जितना जल्दी हो इसको कार्य रूप में लेकर इससे लाभ उठाया जाय तो हमारे देश और समाज को बल मिलेगा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षण विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है । इस बारे में क्या उदयपुर में, क्या जयपुर में कई संस्थायें हैं उनका तारतम्य किया जाना चाहिये । मैं खुद भी सिलेक्ट कमेटी में मेम्बर रहा हूँ उस नाते मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों के अन्दर आवश्यक है कि हम इस बिल को पास करने में विलम्ब न करें । समाज शिक्षण की व्यवस्था भारत में ही नहीं राजस्थान में भी बहुत आवश्यक है, इसलिये इसके लिये विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है ।

एक प्रश्न जो मुझसे पहले फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और भी अन्य सदस्यों ने इस बिल को फिर सिलेक्ट कमेटी में भेजने की इच्छा जाहिर की, मैं यह निवेदन करूंगा कि उनकी बातों को दोहराना एक प्रकार से पिष्टपेषण होगा । किसी भी चीज़ को बार बार पीसा जाय तो उसमें किरकिर आती ही है । इसलिये मेरा तो यही निवेदन है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणत करना बहुत आवश्यक है । इसमें यह भय नहीं रहता है कि आज जो नीति निर्धारित हो गई वही हमेशा रहेगी । यह बात नहीं है समय के साथ साथ नीतियां और विचारधारायें भी बदल सकती हैं ।

जिस समय इसका निरूपण हुआ उस समय राजस्थान के ही नहीं बाहर के भी जो उच्च दर्जे के विद्वान् थे उनकी राय मंगाई गई । जो स्वयं उपस्थित हो सके उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर अपनी राय दी । जो नहीं आ सकते थे उन्होंने लिखित रूप में अपनी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

राय भेजी। तो ऐसी स्थिति में इसमें हर्ज नहीं है कि बहुत समय तक इसे लम्बा किया जाय। आज ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है। एक तरह से देखा जावे तो हमारे राजस्थान के अन्दर और भारत में भी यहां की जो सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हो रही है उसका मुकाबला क्या दूसरे देश कर सकते हैं? यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस चीज के अन्दर अवरोध आ जाने से कारण, किसी बात में फर्क पड़ गया हो। इन दो हजार वर्षों के पहले मगध का, उज्जैन का, और तक्षशिला आदि का जो सामाजिक शिक्षा का हमारा क्रम था वह कम गौरवमय नहीं था और इसलिये हमारा गौरवगान बाहर वालों ने भी कम नहीं गाया। मेगस्थनीज़ वगैरह यात्री यहां आये और इतिहास में इसका उल्लेख कर गये। वे यहां की उस समय की शिक्षण प्रणाली से बहुत प्रभावित हुए। वे हमारी संस्कृति से बड़े प्रभावित हुए। और कहा :

"एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन: ।
स्वं स्वं चरेत्र शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मान:व॥"

तो वे तो आज भी इस देश को ऊंचा समझते हैं। हमारे यहां की पुरानी प्रगति और पुरानी संस्कृति जो थी उसके बूते पर यूरोप, अमेरिका और एशिया वगैरह ने अपने महल चुने हैं और आज भी उनके वास्ते वही सवाल है। आज भी नैतिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति उनको बहुत कुछ दे सकने की स्थिति में है। तो जिस तरह से ईजिप्ट की सभ्यता और वहां का जो सारा का सारा ढांचा था वह ग्रीस–अलेग्जेन्ड्रिया (सिकन्दरिया) में जिस तरह के शिक्षा ग्रन्थ थे और जो विद्या थी वह विलुप्त हो गई उसी तरह तक्षशिला, नालन्दा और उज्जैनी की हमारी ग्रन्थ की सम्पत्ति समाप्त हो चुकी बीच के वक्त में।

आज उसी संस्कृति को, आज उसी हमारी शिक्षा पद्धति को हमें पुनर्जीवित करना है। आज भी बचा–खुचा हमारे पास कम नहीं है और मैं तो निवेदन करूंगा कि अपने पुराने संस्कृत ग्रन्थों में और जो उपलब्ध ग्रन्थ हैं हमारी संस्कृति में आज भी वे तत्व मौजूद हैं और उनमें जो विचारधारा आगे बढ़ेगी तो उसमें कोई दिक्कत पैदा होने की चीज नहीं है। मेरा निवेदन यह भी है कि आज हमारे राजस्थान में इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बढ़े हैं। हम विकेन्द्रीकरण के मामले में बढ़े हैं। यही पंचायत की चीज़ पहले भी हमारी बहुत उच्च स्थिति में पहुँची हुई थी। गणतन्त्र हमारे यहां अत्यन्त विकसित रूप में था। आज के सहस्त्रों वर्ष पूर्व से यह परम्परा यहां चली आई है। आज की सभ्यता यह न समझे कि गणतन्त्र उसकी देन है। मगध और कौशल में गणतन्त्र था, मल्ल, शाक्य और दूसरे मालव और यौधेय गण जितने थे वे सारे मिल कर उस वक्त के राज्य शासन को चलाते थे और वे अपनी उन्नति के परमोच्च शिखर पर थे। तो सामाजिक सभ्यता के अन्दर मैं यह समझूंगा कि आज जो हम आंख मींचकर पाश्चात्यों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति में पड़े हैं वह उचित नहीं है। इस चीज़ को यहां न लाया जावे; हमारी पुरानी सभ्यता को ही इस प्रकार स्थान देकर आगे बढ़ाया जावे।

इस बिल को पास करने में हमें देरी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

नहीं करनी चाहिये। मैं तो इसकी अत्यन्त आवश्यकता समझता हूं। जैसे हमारे माननीय सदस्य फुलेरा से आने वाले ने कुछ सवाल उठाये थे और उनकी परिपाटी भी रही है कि जब विचार-धाराएं वे दूसरे की सुन लेते हैं तो वे अपने जो प्रश्न होते हैं उनको वापिस भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार मैं तो उनको भी कहूंगा कि अब तो अविलम्ब इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जावे। मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष (अनेक माननीय सदस्यों के बोलने को खड़े होने पर) Order please ! Order !! Member in Charge of the Bill will make a reply...

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इन्चार्ज ऑफ दी बिल जवाब देंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों का बड़ा अनुगृहीत हूँ जिन्होंने काफी मूल्यवान् सुझाव इस प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर और बिल पर प्रकट किये।

मैं व्यक्तिशः फुलेरा से आनेवाले हमारे माननीय सदस्य का बड़ा कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने एक बार हमको फिर उसे प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा और इस पर अपने विचार प्रकट किये।

मेरी समझ में यह बात आ सकती थी कि अगर प्रवर समिति द्वारा काफी विचार करने के बाद दिये गये संशोधित मसविदे में कोई न्यूनता रही हो और इस कारण वे भेजना चाहते हों तो उसे निश्चित रूप से दुबारा देख लिये जाने की बात को मैं मान लेता। पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि प्रवर समिति ने इस बिल को लेकर जितना मूल्यवान् काम किया है, वह काम आवश्यकता से अधिक किया है। इस बिल के लिये यह आवश्यक नहीं था, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम भारत के समाज शिक्षाविदों की राय को भी लेकर चलते। लेकिन हमने भारत के मुख्य मुख्य शिक्षाविदों की राय भी इसमें ली। हमने कोई ऐसे मुख्य समाज शिक्षा विदों को नहीं छोड़ा, चाहे वह सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जिसकी राय न ली हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने बड़ी संज्ञक

(३. म० प०)

बातें कही हैं कि प्रत्येक सदस्य की राय से यदि आप भिन्न भिन्न निचोड़ निकाल सकते हैं, उनके परिणाम भिन्न भिन्न निकालना चाहें तो भिन्न भिन्न निचोड़ निकल सकते हैं। यहां पर रायों के मामले में तीन रायों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। एक तो मिस्टर केम्फर हैं जो भारत सरकार के एडल्ट एजुकेशन के एडवाइज़र हैं। उनकी राय सारी की सारी तो यहां नहीं दी जा सकती, पर उनका एक फलितार्थ हमारे एक मित्र ने दिया है। वे निश्चित रूप से अपनी राय में मानते हैं कि बोर्ड का गठन अधिक से अधिक स्वाधीनोचित होना चाहिये और उस पर

(श्री जनार्दनराय नागर)

सरकारी प्रभाव नहीं होना चाहिये। वे यह भी मानते हैं कि संख्या कम होनी चाहिये। फिर वे यह भी कहते हैं कि this Bill is an important step forward. I hope the State Board can be set up along the best lines possible.

हमारे राजस्थान विश्व विद्यालय के उप-कुलपति डाक्टर मोहनसिंह मेहता की राय यह है कि बोर्ड को अधिक से अधिक ऐसा बनाया जाना चाहिये कि वह रिजिड न हो जावे और जैसे फॉर्मल शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसके माफिक न हो जावे।

वह यह भी कहते हैं कि यदि सारा का सारा समाज शिक्षण का काम एक बोर्ड के बिना भी चलाया जावे तो चलाते रहने दिया जाना चाहिये। पर यदि बोर्ड बनाया जावे तो अधिक से अधिक स्वतन्त्र उसे रखा जावे सरकारी प्रभाव से और अधिक से अधिक उनको अवसर दिया जावे जो समाज शिक्षा का काम करते हैं।

समाज शिक्षण के क्षेत्र में बड़े अफसरों जैसे कर्णिक की राय का विश्लेषण किया है। वे भी इसके पक्ष में हैं। मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों की भी राय हमें मिली उनमें दो-तीन महाशयों की राय थी कि जो यह मानते थे कि समाज शिक्षण के लिये केवल एडवाइज़री बोर्ड रखा जावे और स्टेच्युटरी बोर्ड नहीं बनाया जाना चाहिये। उनकी राय कोई नई नहीं है। उनकी यह पुरानी राय है क्योंकि मेरा लोगों से समाज शिक्षा के मामले में विचार-विमर्श करने का साल में एक बार मौका मिल ही जाता है और मैं उनकी राय से वाकिफ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि समाज शिक्षण के प्रबन्ध, उसके विकास, विस्तार और उसको एक शास्त्रीय रूप देने के मामले में निश्चित रूप से दो रायें हैं। एक राय विशेषतः उनकी है जो कि समाज शिक्षण का यदाकदा काम करते हैं, साक्षरता केन्द्र चलाते हैं, जो समाज शिक्षण के, प्रौढ़ शिक्षण के केन्द्र चलाते हैं और जो वयस्क विद्यालयों को भी चलाने की बात सोचते हैं और जो समाज शिक्षण की दृष्टि से नये नये प्रयोग करना चाहते हैं, उनकी राय भी मुझे मालूम है। मुझे बॉम्बे स्टेट सोशियल एजुकेशन वालों की राय मालूम है, मुझे मालूम है कि ऑल इन्डिया अडल्ट एजुकेशन के लीडर्स हैं, थिंकर्स हैं उनकी क्या राय है। यहां पर श्री मुश्ताक अहमद जो कि जामिया मिलिया, दिल्ली के रिसर्च इन्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर थे उनकी राय रखी गई, मुझे उनकी राय मालूम है। अभी पिछले मार्च में जब स्टैंडिंग सोशियल एजुकेशन कमेटी की बैठक हुई थी जिसके कि हम दोनों मेम्बर थे उनके सामने जब इसका जिक्र आया तो मुश्ताक अहमद ने कहा कि यदि राजस्थान इस विषय में पहल लेना चाहता है तो समाज शिक्षण की बहुत सी समस्यायें दूर हो सकेंगी। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों की भी राय यहां रखना चाहूंगा कि जिनकी राय लिखित रूप से नहीं आई है। मैं कुलदुम रुयानी की राय रखना चाहूंगा। वह समाज शिक्षा की बहुत बड़ी काम करने वाली विचारक हैं और उनकी राय यह है कि इस प्रकार का बोर्ड भारत के वर्तमान सभी राज्यों में बनना चाहिए। मैं इसके बाद में श्री चेतसिंह की राय रखना चाहूंगा जिनसे मेरी मार्च में

(श्री जनार्दनराय नागर)

बात हुई थी। इसी तरह से श्री देश पाण्डे एक समाज शिक्षा शास्त्री की राय है कि इस तरह का स्टेचुटरी बोर्ड नहीं बना कर केवल एडवाइज़री टाइप का बोर्ड बनाना चाहिए। तो मैं यह कहता हूं सदन के सामने खुली दृष्टि से कि हमारे समाज शिक्षा के क्षेत्र में सारे भारत की दृष्टि से एक राय है जिसको आप एक प्रभावशाली राय कह सकते हैं कि इस तरह का एक स्वायत्त बोर्ड नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक विस्तृत राय यह है जो कहती है कि आज वह समय हमारे देश में आ गया है कि जब कि छोटे मोटे एडवाइज़री बोर्ड से हमारा काम नहीं चलेगा। हमने संस्कृत शिक्षण के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बना रखा है, आयुर्वेद के विकास के लिए एक सलाहकार बोर्ड बना रखा है, हमने टेक्निकल शिक्षा के लिए भी बोर्ड बना रखा है, शायद हमने बेसिक शिक्षा के लिए भी ऐसा ही प्रावधान किया है; लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सूचना के लिए अर्ज करूं कि राजस्थान राज्य की प्लानिंग एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और वह यह है कि हमारे राज्य में बेसिक एजुकेशन का एक स्टेचुटेरी बोर्ड बनाना चाहिए। आज एडवाइजरी बोर्ड से हमारा काम नहीं चलता। एक जमाना था जब कि इनकी आवश्यकता हमें पड़ी। एक समय से हमने आसमुद्रास नहीं देखा था। एक जमाना वह था कि हम गुलाम थे और हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी और हमारे देश ने स्वराज्य दिवस नहीं देखा था और जब हमारी जनता चेतनाशील नहीं थी, आशाओं और मनोरथ का जागरण नहीं हुआ था; लेकिन आज हम स्वराज्य के १३वें वर्ष में चल रहे हैं। अब सारे भारत की जनता जाग चुकी है और इस भारतवर्ष की जनता की शक्ति का और चेतना का यह विशाल सत्य है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदियों तक भारत की जनता की बातें की हैं और उस भारत की जनता को हमने सामर्थ्य दिया है, राज्य दिया है, शिक्षण दिया है और आदर्श दिया है और भारत की जनता को हमने कहा है कि तुम अंधकार में, दुःख में, दरिद्रता में, जो छोटा तबका है राज्य करने वाले, उनके पीछे चलो। हमने भारत की पगडंडी पर भारत की जनता को चलाया है, उनको हांका है। लेकिन इस विशाल भारत की जनता का आत्म साक्षात्कार नहीं किया। हमने कभी अनुभव नहीं किया कि उनकी गरीबी का क्या कारण है, आज मानसिक पिछड़ाहट क्यों है? हमने कभी उस अन्धकार का, जो हमारे जीवन की वेदना है, हमारे वयस्क जीवन की वेदना है, कभी अनुभव नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर माननीय सदस्य सहानुभूति के साथ विचार करें, वह करें, लेकिन इस बिल में जो मुख्य बातें हैं वह यह हैं कि हम इसके द्वारा समाज शिक्षण का बोर्ड कायम करके एक आराधना शुरू करना चाहते हैं इस राजस्थान में और इस राजस्थान के जरिये यदि हम भारत के अन्य राज्यों को, उनके नेताओं और संचालकों को, यह प्रेरणा दे सकें कि उनको भी अपने राज्य की जनता की आराधना शुरू करनी चाहिए तो यह इस बिल का अन्तरंग मकसद है। हमें जनता का साक्षात्कार करना पड़ेगा। भावी जनतंत्र के संचालक और शिक्षा के प्रबन्ध करने वाले यदि जनता का साक्षात्कार नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह शिक्षा के मामले

(श्री जनार्दनराय नागर)

में कुछ नहीं करते। इसलिए जो अन्तरंग मकसद है, इस प्रयास का, मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ सदन के सामने रखा है। राज्य के पास एक विभाग है, पंचायत समिति के क्षेत्र में समाज शिक्षण का काम होता है। राजस्थान में और भी चार, पांच संस्थायें हैं जो कि समाज शिक्षण का काम करती हैं। पर क्या यह काफी है ? आज इधर तो हम करोड़ों और अरबों रुपये की योजना बनाते हैं और उधर हम अपनी जनता को शिक्षित बनाने में कोई काम नहीं करते। आज हर गांवों में मांगें हैं। आज राजस्थान की जनता की आंखें ही नहीं खुली हैं बल्कि उनका मनोरथ खुल गया है। वह सैकड़ों और हजारों मांगों के रूप में हमारे सामने है। उनको पूरा करने के लिए हमें उनको ज्ञान देना पड़ेगा और जनतंत्रीय जीवन के रास्ते पर उनको लाना पड़ेगा। ये सारी बातें तभी सम्भव हो सकती हैं जब कि राजस्थान में हिम्मत और साहस के साथ ऐसा बोर्ड कायम किया जाये जो कि समाज शिक्षण के लिए प्रयोग करे, अनुसंधान करे और सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें हैं उनका समन्वय करे, उनको मार्ग-दर्शन दे और साथ ही साथ मार्ग-दर्शन अभ्यास दे जिसकी वजह से हजारों और सैकड़ों अडल्ट जो इन संस्थाओं में ज्ञान लेने के लिए आये हैं उनको सही ज्ञान मिल सके। ठीक है, इस बिल में जो परीक्षाओं की व्यवस्था की है वह ठीक नहीं है और प्रवर समिति ने बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी गम्भीरता से विचार करके परीक्षा की सारी प्रणाली को नया रूप दिया है और जो उसकी कमियां थीं उनको दूर किया है। उसके स्थान पर अभ्यासक्रमों की व्यवस्था की है और जो वयस्क हैं, पढ़ने वाले आयेंगे उनको प्रमाण पत्र देने की बात कही है। आज हमारे बहुत से शिविर चलते हैं जिनमें हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था प्रवर समिति ने इसमें की है। हमको यह नहीं समझना चाहिए कि समाज शिक्षण का एक ही अभ्यासक्रम होगा या दस-पांच अभ्यासक्रम ही होंगे। वह एक महीने से लेकर, १५ दिन से लेकर एक साल का, दो साल तक का भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो राजस्थान राज्य की ओर से पंचायत समिति अध्ययन केन्द्र शुरू किये गये थे, उनका उदाहरण देना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने १० दिन का अभ्यासक्रम रखा है और उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी कायम की गई थी जिसके दिल्ली में मिस्टर मुकर्जी चेयरमैन थे, हमारे २ एम० पी० थे और कुछ समाज शिक्षा के काम करने वाले थे। जब कि इस प्रवर समिति के प्रतिवेदन में कई बातें कही गई हैं। यदि माननीय सदस्य विचार करें तो सारे कामकाज की दृष्टि से सारा चित्र उनके सामने स्पष्ट हो जायेगा। प्रवर समिति ने इतना ही कहा है कि समाज शिक्षण का अभ्यासक्रम-प्रयोग, अनुसन्धान तथा समाज शिक्षण की स्वतन्त्रता, इन तमाम बातों पर काम करेगा। हमें एक व्यवस्थित शास्त्रीय समाज शिक्षण के रूप को आगे बढ़ाते चलना है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि समाज शिक्षण का काम जनता को बिना साक्षात्कार कराये चल नहीं सकता क्योंकि हमने अन्तरमोड़ को अभी प्राप्त किया है। यदि राजस्थान की जनता विकासोन्मुख है तो मैं समझता हूं कि समाज

Page No.86

(श्री जनार्दनराय नागर)

शिक्षण का काम भी विकासोन्मुख होगा। समाज शिक्षण के जो विचारक हैं उन्होंने हमें कहा कि आप अपने इस जोश में होश से काम करें। एक माननीय मित्र ने कहा कि जोश से काम किया जा रहा है, मैं कहता हूं कि प्रवर समिति ने बहुत सी बातें उनके होश की कीं और समिति ने उनको स्वीकार भी किया। तो मैं यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि आज मैं यह मानता हूं कि केवल समाज–शिक्षण....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने इधर बैठने वाले माननीय सदस्य की ओर संकेत करते हुए यह कहा कि उन्होंने प्रवर समिति के सामने कोई इस प्रकार की बातें कहीं हैं जिनको प्रवर समिति ने स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति की सारी कार्यवाहियां कॉन्फिडेन्शियल होती हैं और उस सम्बन्ध में कुछ भी कहना कि उन्होंने क्या कहा और क्या मंजूर किया यह एक प्रकार की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है और माननीय सदस्य इस प्रकार का कोई रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार का रेफरेंस दिया गया है उसके लिए मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का रेफरेंस लिया जाना उचित था ?

श्री उपाध्यक्ष : रेफरेन्स में कोई ऐसा तथ्य नहीं था कि जिसको प्रकट कर दिया जाता तो उससे कोई स्थिति पैदा होती। It was simply a vague reference and therefore this Chair will not take note of it.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल यह कहा था कि मेरे माननीय मित्र ने हमारे जोश में होश लाने की कोशिश की थी। मैंने प्रवर समिति की कोई बात को रखा नहीं है। तो मैं कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं इस मत का नहीं हूं और मेरे साथी समाज शिक्षण का काम–काज करने वाले विस्तृत संख्या में हैं वे भी इस मत के नहीं हैं कि समाज शिक्षण के कार्य को केवल आन्दोलन बना कर रखा जाय, समाज शिक्षण के कार्य को देश का छोटा–मोटा आन्दोलन बना कर रख दें, केवल भावनात्मक आन्दोलन बना दें और हमारा समाज शिक्षण का काम एक सामाजिक, राजनैतिक आन्दोलन मात्र रह जाय। आज जो विकास का दौर चल रहा है इसमें यह केवल एक एडवर्टाइज़मेंट मात्र रह जाय तो निश्चित रूप से इसमें जान नहीं आएगी।

इसके साथ मैं यह कहना चाहता था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी दो, तीन माननीय सदस्यों ने बोर्ड के गठन के मामले में काफी विस्तार के साथ कहा है और कहा है कि बोर्ड का काफी विस्तार के साथ में गठन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्यों को संख्या ज्यादा मालूम होती है और बोर्ड की सदस्य संख्या कुल २१ तक ही रखने की उनकी राय थी। किसी ने कहा था कि १५ सदस्य हों, किसी ने २० और किसी ने २१ की राय दी थी। मैं समझता हूँ कि यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं। एक राय थी कि १५ आदमियों की कमेटी हो जिसके अन्दर तीन चार वर्कर्स हों, शिक्षा विशारद हों, समाज शिक्षण के विशेषज्ञ हों। मैं खुद भी चाहता

(श्री जनार्दनराय नागर)

था कि इसमें सदस्यों की संख्या कम से कम रखी जाय तो अच्छा है। लेकिन राजस्थान की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए मैं मुमकिन नहीं मानता हूं क्योंकि हमें सब तरह का प्रतिनिधित्व रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जो बोर्ड के गठन का प्रश्न है इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

राज्य प्रतिनिधित्व के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई है। यह चिन्ता केवल यहां के माननीय सदस्यों ने ही नहीं, भारत के अन्य विद्वानों ने भी इस बात की चिन्ता व्यक्त की है कि ऐसा न हो कि राजकीय अफसरों की इतनी तादाद हो जाय कि जिसकी वजह से बोर्ड की स्वाधीनता ही न रहे, बोर्ड के अपने उद्देश्यों और कार्यों पर असर पड़े। प्रवर समिति ने इस पर विचार करने के बाद केवल तीन राज्याधिकारियों को इसके अन्दर पदेन सदस्य रखने के लिए प्रस्ताव किया है। ऐसा करने की आवश्यकता भी इसीलिए रही कि राज्य सरकार की ओर से समाज शिक्षण के कार्य के प्रबन्ध और काम काज के मामले में उनका बड़ा सम्बन्ध रहता है। जो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं, मैं, माननीय उपाध्यक्ष, कहना चाहता हूं कि समाज शिक्षण की कार्यविधियों से उनका सम्बन्ध है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह भी कहना चाहूंगा कि समाज शिक्षण की संस्थाओं से, प्रवृत्तियों से, संगठनों से जिनका सम्बन्ध है, विचार-विमर्श की दृष्टि से हमें उनका समन्वय करना पड़ेगा। तीन सदस्य तो राज्य की ओर से आयेंगे, कुछ सदस्य निर्वाचन से आयेंगे, कुछ राज्य के मनोनयन के द्वारा आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि बोर्ड में अनिवार्य रूप से रखना आवश्यक होगा। मैं बताऊं कि हमारे राजस्थान के अन्दर समाज शिक्षण का काम करने वाली दो तरह की संस्थाएं हैं। एक तो वे हैं जो समाज शिक्षण के कार्यक्रम को लेकर चलती हैं और उनके साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो बहुत मामूली तौर पर अभ्यासक्रम लेकर चलती हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो कि समाज शिक्षण की प्रावधिकता का, प्रशिक्षण का काम करती हैं, जैसे जनता कॉलेजेज हैं, ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं, पंचायत समितियां हैं, इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं जो प्रावधानिक प्रशिक्षण का काम करती हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसी संस्थाएं राजस्थान में कहां कहां पर हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : ऐसी संस्थाएं राजस्थान में हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज कर रहा था कि जो हमारे समाज शिक्षण की प्रावधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाले केन्द्र हैं उन केन्द्रों के संचालकों को इसके अन्दर लेना जरूरी है क्योंकि बोर्ड का मकसद यह है कि हम बोर्ड के द्वारा प्रयोग करना चाहते हैं, समाज शिक्षण का प्रशिक्षण और अन्वेषण का कार्य करना चाहते हैं। जो अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं हैं उन्हें भी हमारे यहां प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है जो कि हमारे यहां पर भी अनुसंधान का कार्य करना चाहती हैं। समाज शिक्षण विशेषज्ञ, जो कि सारे भारत में ख्याति प्राप्त हों उनका प्रतिनिधित्व भी इसमें रहेगा। इसके अतिरिक्त ऑल इण्डिया एडल्ट एज्युकेशन एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि उसमें रहेगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री जनार्दनराय नागर)

बताऊं कि इस संस्था के द्वारा जितना विश्व में और भारत में समाज शिक्षण का काम होता है उसकी सूचना देने का, उनके क्लियरेंस का काम, उनको नए २ विचार और तरीकों के बारे में सूचना देने का काम, उनका है। उनका प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। बाकी राजस्थान में जो अकादमियां हैं, स्पोर्ट कौंसिल्स हैं, खास करके महिला समाज शिक्षण का काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि इसमें लिए गए हैं। कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको विशेष रूप से ले लिया गया हो। जो भारत में सांस्कृतिक उत्थान के कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, समाज शिक्षण का काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि इसमें लिए गए हैं। अब सवाल आता है कि इसके अन्दर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रतिनिधि क्यों लिए गए हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह केवल राजस्थान का ही चरित्र है, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का निर्माण सारे भारत में राजस्थान का ही चरित्र है। केवल राजस्थान में ही पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनका प्रतिनिधित्व, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकांश इस प्रकार की सरकारी संस्थाएं या परोक्ष रूप से सरकार द्वारा समाज शिक्षण का जो काम होता है वह अधिकांशतः पंचायत समितियों के क्षेत्रों में होता है, इसलिए ही उन पंचायत समितियों और जिला परिषदों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रवर समिति ने सोचा है। साथ ही जिला परिषदों के प्रमुखों में से भी प्रमुख को इस बोर्ड की सदस्यता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के अन्दर समाज शिक्षा का काम करने वाले, विचारक हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और जो समाज शिक्षा के भारत में ख्याति प्राप्त एक्सपर्ट हैं उनकी सदस्यता का प्रावधान भी किया गया है। मैं मानता हूं कि इसमें अगर थोड़ी बहुत कमी की जा सके तो ठीक हो लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यह सदन को अधिकार है कि वह तरीके और विवेक की दृष्टि से इस प्रकार के रचनात्मक सुझाव दे तो इस पर किसी भी समय विचार करके, किसी भी स्तर पर इसमें संशोधन कर सकता है।

दूसरा इसमें स्टैंडिंग कमेटी का प्रावधान किया गया है। इस कमेटी का प्रावधान इसलिए किया गया है कि वह बोर्ड की शक्ति और बोर्ड के विवेक के अधीन काम करे। मैं समझता हूं कि पांच-छः कमेटियों का प्रावधान तो इसमें किया गया है, ये कमेटियां बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार काम करेंगी। ये कमेटियां अभ्यासक्रम समिति, कसौटी समिति, मान्यतादात्री समिति, मूल्यांकन समिति, समाज शिक्षण प्रशिक्षण समिति आदि के नाम पर इंगित रूप में रखी गई हैं; बाकी बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार ये कमेटियां बनेंगी।

अब सारा सवाल रह जाता है कि राज्य का प्रभाव इस बोर्ड पर कितना रहेगा और इस मामले में चारों ओर से चिन्ता व्यक्त की गई है। हमारे राजस्थान में समाज शिक्षण का कार्य करने वाले उत्तरदायी कार्यकर्ताओं से, विद्वानों और विशेषज्ञों से भी राय ली गई और भारत में जो अन्य ख्याति प्राप्त समाज शिक्षण के विशेषज्ञ हैं, जो

Page No.89

(श्री जनार्दनराय नागर)

विद्वान् हैं उनसे भी राय ली गई तो उन्होंने भी इस बात की चिन्ता व्यक्त की है। मैं मानता हूं कि इस मामले में बहुत सोच विचार से इसका प्रावधान करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि केवल विशेषज्ञों को रखना ही पर्याप्त नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर जो कार्य हो रहे हैं, जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनके अन्दर समाज शिक्षण का भी थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन वह न्यूनतम कोटि का है। केवल चार-पांच संस्थाओं का समाज शिक्षण का कार्य कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे महिला मंडल या यूथ क्लब हैं ये थोड़े बहुत समाज शिक्षण का कार्य करते हैं और समाज शिक्षण की संस्थाएं हैं लेकिन मुझे क्षमा किया जाय उपाध्यक्ष महोदय, कि भले ही ये समाज शिक्षण की संस्थाएं हो सकती हैं, भले ही इनके पास साधन उपलब्ध किए जायं तो, उनको अभ्यासक्रम दिया जाय, पाठ्यक्रम दिया जाय और साधन दिए जायं तो इनका समाज शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। हर जो विकास का संगठन है, हर जो विकास की संस्था है, उसको समाज-शिक्षण की संस्था मान कर चलेंगे तो, मैं समझता हूं, एक अति में जायेंगे। तो इसके ऊपर कितना प्रभाव रखता है, यह एक व्यवहारिक समस्या है।

आज राजस्थान की स्थिति को देखते हुए और आगे भी इस बोर्ड को उत्तरदायित्व-पूर्ण तरीके से सारे राजस्थान में काम करना है तो उसके लिए फण्ड्स प्राप्त करने होंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि फण्ड्स कहां से आयेंगे? फण्ड्स कहां से आयेंगे, इसकी चिन्ता हमें नहीं करनी है। इस सदन के लोगों को इस बात की चिन्ता नहीं करनी है कि एक अच्छे, आवश्यक और अनिवार्य काम को करने के लिए फण्ड्स कहां से आयेंगे। चूंकि फण्ड्स की कमी है, उसका प्रोविज़न नहीं हो सकता है, प्रावधान नहीं हो सकता है, इसलिए राजस्थान के नागरिकों की शिक्षा का काम स्थगित रखें, मैं समझता हूं, यह हमारे विचारने के लिए नहीं है। मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार उपयुक्त फण्ड्स की व्यवस्था करेगी; जैसा कि इंगित था। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इंगित किया था कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में काफी रुपया समाज शिक्षा के लिए रखा गया है। मैं कह दूं कि राजस्थान के बजट में वह ३ लाख से ज्यादा पैसा नहीं है। केवल पंचायत समितियों के बजट को लेकर आप चलें तो केवल २०-२५ लाख से ज्यादा की बात नहीं है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : 62 Lacs in the 3rd plan.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं स्मृति से कह रहा हूं।

यदि यह बोर्ड काम चालू करता है तो निश्चित रूप से इस बोर्ड के लिए समाज शिक्षण के लिए जितना रुपया लगाया जाना चाहिए उतना रुपया लगाये जाने का प्रयत्न किया जायगा। समाज शिक्षण के लिए भारत सरकार के पास काफी फण्ड्स हैं। काफी रुपया जन-सहयोग से मिल सकता है। द्वितीय पचवर्षीय योजना में भी रुपये की समस्या थी। राजस्थान में एक ऐसा भी समय था जब कि मामूली संस्थाओं

(श्री जनार्दनराय नागर)

की मदद के लिए राजस्थान सरकार कहती थी कि रुपया नहीं है। वह स्टेज चली गई, वह स्थिति चली गई। रुपया आयेगा। आपका मकसद कितना विस्तृत है, कितना महान् है, आप क्या करना चाहते हैं? वह धन को देख कर समाज को मना करना चाहते हैं तो वे धन की महत्ता को ज्यादा मानते हैं, लेकिन समाज के काम की महत्ता को नहीं मानते हैं। हम लोगों ने जिन्होंने राजस्थान में सार्वजनिक शिक्षण की संस्थाएं चलाईं तो पैसे की चिन्ता नहीं की। मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि धन की चिन्ता हमें नहीं करनी है। यदि हमने यह व्यवस्था कर दी कि राजस्थान के वयस्क नागरिक शिक्षण-दीक्षण के लिए ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो प्रयोग और अनुसंधान करे, मार्गदर्शन दे, कार्यक्रम दे, सैकड़ों तरह के सिलेब्स बना कर सामने रखे तो मैं समझता हूं कि धन आयेगा, यह हमारा विश्वास है। धन सरकार देगी। धन राजस्थान की जनता देगी। वह वयस्क देगा जिसके दिमाग में ज्ञान का चिराग जलाने के लिए हम काम करते हैं। धन के विचार से हिन्दुस्तान नहीं बैठा रह सकता है, राजस्थान नहीं बैठा रह सकता है।

कई एक माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको पुनः प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो एक साल तो यों ही पड़ा रहा, समय के रेफ्रिजरेटर के अन्दर पड़ा रहा। रेफ्रिजरेटर की कुन्जी खोल कर लाने में देर लगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि कार्य रुक सकता है, हमारे स्वार्थ रुक सकते हैं, पूरा होने में देरी हो सकती है, लेकिन जो एक मिशन है आज जनता के प्रति वह रुक नहीं सकता। आज हमारी जनता में इतनी चेतना है, वह इतनी प्रगतिशील है कि हमारा विचार-विमर्श उनके लिए बन्धन हो गया है। आज जनता की चेतना के कदम के साथ हमारा वयस्क कदम रख कर चल सकें तो जरूरी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम समाज शिक्षण की व्यवस्था करें।

जो प्रश्न, जो शंकाएं, जो ऊहापोह, जो सवालात यहां पर उठाये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि वे कोई प्रतिष्ठा के प्रश्न नहीं हैं। यहां निस्संदेह सर्वांगीण 'रूप में राजस्थान के जो वयस्क नागरिक हैं उनको शिक्षा-दीक्षा देने के लिए, प्रयोग-अनुसंधान करने के लिए एक मध्यस्थ तन्त्र की रचना का सवाल है। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, कोई एक विचार नहीं लेंगे, एक पेटर्न नहीं लेंगे, एक अभ्यासक्रम नहीं सोचा गया है। हमने यह नहीं कहा है कि समाज-शिक्षण यह है, हमने यह नहीं कहा है कि समाज शिक्षण यह नहीं है; यह कोई समाज-शिक्षण का अंग नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य ने बड़ी दिलचस्प बात रखी। माननीय श्री मुरलीधर व्यास ने उसका एक महत्वपूर्ण जवाब दिया। समाज शिक्षण की कोई परिभाषा नहीं बना सकते हैं। युग युग से समाज के रूप और रंग में विचारों को ले लेकर परिवर्तन आया है। युग युग में नये २ सामाजिक आदर्श आते रहे हैं, नई नई हवा समाज के क्षितिज में आती रही है। हम एकभूत विचारधारा लेकर नहीं चल सकते हैं। हम वही विचार-

(श्री जनार्दनराय नागर)

धारा, जैसा कि हमने कहा है, मानने को तैयार हैं जो समाज के लिए उपयोगी है और जिससे चेतनायुक्त व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा दी जाय। साथ ही साथ हमने कहा कि समाज शिक्षण हर प्रकार के प्रयोग के लिए, समाज की गतिविधियों को सिखाने के लिए किया जा सकता है। परिभाषा के लिए बोर्ड नहीं बनाना चाहते हैं। समाज शिक्षण की परिभाषा क्या है वह देश में होने वाले हमारे जो सेमिनार्स हैं उनके अन्दर समाज शिक्षण की परिभाषा के बारे में बड़ा विचार-विमर्श होता रहा है। लेकिन हम यहां परिभाषा नहीं कर रहे हैं। परिभाषा रखने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद आयोजित, निरूपित कार्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन देना है। समाज शिक्षण का कन्टेन्ट है कि जो आने वाला है उस कॉन्टेन्ट को अधिक से अधिक पहुँचायें; अधिक से अधिक वैज्ञानिक ढंग से इसको करना है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मानता हूं कि इसके अन्दर समाज शिक्षा का प्रबन्ध, प्रयोग, समाज का समन्वय, मार्गदर्शन के लिए एक मध्यस्थ तन्त्र की व्यवस्था का बिल है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता हूं। कॉन्टेन्ट देना समाज शिक्षा के कार्य में बन्धन होगा। एक विचार देना समाज शिक्षण के पैरों में जंजीर पहिनाना होगा, जैसा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति महोदय ने इंगित किया है कि एक विचार में इसको बान्धें नहीं; इसको एक प्रवाहमय नदी की तरह से चलने दें। हमने उनकी राय लेकर काफी संशोधन रखे हैं। समाज शिक्षण बोर्ड एक रूप, एक विचार, एक कॉन्टेन्ट नहीं दे और सब कॉन्टेन्ट्स का स्वागत करे। जो कॉन्टेन्ट्स समाज के व्यक्तियों की चेतना के अन्दर जन्म होते चले गये हैं, जो कॉन्टेन्ट्स जन-जीवन के व्यवहार और विचारों के साथ हैं, समाज शिक्षण उन कॉन्टेन्ट्स के रूप में हमारे सामने आयेगा। किसी एक समय में, किसी एक वर्ष में, किसी एक युग में नहीं बन्धे हैं। समाज शिक्षण बोर्ड सदैव उस समय की सारी आवश्यकताओं को देख कर समाज शिक्षण की व्यवस्था का रूप निरूपित करेगा, अभ्यासक्रम की रचना करेगा और समाज शिक्षण की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का समन्वय करेगा।

इसके बाद में यह कहा गया कि इसमें मजदूरों और किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह नया विचार है। विचार बहुत अच्छा है। लेकिन आज की ट्रेड यूनियन्स की परिस्थितियों को देखते हुए एक खतरा भी हमारे सामने आयेगा। समाज शिक्षण से राजनैतिक या सामाजिक काम पूरे नहीं कर सकते हैं। राजनैतिक और सामाजिक जीवन में चेतना समाज शिक्षण के काम के द्वारा परिणामभूत होगी। ट्रेड यूनियन्स और दूसरे लोगों के प्रतिनिधित्व की बात सोच सकते हैं। इससे मुझे इन्कारी नहीं है। उन ट्रेड यूनियन्स के अन्दर समाज शिक्षण के एक्सपर्ट्स हों तो जरूर लिये जाने चाहिएं। ट्रेड यूनियन्स के द्वारा ऐसी संस्थाएं चलाई जाती हों जो समाज शिक्षण के बारे में प्रयोग करती हों, काम करती हों तो उनके संचालकों को इसमें लिया जाना चाहिए। हमको इस बात से इन्कारी नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री जनार्दनराय नागर)

आज की परिस्थिति में ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधियों को ले लें तो मैं समझता हूं कि हमारा जो मकसद है उसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी इस विचार को मद्देनजर रखकर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा स्पष्टीकरण आगे रखूं। जितना स्पष्टीकरण इस मामले में होना चाहिए उतना मैं कर चुका हूं। समय की कमी होने की वजह से तमाम रायों को यहां नहीं दे सका हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं विश्वास के साथ में कि एक भी राय ऐसी नहीं है जिसका इस विधेयक से विरोध हो कि यह बोर्ड जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बोर्ड में जैसी चीज होनी चाहिए यह तो सभी मान कर चलते हैं; जैसा कि उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर विचार कर सकते हैं

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और संशोधन कर सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : In view of the learned and emotional speech given by the Hon'ble mover, I would like to withdraw my motion, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने इस विधेयक को पुन: प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री पी० के० चौधरी : I am stating that under Rule 109—this Rule 109 of the Rules of Our Procedure says that the resolution shall be clearly and precisely expressed. This is one point. Now it says here that.: "सदन की यह सम्मति है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधि-

(श्री पी० के० चौधरी)

नियम, १९५९ के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों के जो अधिकार पंचायत समितियों को दिये गये हैं वे फिलहाल वापिस ले लिये जावें ।"

श्री उपाध्यक्ष : I would like to know which clause you refer ?

श्री पी० के० चौधरी : Rule 109 of the Rules of Procedure ..

श्री उपाध्यक्ष : Which part ?

श्री पी० के० चौधरी : It shall clearly and precisely be expressed.

श्री उपाध्यक्ष : And it shall raise substantially one definite issue;

श्री पी० के० चौधरी : Now, Sir, in the Resolution, the operative part is 'जो अधिकार दिये हैं वे फिलहाल वापिस ले लिये जांय' । "फिलहाल" शब्द जो है they are not precised worded; that it should be withdrawn temporarily and then turned back to the Panchayat Samitis. Whereas we have statutorily given the powers to the Panchayats. These powers cannot be withdrawn by this resolution. This power can be withdrawn by way of making an amendment in the Statutory law. So the resolution is infructuous. It cannot be effictive and it is very bad. What is meant by it ?

श्री उपाध्यक्ष : It can be recommendatory one.

श्री पी० के० चौधरी : A resolution must have an operative part. Then it should recommend the Government to bring a resolution to amend the Panchayat Samitis' Act. This resolution can be definite and precise only when the Government is requested to bring an amendment; otherwise it is very bad. There is no operative part.

श्री उपाध्यक्ष : What does this Rule 109 says ? It gives the conditions of admissibility of resolution. But let it be treated as an opinion.

श्री पी० के० चौधरी : He has used the word 'Philhal' Therefore, this is not practicable and it cannot be operated upon. The Government cannot withdraw any powers temporarily. If the statute is to be amended then of course,...

श्री उपाध्यक्ष: Yes, Mr. Chaudhary, I have understood the position.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Mr. Dy. Speaker...

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Order !!

श्री पी० के० चौधरी : Another point is that we can deal with only one point. It has got two points. One is...

Page No.94

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): माननीय उपाध्यक्ष, यह जो प्रस्ताव है वह निश्चित रूप से वेग है, स्पष्ट नहीं है। इसमें स्पष्टतौर से यह नहीं बताया है कि कितने समय के लिये अधिकार छीने जायें। इसमें लिखा है, "फिलहाल"। This 'Philhal' may be one day, may be months or it may take centuries or it may be 10 years... यह नहीं बताया कि कितने दिनों के लिये विड्रा कर लिये जायं। यह मान लीजिये कि सदन इसको मान लेता है तो सरकार के सामने यह निश्चित बात नहीं है कि कितने दिनों के लिये छीने जाय।

दूसरी बात यह है कि जो अधिकार जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों को एक एक्ट के द्वारा दिये गये हैं जिसको सदन ने बनाया है वे उस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद ही लिये जा सकते हैं। यदि इनका रिज़ोल्युशन यह होता कि सदन सिफारिश करता है कि सरकार उक्त एक्ट में ऐसा अमेंडमेंट लावे तब तो माननीय सदस्य को अमेन्डिंग बिल लाने का भी अधिकार था। वे अमेन्डिंग बिल लाकर कह सकते थे कि इस बिल के द्वारा हम चाहते हैं कि जो अधिकार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट में दिये गये हैं वे वापिस ले लिये जायें, लेकिन "फिलहाल" वापिस लिया जाना क्लियर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please! order!! The point of order is not well taken. I am not satisfied. The form of the Resolution is covered nder Rule 107.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I will draw your attention to Rule...

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any debate for any more implications...

श्री पी० के० चौधरी : Sir, I would like to say...

श्री उपाध्यक्ष : That is enough.

(विराम)

Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"सदन की यह सम्मति है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों के जो अधिकार पंचायत समितियों को दिये गये हैं वे फिलहाल वापिस ले लिये जावें।"

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Mr. Dy. Speaker Sir, there is another Point of Order. It is under Rule 109-sub rule 5.

It says that it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government.

These powers have been vested in the Jila Parishads through an Act and this House can make it only by

(श्री दामोदरलाल व्यास

way of amendment and therefore this resolution cannot come.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की एडमिसिबिलिटी का सवाल है, मैं आपका ध्यान रूल ११० की ओर दिलाना चाहता हूँ। रूल ११० में लिखा है :

"(1) The Speaker shall decide whether a resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or in contravention of these rules :

Provided that the Speaker may, in his discretion, amend the resolution in form or give the member concerned an opportunity of amending it.

(2) The Secy. Shall give intimation to the member that his resolution has been admitted or admitted as amended or disallowed, as the case may be, and shall, in case the resolution has been disallowed, also state the reason or reasons thereof."

उपाध्यक्ष महोदय, रूल ११० की मंशा यह है कि अध्यक्ष महोदय, यदि किसी तरह से चाहें कि किसी रिजोल्युशन को एडमिट नहीं करना है तो वे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और यदि वे किसी रिज़ोल्युशन के बारे में यह आवश्यक समझें कि रिज़ोल्युशन को अमेंड करने का अवसर मेम्बर को दिया जाय तो दे सकते हैं। इस रिजोल्युशन को साफ करने के लिये न तो अमेंडमेंट मांगा गया है न इसको डिसअलाउ किया गया है बल्कि यह रिजोल्युशन एडमिट किया जा चुका है, इसलिये इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

रूल १०७ के तहत आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल १०७ बहुत वाइड है, उसमें लिखा है :

"A resolution may be in the form of a declaration of opinion, or recommendation, or may be in the form so as to record either approval or disapproval by the House of an act or Policy of Government or convey a message, or comment, urge or request an action; or call attention to a matter or situation for reconsideration by Government; or in such other form as the Speaker may consider appropriate." तो इसमें अटेन्शन कॉल किया जा सकता है रीकन्सीडरेशन के लिये, मेसेज कन्वे किया जा सकता है, गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। मैं समझता हूं, इसके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि सदन की यह सम्मति है कि पंचायतों को जो अधिकार दिये हैं वे वापिस लिये जाने चाहिये। सदन की सम्मति के बाद किस प्रकार से संशोधन एक्ट में लाना होगा। आखिर पंचायत एक्ट के बारे में तो यहां प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता क्योंकि स्टेचुटेरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है । यदि अधिकार वापिस लेने हैं तो उसका तरीका है । सदन सरकार को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप उस एक्ट में संशोधन लाइये । पंचायतों से पॉवर्स वापिस लेने का एक तरीका है और वह यह कि कानून में संशोधन किया जाय और वह संशोधन विधान सभा करेगी । उसके लिये सरकार को अमेन्डिंग बिल लाना चाहिये । इसके लिये उचित व्यवस्था करने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया गया है । इसलिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रूल ११० की तहत इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कोई विचार नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष महोदय ने इसको प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है ।

श्री पी० के० चौधरी : रूल १०७ के अन्तर्गत गवर्नमेंट का अटेन्शन ड्रॉ किया जा सकता है । यह जो है, the Government is not responsible for it. This House by passing a resolution cannot withdraw powers...

श्री उपाध्यक्ष : This is a material point whether at this stage, the Chair can take into consideration the very rules considered before by the Hon'ble Speaker while admitting the resolution and these rules 107, 109 and 110 were taken into consideration.

श्री पी० के० चौधरी : Merely a circulation of the resolution does not mean its admission. 'Admitting' means that it is admitted for moving.

Second thing, even if it is moved and if a point is raised then the Hon'ble Speaker is at liberty to give its decision on a point of order. Whether it is admitted or not and whether the Chair can give ruling or not, I think such rulings have been given previously too.

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री आबिदअली : एक ऑब्जेक्शन हाउस में यह आया कि यह रिज़ोल्युशन मूव किया जा सकता है या नहीं ? एपेरेन्टली प्राइमाफेसी यह फील होता है कि यह एक अमेंडमेंट है और....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आप डिबेट अलाऊ कर रहे हैं, यह विचार विनिमय हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : It is not a debate. I am seeking help for the decision on the issue.

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है, आपको जो डिसीज़न देना है, उसके सम्बन्ध में क्या यह आवश्यक है कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर डिबेट की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : I myself don't feel clarified on the issue. The Hon'ble Member is enlightening the House.

श्री चन्दनमल वैद : जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे हैं । इसमें बाधा क्या है ?

Page No.97

श्री भैरोंसिंह : क्या मैं यह समझूं, जो बात उठाई गई उसको चेअर समझ नहीं पाया और सदस्यों से राय लेना चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष : It is a legal issue. It is not necessary that the Chair has the full knowledge of each and every legal problem.

श्री आबिद अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह रिज़ोल्युशन हाउस में आया है, इसका सीधा मतलब यह है कि एक्ट में जो पर्टिक्युलर प्रोविजन है, जिसे सदन ने पास किया है, जो सदन का एक्शन है, जो गवर्नमेंट का एक्शन नहीं है, उस एक्शन को हम सेट असाइड करना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री चन्दनमल वैद : When there is already one point of order pending before the Chair no second point is to be raised.

श्री भैरोंसिंह : There is no point of order...

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member is clarifying.

श्री उपाध्यक्ष : Unless the first point of order is not disposed of, the Chair is reluctant to accept another point of order. This is a practice and convention of this House.

श्री भैरोंसिंह : मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहा हूं, वह इस सम्बन्ध में रेज़ कर रहा हूं कि उनको बोलने का हक नहीं है ...

श्री पी० के० चौधरी : The Chair has given it's Ruling.

श्री भैरोंसिंह : जो चेयर ने रूलिंग दे दी है, क्या उस पर डिबेट हो रही है, जिसको स्पीकर ने अलाऊ कर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : I have requested the Hon'ble member to enlighten me on this issue.

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार कोई सदस्य उस पोइन्ट पर एनलाइटन नहीं कर सकता, जिसके सम्बन्ध में दो मिनट पहले चेयर ने अपनी रूलिंग दी है और अध्यक्ष ने उसको मान्यता प्रदान की है....

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी दी है ?

श्री भैरोंसिंह : जिस समय फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया था, उसके सम्बन्ध में चेयर ने रूलिंग दी है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं....

श्री पी० के० चौधरी : No ruling has been given.

श्री भैरोंसिंह : A ruling has been given and I have been allowed to speak.

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझना चाहूंगा कि किस सम्बन्ध में रूलिंग दी है ?

Page No.98

श्री भैरोंसिंह : मैं बताना चाहूंगा कि फुलेरा से आवाले माननीय सदस्य ने शुरू शुरू में पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करके इस रिज़ोल्युशन की एडमिसिबिलिटी के बारे में आपत्ति की थी, जिसके बारे में आपने उसे रूल आउट कर दिया। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। जब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, उस स्थिति में आप कौनसे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर एनलाइनमेंट चाहते हैं, वह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : सब क्लॉज़ (५) : I have disposed it of under Rule 109 (v) ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें इतनी सफाई की क्या जरूरत है ? यह स्टेट गवर्नमेंट का कन्सर्न है प्राइमेरिली पंचायत को फंक्शन दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह दूसरा इश्यु है, मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है :

Whether the State Government has been concerned or not ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहला पोइन्ट ऑफ ऑर्डर आप डिसाइड कीजिये। रूल ११० में है, स्पीकर के तय करने के बाद: whether this is open for the House to have a debate...

श्री पी० के० चौधरी : I will raise another point of order, Sir.

This Resolution amounts to bring an additional expenditure from the Consolidated Fund. It means in this case, it requires Governor's recommendation.

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Order ! ! I have given my observations. If one point of order is pending before me, no second point of order will be entertained.

श्री आबिदअली : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो रिज़ोल्युशन हाउस के सामने है, उस रिज़ोल्युशन के अन्दर हमें देखना पड़ेगा कि उस रिज़ोल्युशन के द्वारा जो रिकमन्डेशन हाउस से चाहते हैं, वह रिकमन्डेशन स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्शन के लिए है या इस सदन ने एक्शन लिया है उसके लिए है ? अगर इस रिज़ोल्युशन का मकसद यह है कि हाउस ने एक्शन लिया है, एक पर्टिक्युलर क्लॉज़ ऑफ दी लॉ को पास किया है उसके लिए रिकमन्डेशन है तो मेरा मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, यह फॉर्म ऑफ रिज़ोल्युशन की तारीफ में नहीं आता है....

श्री उपाध्यक्ष : किसमें ?

श्री आबिदअली : फॉर्म रेज़ोल्युशन का दिया हुआ है रूल १०७ में, जिसको जौहरी बाजार से आये हुए माननीय सदस्य ने रेफर किया है, उसमें नहीं आता है, यह फॉर्म ऑफ रिज़ोल्युशन....

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध अपना निर्णय दे दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) जब आपने निर्णय दे दिया है, तो दूसरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है....

श्री उपाध्यक्ष : You will please conclude it within a minute, Mr. Abid Ali.

श्री आबिद्अली : मैंने स्पष्ट कर दिया, इस सदन के सामने सिम्पल इश्यू है: Whether an amendmeat canbe sought by means of a resolution? पहले देखना पड़ेगा कि यह रिजोल्युशन है, यह अमेंडमेंट है, किसी पर्टीक्युलर प्रोविजन में....

श्री भैरोंसिंह : डिबेट इस बात पर अलाऊ नहीं की जा सकती....

श्री उपाध्यक्ष : I only wanted to be enlightened on clause 5.

श्री भैरोंसिंह : आप भाषण दे रहे हैं। कौनसा पॉइन्ट है, जिसके सम्बन्ध में आप इतने अटेन्टिव होकर उनका भाषण सुन रहे हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : I will like to explain my point of order.

श्री भैरोंसिंह : It has been explained, Sir. मैं निवेदन करूंगा कि आपने एक्सप्लेन कर दिया है। जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रखा गया उसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं समझता हूं कि जो डेढ़ घन्टे का समय मुझे दिया गया है, डेलीबरेटली एफर्ट्स ट्रेज़री बेंचेज़ की तरफ से किये जा रहे हैं कि मैं रेज़ोल्युलेशन पुट-अप नहीं कर सकूं....

श्री चन्दमल वैद : This is unparliamentary, Sir. He said that deliberate attempts are bing made by Treasury Benches to disturb him.

श्री भैरोंसिंह : It is not...

श्री उपाध्यक्ष : I would see that the time is not consumed. I only wanted to know from the Treasury Benches as to the extent the State Government is concerned in this.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर दूं कि जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है, १०७ का जहां तक ताल्लुक है, यह ठीक है कि जैसा इसमें दिया हुआ है. रिकमन्डेशन वगैरह, ओपीनियन, यह सब लिखे हैं। ११० रूल के पहले, रूल्स १०७, १०८, १०६ इन तीनों के ऊपर ११० बेस्ड है। इनमें जो कन्डीशन्स हैं, वे फुलफिल नहीं हों तब तक ११० में नहीं आता। रहा सवाल, इन तीनों में, १०६ में कन्डीशन्स दी हुई हैं: Conditions of admissibility of a resolution और उसमें कन्डीशन नम्बर पांच है "It shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government."

अब सवाल रहा, पंचायत समिति और जिलापरिषद् एक्ट का। उसमें एक अमेंडमेंट सजेस्ट किया है माननीय सदस्य ने। वे चाहते हैं, जैसी उनकी मंशा है कि यह हाउस रिकमन्ड करे कि गवर्नमेंट पंचायत समिति और जिला-परिषद् एक्ट में अमेंडमेंट लाये। यह प्राइ-[illegible] कन्सर्न स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसलिए [illegible] है कि सदन के माननीय सदस्यों को बिल के अन्दर संशोधन लाने का अधिकार है। यह जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही बिल के अन्दर अमेंडमेंट ला सकती है....

श्री भैरोंसिंह : बहुत बढ़िया।

श्री दामोदरलाल व्यास : Any member of this House can bring an amendment to amend that state. मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रूल १०९ है और उसका सब रूल (५) है उसके अनुसार यह रिज़ोल्युशन एडमिसिबिल नहीं है क्योंकि यह ऐसे मेटर को रिलेट करता है, which is not primarily the concern of the State Government. कोई भी माननीय सदस्य अमेंडमेंट ला सकता है।

दूसरी चीज़, माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि रूल ११० के अनुसार स्पीकर ने डिसाइड कर दिया, एडमिसिबिल के बारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिसिबिलिटी के बारे में ऑब्जेक्शन रेज़ करने का अधिकार कब आता? जब हाउस के सामने मामला आये तब अधिकार आता है, इसके पहले मौका नहीं कि एडमिसिबिलिटी के ऊपर कुछ कहें। स्पीकर महोदय जो फैसला कर चुके हैं, उसके बाद ११० के के अनुसार ऑब्जेक्शन रेज़ किया जाय, उसको सुन कर फैसला किया जाता है। इसलिए यह कहना कि पहले स्पीकर तय कर चुके हैं, यह गलत है। ऑर्डिनेरिली जो रिजोल्युशन आते हैं, वे बैलट किये जाते हैं, उसके बाद एजेन्ड़ा में आ जाते हैं। उसके बाद माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। जब एजेन्डा पर आ जाय तब माननीय सदस्य एतराज कर सकते हैं। आपको निर्णय देना है कि १०९ के सब रूल (५) को वायोलेट करता है या नहीं?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे संकल्प के रूप में संशोधन कर सकता है या सम्बन्धित सदस्य को उससे संशोधन करने का अवसर दे सकते हैं; मैं ऐसा समझ कर चलता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने इसको उचित मान कर और नियमानुसार मान कर सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा दे दी। अब अगर ट्रेज़री बेंचेज़ अध्यक्ष महोदय के निर्णय को बदलना चाहती है तो इसके लिए कोई रूल्स में प्रोविज़न नहीं है; सिवाय इसके कि वे अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाकर इसको बदलावें।

इसके अतिरिक्त आपके कहने पर मैंने अपने प्रस्ताव को खड़े होकर सदन में प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद में आप देखेंगे कि रूल १११ में लिखा है : संकल्प का प्रस्तुत किया जाना : "(१) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह, सिवाय उस दशा में जब कि वह उसे वापस लेना चाहता हो पुकारे जाने पर, संकल्प प्रस्तुत करेगा और उस अवस्था में, कार्य-सूची में दिये गये रूप में औपचारिक प्रस्ताव के साथ, वह अपना भाषण प्रारम्भ करेगा। अब इसके बाद (२) में कहा गया है कि कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से किसी अन्य सदस्य को, जिसके नाम में वही संकल्प कार्य-सूची में नीचे दिया हुआ हो, उसे अपनी ओर से प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकेगा, और इस तरह प्राधिकृत सदस्य उसे तद्नुसार कर सकेगा।

इसमें और भी इसी प्रकार (३) है।

मतलब यह है कि मैंने अध्यक्ष महोदय

Page No.101

(श्री भैरोंसिंह)

के निर्णय के बाद और उनके निर्णय से यह प्रस्ताव (संकल्प) कार्य–सूची में आया और उसके अनुसार उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा और मैंने सदन में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया । अब सदन में प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि इस प्रश्न को फिर से डिसाइड करने के लिए हमारे माननीय उपाध्यक्ष को तकलीफ दी जावे ।

श्री पी० के० चौधरी : The resolution has not been moved in the House. The Hon'ble member wanted to move it. I raised a point of order and as soon as you gave a ruling, the Hon'ble. Revenue Minister raised another point of order. How could he move it ? He con read sitting in his seat, but till the point of order is discussed, the motion could not have been moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा की प्रसीडिंग्ज़ देख ली जावें ।

श्री पी. के. चौधरी : He did not move it.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Bhairon Singh will move the resolution. I defer the decision and shall announce it later on during the speech or afterwards.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है । इसके सम्बन्ध में मैं ऐसा समझता हूं कि....

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He cannot be allowed the point of order.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परम्पराओं को भंग करेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon'ble Members will please co-operate in maintaining the decorum of the House. Let us not be excited.

(शोर गुल)

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He should not be allowed.

श्री उपाध्यक्ष : No two members at a time will speak. I expect the co-operation of the Hon'ble members.

(अत्यधिक शोरगुल के कारण श्री भैरोंसिंह एवं चन्दनमल वैद के भाषण अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सदन है कोर्ट नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! After all, if there is a Point of Order, I will have to listen to it. I can only request the Hon'ble Member to be brief in raising the point of order and I will be very speedy in disposing it. At least the Hon'ble members should co-operate with the Chair. This is your decorum, your dignity and your prestige. Yes.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ इसलिये किये जाते हैं कि मैं अपना भाषण सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकूं। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह मेरा अधिकार है कि....

श्री पी० के० चौधरी : This is an aspersion, Sir.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अलाउ नहीं करूंगा। मैं अपनी ड्युटी समझ कर अपना भाषण प्रारम्भ करूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष ; Order please ! The Chair is on its legs. Should I not expect co-operation from the Opposition ?

श्री भैरोंसिंह : From both the sides, Sir, not from the Opposition only.

श्री उपाध्यक्ष : I have specially assured the Opposition that the point of order will not take much of the time and if in between I feel that the point of order is intended to consume the time of the Hon'ble Members, I will dispose it of there and let us see if there is substantial element in it.

I will request Mr. Chaudhary o state his point of order, and please be brief in his speech.

श्री पी० के० चौधरी : My point of order is this that under Article 207 of the Constitution, "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clause (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council :"

Now Article 199 of the Constitution says,

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely-

....

(d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State;"

This resolution provides for the appointment of teachers by the

(श्री पी० के० चौधरी)

State Government. That means they will be paid from the Consolidated Fund of the State. So it becomes a Money Bill and, as such, it requires the Governor's recommendation.

श्री उपाध्यक्ष : Is this a Bill ?

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir. Any Bill or resolution which provides for appropriation of money from the Consolidated Fund of the State cannot be introduced in this House.

श्री उपाध्यक्ष : You are referring to Article 207 ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir, 207 and 199.

श्री उपाध्यक्ष : How does it contain resolution ?

श्री पी० के० चौधरी : This resolution seeks the appointment of teachers to be made by the State Government. If the State Government appoints them, they become Government servants and they shall have to be paid from the Consolidated Fund of the State.

श्री उपाध्यक्ष : I wanted to know whether the Articles say about Bill or Resolution ?

श्री पी० के० चौधरी : This resolution, if it is adopted by the House, it becomes a Money Bill and the State Government will draw the money from the Consolidated Fund.

श्री उपाध्यक्ष : This point of order is not well taken. Shri Bhairon Singh will continue.

(४. म० प०)

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है, मैं जिस प्रकार की आशा करता था वह आशा बिल्कुल ठीक प्रकार से सिद्ध हुई है। माननीय राजस्व मंत्री जिस समय सदन में तशरीफ लाये उस समय मैं समझ गया था कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की आड़ में वे सरकार के सम्बन्ध में कुछ अनप्लेजेन्ट बातें कही जावें उनको बचाने के वे प्रयत्न करेंगे। बचाने के प्रयत्न किये गये लेकिन बदकिस्मती से सफलता उनको नहीं मिल पाई।

श्री दामोदरलाल व्यास : Too early to say.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने सदन में प्रस्तुत किया है वह प्रस्ताव वास्तव में बड़ा गम्भीर मसले का है और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के विचार किये जाने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि वे जितने भी अपने अनुभव अब तक पंचायत समिति के सम्बन्ध में आए उनको सही रूप से सदन के सामने प्रस्तुत करें। उपाध्य [illegible] माननीय मुख्य मंत्रीजी के भाषण सुने हैं। अन्य माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रियों के भी भाषण सुने हैं और जो राजस्थान के मुख्य सचिव की ओर से भी सरकारी स्तर पर वक्तव्य प्रस्तुत किया गया उसको भी पढ़ा है और पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि हमारी सरकार डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप को प्राप्त करने की कोशिश में है। मुझे इस बात से नाराजगी नहीं है कि हमारी सरकार को इस प्रकार से वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिले नहीं। लेकिन देखने की बात यह है कि जो काम कर रहे हैं उसका अनुभव किस प्रकार का मिला है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधान मंत्री ने एक भाषण में बताया था कि राजस्थान में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे राज्य के मुख्य मंत्री ने इस सदन में और कई बार बाहर भी कहा कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीयकरण का प्रयोग किया जा रहा है और सरकार भी इस बात को मन्जूर करती है कि यह लोकतन्त्रीय व्यवस्था है, केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर है।

अब यह विचार करना पड़ेगा कि जो एक एक्सपेरिमेन्टल स्टेज़ पर व्यवस्था राजस्थान में लाने की सोच रहे हैं उस एक्सपेरिमेन्टल व्यवस्था को सदन में रख कर उसके लिए अपने आपका मूल्यांकन करें कि सही स्थिति पर किस प्रकार जा सकते है, इसको सोचने का प्रयत्न करें और इस दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों का जो कानून बना हुआ है उस कानून के अन्तर्गत हमने एक व्यवस्था की है और वह व्यवस्था क्या की है? पंचायत समितियों के फंक्शन्स क्या होंगे वह सेक्शन २३ में डिफाईन किया है उस डेफीन्शिन के साथ शिड्यूल दिया है जिसके अन्दर यह बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों पर पंचायत समितियों का अधिकार होगा। इस प्रकार की एक व्यवस्था कानून के अन्दर की है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के हाथ में प्राथमिक शिक्षा न हो। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय, मैं इसका भी विरोधी नहीं हूं। लेकिन इसकी वास्तविकता का जहां तक सम्बन्ध है उस वास्तविकता को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वास्तविक चीजें क्या हैं? अब तक डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन पर बड़े से लेकर छोटे आदमी तक के भाषण सुने हैं। सबने एक ही बात कही है। प्लानिंग कमीशन ने भी एक ही बात कही है। राजस्थान का जो थर्ड फाइव इयर प्लान का ड्राफ्ट है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि आज डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन पॉवर का नहीं है, पॉवर का डीसेन्ट्रलाइजेशन नहीं हुआ है बल्कि पब्लिक में डेवलपमेन्ट के कामों के प्रति एक इनीशियेटिव पैदा करने के लिए डीसेन्ट्रलाइजेशन हुआ है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण में और डेवलपमेन्ट के कामों में इनीशियेटिव पैदा करने के लिए विकेन्द्रीकरण इन दोनों में रात दिन का अन्तर है। एक पॉवर का डीसेन्ट्रलाइजेशन है और दूसरा डेवलपमेन्ट के जो काम हैं उनकी लाएबिलिटी सरकार द्वारा न ली जाकर पब्लिक अपने ऊपर ले, यह साधनों का डीसेन्ट्रलाइजेशन है। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक तरफ तो साधनों का डीसेन्ट्रला-

(श्री भैरोंसिंह)

इज़ेशन और दूसरी तरफ पॉवर का डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन है। लेकिन यह कहा गया है कि हम डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन द्वारा पॉवर का डीसेन्ट्रलाइज़ेशन करना चाहते हैं चाहे वह डेवलपमेन्ट के कामों का भार जनता पर डालना मात्र हो। लेकिन इसको डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की संज्ञा दी है। अब इस प्रश्न पर विचार करें कि हमने डेवलपमेन्ट के कामों पर डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का विचार किया है, आज उस स्थिति में पचायत या पंचायत समितियों के नीचे प्राथमिक पाठशालाओं के टीचर्स की नियुक्ति या उनका स्थानान्तरण रहता है तो विकास के कामों में कितना फर्क पड़ता है? जिस प्रकार का इनीशियेटिव ग्रामीण समाज में पैदा हो और वहां की प्राथमिक पाठशालाओं के टीचर्स पर जो लाएबिलिटी आने वाली है उसको स्वीकार करें। मैं समझता हूँ कि आज इसके मंथन की आवश्यकता है, इसके विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक्सपेरिमेन्ट हो कर रहे हैं तो इसके मंथन की आवश्यकता है। जो बुराइयां हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता है और जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्राह्य करने की आवश्यकता है। केवल रेजिमेन्टेड थॉट के बेसिस पर डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का नारा लगा दिया जाये कि राजस्थान में डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन किया है और यदि उससे बैक आउट हो जावें तो दूसरे लोग यह समझेंगे कि राजस्थान में जो प्रयोग किया गया था वह फैल हो गया। इस संकीर्णता के आधार पर, इस इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के आधार पर यदि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का प्रयोग करते हैं तो निश्चिततः सत्ता का जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस एक वर्ष का जो अनुभव मिला है उसको हमें सदन के सामने रखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं. माननीय गृह मंत्रीजी अभी यहां नहीं हैं, नहीं तो वे कहेंगे कि सारी पुलिस को राक्षस बता दिया। वह तो एक फरिश्ता हैं, उन्हीं के शब्दों पर सदन में कहना चाहता हूं कि सारी पंचायत समितियां बुराई कर रही हैं, ऐसा नहीं लेकिन अधिकांश में, जो उनके कार्य काल में जो अनुभव पंचायत समितियों का मिला है उसके आधार पर कह सकता हूं कि आज के इस शासन के अन्दर कर्मचारियों के अन्दर जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, आज उनमें यदि कोई दुखी वर्ग है तो वह प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक हैं! किसी से भी जाकर पूछें, इसके लिए आज यहां पर किसी बेरोमीटर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पंचायत समिति के अध्यापक से जाकर पूछ लीजिये तुम पंचायत समिति के अन्दर में खुश हो या सरकार के नीचे खुश थे; तो उसका जवाब आपको यही मिलेगा कि वे पंचायत समितियों के नीचे रहना पसन्द नहीं करते, उनको बड़ा दुख है; वे तो इन्सपेक्टर के नीचे ही रहना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सत्ता की लड़ाई है। हर पंचायत समिति चाहेगी, हर एक संस्था चाहेगी, हर पंचायत चाहेगी कि मेरे हाथ में सत्ता हो। जहां सत्ता के लिए इस प्रकार से संघर्ष होता हो वहां इस बात को कहा जाय कि सत्ता के संघर्ष के कारण उनके अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, आज चाहे सरकार इसके लिए चुप हो,

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन एक असेम्बली के लेजिस्लेटर के नाते मेरी यह ड्युटी है, मेरा यह कर्तव्य है कि उसके आधार पर जो जनता के अन्दर एक्सप्लॉयटेशन के प्रति रिएक्शन है उसको यहां सदन में सही रूप से प्रस्तुत करूं। सरकार को उचित मार्ग-दर्शन इस सम्बन्ध में नहीं है इसलिए उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। किसी भी पंचायत समिति में चले जाइये, आपको यह देखने को और सुनने को मिलेगा कि इन गर्मियों की छुट्टियों में पंचायत और पंचायत समितियों के पास सत्ता सौंपने के पश्चात् प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का किस प्रकार से विक्टिमाइजेशन हुआ है। जिस प्रकार का राजस्थान के इन अध्यापकों का विक्टिमाइजेशन हुआ है वैसा विक्टिमाइजेशन किसी अन्य राज्य में नहीं हो सकता। पंचायत समितियों के प्रधान और सारे सदस्य, जो ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं, वे सारे मिल कर एक पंचायत के अध्यापक, प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के ट्रान्सफर का निर्णय देते हैं। अब आप पता लगाइये और यह विचार कीजिये कि पंचायत समिति में एक राजनैतिक संस्था के सदस्य होते हैं। जैसे मेरे नीचे एक पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति में एक राजनैतिक संस्था का प्रभाव है। उस राजनैतिक संस्था के व्यक्तियों का वहां बहुमत है. सरपंच किसी दूसरी राजनैतिक संस्था का हो सकता है, लेकिन दूसरी राजनैतिक संस्था के सदस्यों का वहां बहुमत है। उन्होंने इसी यह कहा कि पंचायत समिति में पार्टी पोलिटिक्स नहीं होगी। सिद्धान्त की दृष्टि से यह सुन्दर और सर्वोपरि है। लेकिन आज उसको अमली रूप नहीं दे सकते। जिला परिषद् और पंचायत समितियों में राजनैतिक पार्टियों का प्रभाव उनके अन्तर्गत काम करने वाले अध्यापकों और अन्यों पर नहीं पड़ेगा; यह नहीं कहा जा सकता। राजनैतिक पार्टियों का जहां बहुमत है उन पंचायत समितियों के राजनीतिज्ञों को, जहां एक पार्टी के राजनीतिज्ञ नहीं हैं अथवा एक का बहुमत है, उनको, इस श्रेणी के कर्मचारियों का अधिकार देते हैं कि वे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर कर दें, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कर दें। उनका स्थानान्तरण राजनैतिक पार्टी को पुष्ट करने की दृष्टि से किया जा सकता है और किया जाता है। राजनीतिज्ञों की इस दूषित मनोवृत्ति का आज उनको शिकार होना पड़ता है। उसका प्रमाण है, राजस्थान के पंचायत और पंचायत समितियों में और स्वयं राजनैतिक पार्टी में चल रहे द्वन्द्व। उसका प्रभाव उन श्रेणी के कर्मचारियों पर आये दिन पड़ रहा है। चाहे रामराज्य परिषद् और जनसंघ का किन्हीं पंचायत और पंचायत समितियों में बहुमत हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का बहुमत हो, वे इस द्वन्द्व को मानकर उनके अनुसार कार्य करेंगे। मैं जयपुर का ही नाम लेता हूं। यहां कोई पंचायत समिति नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिये, पंचायत समिति है। वहां पर मेरी पार्टी के सदस्य चुन कर चले गये और प्रधान चुन लिया गया। उसके दिमाग में यह रहेगा कि अक्टूबर में दुबारा इलेक्शन होने वाले हैं, मेरी धारणा है कि मुझे ६२ में एम. एल. ए. बन कर विधान सभा में आना है। तो दोनों का वहां पर समन्वय होगा। दोनों यह करेंगे कि जो टीचर्स हैं उनके अन्दर में उनको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि वे इलेक्शन में मदद कर

(श्री भैरोंसिंह)

सकें। उनसे कहा जायगा कि इलेक्शन में पर्चे बांटो। वे इलेक्शन में पर्चे बांटेंगे। सामान लेकर जाओ, सामान लेकर चले जावेंगे। भारत माता के नारे लगाओ, भारत माता के नारे लगायेंगे; पर्चे उतारो, पर्चे उतारेंगे। इस प्रकार की गुलामी उनसे करायी जायेगी। यह आज हमारी पंचायत समितियों में, जहां राजनैतिक पार्टी का बहुमत है, यह हाल है। चाहे माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं, वे इस बात को नहीं कहें, वे सब ही इस बात को आज जानते हैं। वे जानते हैं कि रोजाना उनको इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं कि आज प्राथमिक पाटशालाओं के टीचर्स का किस प्रकार से विक्टिमाइजेशन हो रहा है। अध्यापकों के स्थानान्तरण की शिकायतें मिलती हैं कि प्रधान ने उनका ट्रान्सफर कर दिया। यदि प्रधान के आदेश अध्यापक ने नहीं माने और कहा कि उनका स्थानान्तरण अथवा अमुक काम उनके द्वारा नहीं होगा तो उनका फौरन स्थानान्तरण कर दिया गया है और कर दिया जाता है। एक नहीं अनेक उदाहरण आज राजस्थान के अन्दर मिलेंगे। प्रधानजी ने हुक्म दिया और आपने नहीं माना, स्थानान्तरण कर दिया। पिछले दिनों एक पंचायत समिति ने एक ऑर्डर पास कर दिया। क्या ऑर्डर पास कर दिया? यह ऑर्डर पास कर दिया कि जितने पंचायत समिति के अन्तर्गत अध्यापक हैं उनको चन्दे में अपनी तनख्वाह से ८ आना देना पड़ेगा, जो नहीं देंगे उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऑर्डर मेरे पास है, उसकी स्टेटफाइड कॉपी मेरे पास है। यदि माननीय मंत्री महोदय और सदन देखना चाहे तो मैं वह पेश कर सकता हूं। अध्यापकों ने एतराज किया। प्रधानजी ने कहा कि जब तक आठ आना नहीं देंगे चन्दे के, उनको तनख्वाह नहीं दी जावेगी और जब एक एक पंचायत समिति के अध्यापकों से आठ आना चन्दा लिया गया तब ही जाकर उनको तनख्वाह दी गई। इस बात की आज हमारे राजस्थान में शिकायतें मिलती हैं। कुछ दिनों बाद उनको अपने वेतन का रुपया मिलता है। इसी प्रकार कुछ दिनों पहले एक अध्यापक ने मामूली सा काम किया था उसको बहुत दूर बदल दिया गया। इस तरह से कई उदाहरण हैं पंचायत समिति की धान्धलीबाजी बराबर चलती जा रही है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री) : यह चंदा किस पंचायत समिति ने लिया, बता दीजिये?

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble mover, you will take 30 minutes in your discussion because the allocation of time is only 1.30 hours.

श्री पी० के० चौधरी : Started at 3.30, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Started at 4.00 o'clock.

श्री उपाध्यक्ष : However, I have to dispose it of today.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह स्थिति है आज के प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों की। ऐसी स्थिति में

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यापकों के बारे में जो नियम बनाये हुए हैं हमें उन पर विचार करना होगा । अभी कुछ दिनों पहले उन नियमों में संशोधन भी किया गया है । पहले हमारी सरकार के कानून के अनुसार पंचायत समिति की एक सोशल एज्युकेशन बॉडी होती थी उस बॉडी को अधिकार था कि वह स्थानान्तरण कर सकती है । लेकिन अध्यापकों की शिकायत पर ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया गया और बी० डी० ओ० को अधिकार दे दिया गया । प्रधान जो सोशल एज्युकेशन बॉडी का हो उनको इस प्रकार के स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा और वह अधिकार बी० डी० ओ० को होगा । उसके बाद बी० डी० ओ० को जब अधिकार दे दिये गये तो उन पर पंचायत समिति का दबाव आने लगा और दूसरी तरफ बी० डी० ओ० के भाग्य के निर्णायक होते हैं पंचायत समिति के प्रधान । ऐसी हालत में पंचायत समिति के प्रधान की आज्ञा को वे टाल नहीं सकते, उनको मजबूर होकर उनका डिक्टेशन लेना पड़ता है । पंचायत समिति के अध्यापक जिस समय इन्सपेक्टर्स के नीचे थे उनके पे सर्केल्स बने हुए थे वहीं पर उनको तनख्वाह मिलती थी । लेकिन आज उस प्रकार के पे सर्केल्स की व्यवस्था नहीं हैं । अब इन अध्यापकों को पंचायत समिति के सेन्टर्स पर जाकर तनख्वाह लेनी पड़ती है । जब वे तनख्वाह लेने जाते हैं उसमें दो, तीन दिन का समय लग जाता है । उनके जो प्रोमोशन का कोटा था वह भी पंचायत समितियों में जाने के बाद बन्द हो गया । पहले प्राथमिकशालाओं के अध्यापकों को मिडिल स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल सकता था, मिडिल स्कूल के अध्यापक होने से हाई स्कूल के अध्यापक होने का उनको मौका था; लेकिन जब से प्राथमिक शालायें पंचायत समितियों के अधीन चली गई उसके बाद उनका मिडिल और हाई स्कूल से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । पंचायत समितियों में उनको किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिलता, तरक्की करने का अब उनको मौका नहीं रहा । कुछ दिनों पहले भरतपुर और सीकर जिलों में अध्यापकों का प्रोमोशन किया गया उसमें गल्ती यह हुई कि वहां इन्सपेक्टर ने पंचायत समिति के अधीन काम करने वाले अध्यापकों को प्रोमोशन में ले लिया लेकिन बाद में ऑर्डर्स को वापिस ले लिया गया और पंचायत समिति के अध्यापकों को जो प्रोमोशन मिले थे वह विथहेल्ड कर दिये गये । बाकी किसी भी जिले में पंचायत समिति के अध्यापकों को इस तरह से प्रोमोशन नहीं दिया गया था । आज ऐसे लोगों के हाथ में उनके प्रोमोशन और ट्रान्सफर्स को रख दिया गया है जो उनके ट्रान्सफर्स के नाम पर विक्टिमाइजेशन करते हैं आज उनका भाग्य पोलिटिकल वर्कर्स के हाथ में दे रखा है जो बेचारे अपने विशेज़ को किल करके, सरेन्डर करके मजबूर होकर उनके अधीन काम कर रहे हैं ।

आज स्थिति यह है कि जब हम राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्र की प्रगति तेजी से हो और आज के बच्चों को हम शिक्षित करके देश के भावी और उन्नतिशील नागरिक बनाना चाहते हैं और अब देखना यह है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा का भार आज किन पर दे रखा है । आज वे अध्यापक पोलिटिकल पार्टीज़ के एजेन्ट के रूप में काम करने को बाध्य किये

(श्री भैरोंसिंह)

जा रहे हैं, वे किसी भी प्रकार से इन्डिपेन्डेटली बच्चों के अन्दर काम कर सकेंगे यह उनसे आशा नहीं की जा सकती। इसमें हो यह रहा है कि जो अध्यापक पंचायत समिति के सदस्यों के मुंह लगे रहते हैं वे उनके साथ जीप में बैठ बैठ कर दौरा करते रहते हैं। जब वे प्रधान के साथ वापिस आते हैं तो उतने दिनों की हाजरी कर दी जाती है। आज यह स्थिति है इन अध्यापकों की और प्राथमिक शालाओं की। आज हम देखते हैं कि जहां पंचायत समिति के स्कूलों के निरीक्षण का सवाल है सोशल एजुकेशन ऑफिसर पंचायत समिति के स्कूलों का निरीक्षण कर नहीं सकता। पंचायत समिति के नीचे एक्सटेन्शन ऑफिसर है वह सारी की सारी स्कूलों का निरीक्षण कर सकता है। पंचायत एक्सटेशन ऑफिसर कब चला जाय, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर कब चला जाय, सोशल एज्युकेशन ऑफिसर कब चला जाय, हैल्थ ऑफिसर कब चला जाय, ये जब चाहे स्कूलों में घुस जाते हैं और हैड-मास्टर को कहा जाता है कि हम आपकी स्कूल का निरीक्षण करना चाहते हैं। निरीक्षण तो क्या करते हैं, वे चाहते हैं कि उनके ठहरने की व्यवस्था आदि कर दी जाय। इस तरह उनकी व्यवस्था में वे स्कूलों से गायब रहते हैं और इधर स्कूल के बच्चे अपने स्वभाव के अनुसार उसी तरह से उछल कूद मचाते रहते हैं। आज हमने इन बच्चों की बागडोर पोलिटिकल लीडर्स के हाथ में दे रखी है इससे अध्यापक लोग इन्डिपेन्डेन्टली काम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मैं एक निवेदन करूंगा वह यह कि इस स्थिति के अन्दर हमारे एक वर्ष का जो अनुभव है हमें उस अनुभव पर विचार करना होगा। इसके सम्बन्ध में हमारे इस पंचायत समिति के बारे में और जिला परिषदों के बारे में मुख्य मंत्रीजी का क्या अनुभव हुआ है, वह उनके ३१ तारीख के भाषण में जो उन्होंने इस सदन में दिया उससे साफ प्रगट होता है। जो भाषण उन्होंने २ अक्टूबर को दिया और इस समय जो भाषण दिया उस भाषण की भाषा में और आज के भाषण की भाषा में रात–दिन का अन्तर हम पाते हैं। वे कहते हैं :

"एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिला परिषदें बहुत सी रायें भेजती हैं पर सरकार मानती नहीं। आम तौर पर हम कोशिश करते हैं कि मानें। पर मैं यह निवेदन कर दूँ कि कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जैसे मिडिल स्कूलें खोलनी हैं। हम कहते हैं कि एक जिले में चार खोलेंगे। अब जिला परिषद् हैं–पंचायत समिति अपने अपने यहां एक मिडिल स्कूल खोलने के लिये लिखकर भेज देती है अब जिला परिषद् किस पंचायत समिति से कहे कि नहीं खोलेंगे वहां। इस झगड़े में वे नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर १६ पंचायत समितियों ने १६ जगह मिडिल स्कूलें खोलने के लिये लिखा तो १६ को ही रिकमन्ड करके जिला परिषदें भेज देती हैं। अब स्वाभाविक होता है कि जिला परिषद् किससे कहे कि तुम्हारे यहां नहीं खुलेगी, उसे करना तो नहीं होता, फोरवर्ड ही करना होता है, वह कर देता है और चूंकि सभी जगह के सभी पंचायत समितियों के प्रधान वहां सदस्य होते हैं तो स्वाभाविक है वे क्यों यह झगड़ा माल लें पर सरकार को तो और किसी को फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता; हमें तो निर्णय लेना

(श्री भैरोंसिंह)

पड़ता है ।''

यह जो उन्होंने भाषण दिया है इससे मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के बारे में उन दिनों उनके क्या विचार थे अब वे क्या विचार रखते हैं आज वे भी यह अनुभव कर रहे हैं, जो इसका सिद्धान्त है उन सिद्धान्तों के विपरीत कर रहे हैं। इस कथन में उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने जिस प्रकार से अनुभव किया वह व्यक्त कर दिया। आज जिला परिषदें आपस में लड़ें इस कारण वे कोई निर्णय नहीं कर सकते, पंचायत समिति नहीं कर सकती, आखिर ये सब बातें हैं जिन्हें माननीय मंत्री महोदय को विचार करना होगा और गम्भीरता से विचार करना होगा। आज पंचायत समिति एक अध्यापक के मामले को लेकर बैठ जाय। मान लीजिये किसी अध्यापक का जो जयपुर में काम करता है उसका सांगानेर तबादला करना है। उस पंचायत समिति में पांच आदमी तो चाहते हैं तबादला कर दिया जाये और चार चाहते हैं नहीं किया जाय। वैसी हालत में जब उसका ट्रान्सफर हो जाता है तो जिनके कहने से होता है वे तो खुश हो जाते हैं लेकिन जो उसका ट्रान्सफर नहीं चाहते वे यह सोचेंगे कि इस तरह से हमारी बदनामी हुई। आखिर इस बात को लेकर यदि पंचायत समिति के प्रधान में यदि उनका नम्बर आ जाय तो बेचारे उस अध्यापक की तो बुरी हालत हुई। पुरानी रंजिश के कारण वह उससे बदला लेंगे। इस प्रकार से प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता कि जो राजा हो उसको राजा मान लें और पंचायत समिति का जो भी प्रधान हो उसका गुलाम बन कर रहे। दूसरा बनता है तो उसकी गुलामी करे, तीसरा बनता है तो उसकी गुलामी करे, इस तरह से उसका सारा जीवन एक गुलाम की तरह बिताने के लिये उसे बाध्य होना पड़ता है। ऐसी हालत में हम किस प्रकार से यह आशा कर सकते हैं कि ये अध्यापक लोग हमारे देश के भावी नागरिकों को सुशिक्षित कर सकेंगे ? आज इस बात की चिन्ता हमारी सरकार को नहीं है न उन अध्यापकों को इस बात की चिन्ता है। उनको केवल चिन्ता यही रहेगी कि किस तरह से पंचायत समिति के प्रधान उनसे खुश रहते हैं। वे प्रधान की खुशी और नाराजी पर जीवित रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले तो यह था कि इन्सपेक्टर्स को खुश रखना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि अब तो पर्सनल मैटर्स पर, पोलिटिकल मैटर्स पर भी प्रधान को खुश रखना पड़ेगा।

अब उसके इन्सपेक्शन के लिये एक इन्सपेक्टर नहीं है। पहले तो एक आदमी वह काम करने वाला था और आज बीस बीस, तीस, तीस निरीक्षक हो गये। तो यह आज एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। सम्भालने वाले ज्यादा और काम करने वाला एक। तो इसलिये कहता हूं कि प्राथमिक पाठशालाओं को सम्भालने वाले पोलिटिकल लीडर ज्यादा हो गये और काम करने वाला एक गरीब अध्यापक रह गया है। ऐसी स्थिति में ईमानदारी से और दयानतदारी से अपना काम करते हुए वह पार लगेगा; यह सम्भव नहीं है।

आज की स्थिति में सारी बातों का

(श्री भैरोंसिंह)

विचार करने के बाद अगर अध्यापक को अपने अधिकार में रखते हैं तो आपका इनिशियेटिव कैसे पैदा होता है ? कौनसा इनिशियेटिव आप उसको अपने कब्जे में रखने का करना चाहते हैं ? टैक्स्ट बुक और पे स्केल आपने निर्धारित कर दिया। अपॉइन्टमेंट के और तरक्की के नियम निर्धारित कर दिये। प्रोमोशन उनके हाथ में रहा नहीं। अब इस स्थिति में कौनसा इनिशियेटिव आपके कब्जे में रखने का होगा ? कोई इनिशियेटिव बाकी नहीं रहता। यदि आपका यह मतलब है कि वह श्रमदान करे या साइट डेवलपमेंट का काम करे और पढ़ाने का काम बन्द कर दे तो इसके मार्फत आपका इनिशियेटिव नहीं है। वी० एल० डब्ल्यू० आपने किस काम के लिये लगा रखा है ? उसका काम रहता है लड़कों को पढ़ाने का। फिर कौनसा इनिशियेटिव आप उसको देना चाहते हैं ? कौनसा डेवलपमेंट का काम बन्द हो जावेगा अगर वह आपके कब्जे में रहा तो? हो सकता है, स्कूल की बिल्डिंग में टीचर का इनिशियेटिव हो सकता है। इसके आधार पर सहायता मिल सकती है। पर यह तो क्षणिक है। एक, दो महीने में स्कूल की बिल्डिंग बन गई आपकी और टीचर का इनिशियेटिव बन्द हो गया।

अब मोटे झगड़े पंचायतों में चल रहे हैं। मैं कहूं किस प्रकार से उनसे स्फूर्ति पैदा करने की है। बल्कि नई ही स्फूर्ति पैदा की जा रही है जिसका स्थिति वित्तमंत्री महोदय ने बताई थी। विक्टिमाइजेशन का अधिकार उनको और दे दिया। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर अध्यापकों का किस प्रकार से गला घोंटा जावे यह ताकत उनके हाथों में और दे दी। अब मंत्री महोदय कहेंगे कि यह कम्पलसरी नहीं है। स्वेच्छा से प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेना चाहें वे ले सकेंगे। पर नियम आपने इस प्रकार का बना दिया कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें उनमें जो प्रौढ़ शिक्षा में काम करेंगे उनको अनुमति दी जा सकेगी, बाकी को न दी जा सकेगी। आप बड़े विद्वान् हैं और विद्वता की बातें कभी कभी आप कहा भी करते हैं। इस स्थिति में उनको स्वयं को सोचना चाहिये कि इस प्रकार का प्रोविज़न और सर्कुलर की तामील करना भी क्या थियोरिटिकल कम्पलशन नहीं है ? कोई आगे पढ़ना चाहेगा तो उसको मजबूर होकर प्रौढ़ शिक्षा में भाग लेना होगा। तो इस तरह आपने अध्यापकों की सारी इन्डिपेन्डेन्स खत्म कर दी है। आज आजादी में सभी लोग, सभी सर्विस वाले लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी इन्डिपेन्डेन्स की। इसलिये नहीं कि सरकारी काम में इन्डिपेन्डेन्स मिले ; पर बाकी के कामों में मिले। इस प्रकार को सारी सर्विसेज़ की इच्छा है पर बदकिस्मती से, देश भले ही ४७ में आजाद हो गया हो, पर अध्यापक की दृष्टि से २ अक्टूबर, '५९ को वह आजादी खतम हो गई। आज आप किसी अध्यापक से पूछिये, मैं विश्वास से कह सकता हूं, इसके लिये फिर मेरी कितनी ही आलोचना की जावे कि मैं डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन का विरोध कर रहा हूं, कि रेफरेन्डम अगर कराया जावे तो दस पर्सेन्ट वोट इस बात के मिलेंगे कि हम पंचायतों के नीचे रहना चाहते हैं। बाकी ६० पर्सेन्ट कहेंगे कि हम नहीं रहना चाहते पंचायत समिति के नीचे।

आई० ए० एस० के कुछ परीक्षणार्थी,

(श्री भैरोंसिंह)

आये थे। उनसे पंचायत समितियों के लोग मिले थे। श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष ने एक सवाल उनके सामने रखा। उन्होंने क्या रखा कि हमने अब तक तो विचार कर लिया। एक बात बता दीजिये कि आपके नीचे सर्विसेज़ आ गई वह सुखी हैं या दुखी। श्रीमाधोपुर के एक सदस्य ने यह प्रश्न रखा। तो कहने लगे पहले आप बतावें। हम तो बता देंगे पर पहले आप बतावें। लखनऊ की उस आप आप की तकल्लुफ में काफी समय निकल गया। अन्त में श्री माधोपुर के सदस्य को उन परीक्षणार्थियों ने बताया कि हमारे काफी जगह घूमने के बाद यहां भी, और बाकी के प्रोविन्सेज में भी घूमने के बाद जो अनुभव आया वह यह हैं कि जितने भी सर्विसेज़ पंचायत समिति के नीचे आई हैं वे सुखी नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं इसलिये कि आज किसी भी सरकारी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि इस व्यवस्था के बारे में कुछ कह दे और यह हिम्मत इसलिये नहीं हो सकती कि आपने आज ऐसी एक हवा चला दी। कहीं प्रधान मन्त्री इसकी तारीफ करते हैं तो कहीं मुख्य मन्त्री इसकी तारीफ करते हैं। सम्पूर्णानन्दजी कहते हैं, मैं इसे यू० पी० में नहीं करने दूंगा, चाहे कहीं और जगह हो जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : विधानसभा में वहां भी पास हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं उनकी ओपीनियन दे रहा हूं। आप चाहे मंसूरी होकर आये हों।

श्री पी० के० चौधरी : I think he has taken enough time.

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : You will please conclude your debate at 4. 30.

श्री भैरोंसिंह : Within two to three minutes.

तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन कर दूं कि कुछ ऐसे प्रोविन्सेज़ हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार का कोई काम वे नहीं करने वाले हैं जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक का विक्टिमाइज़ेशन हो और जो हम प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रसार करना चाहते हैं वह रुके, उसमें रुकावट आवे इस विक्टिमाइज़ेशन से। जो स्वयं के चरित्र सुधार नहीं सकें, उनके हाथ में चरित्र निर्माण करने वालों का नियन्त्रण दें, ऐसा वे नहीं करने वाले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार के कई उदाहरण लाया था। पर उन सब को यहां प्रस्तुत करने के लिये मेरे पास समय नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य मेरे पास उनको देख सकता है। मैं समझता हूं उसके हिसाब से अधिकांश पंचायत समितियों की ऐसी शिकायत है। ज्यादा कोई जानकारी करना चाहें तो जितनी भी शिकायतें हैं एक शर्त पर मैं उनको दिखा सकता हूं कि शिकायत करने वाले को विक्टिमाइज़ नहीं किया जायगा और इस शर्त को ईमानदारी से निभाया जावेगा। अगर ऐसा आश्वासन मिले तो मैं दुनिया भर की एप्लीकेशनें हाउस की टेबल पर रखने को तैयार हूं ताकि आप जज कर लें। आज इस

(श्री भैरोंसिंह)

सम्बन्ध में यदि यह कहें कि जनता में जाकर इस प्रकार की बात कही जावे तो मैं तो इतनी हिम्मत रख सकता हूं ! जो जनता है, जिसको जनता समझते हैं वहां अगर ऐसी बात कहूं तो वास्तव में कोई इससे इन्कार नहीं कर सकेगा। इन्कार करने वाले वही मिलेंगे जो प्रधान होंगे, उप प्रधान होंगे, या पंच-सरपंच होंगे जिनके हाथ से सत्ता छिनने जाती है वे ही कहेंगे कि अध्यापकों का यह नियन्त्रण उनके हाथ में रहना चाहिये; पर इलेक्टोरेट नहीं कह सकता। दर असल जनता की भावना है। उस प्रकार के लोगों की भावना नहीं है जिनके ढंग पर जाकर कोई मूल्यांकन करना चाहे तो सही मूल्यांकन नहीं होगा। सही मूल्यांकन करना है तो जनता में जाकर भी किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में मेरा यही कहना है कि फिलहाल इसको वापिस लिया जावे। इसलिये, क्योंकि हमारा अब तक का अनुभव यह आया है कि प्रधान और सरपंच के पास काम बहुत ज्यादा आ गया है। अगर उनके ये काम कम किये जावें तो विकास के कामों में वह ज्यादा ध्यान देंगे। एक तो प्रधान या सरपंच और उसके पीछे दस टीचर लगे होते हैं। कोई कहता है मेरा स्थानान्तरण वहां कर दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और प्रधान को समय नहीं मिलता उनकी बातों पर विचार करने का। उसको तो स्थानान्तरण करने से, टीचर को तनख्वाह चुकाने से, हुकूमत करने से फुरसत नहीं मिलती। इसलिये जो आज आपको शिकायत है कि वह डेवलपमेन्ट के काम में सही सहयोग नहीं दे पाता तो यह सही है कि इस कारण वह डेवलपमेन्ट के कामों में सहयोग ठीक नहीं दे पाता। इसलिये समय कम मिलने की दृष्टि से, काम ज्यादा होने की दृष्टि से डेवलपमेन्ट का काम ठीक हो, इस दृष्टि से और वर्क लोड की दृष्टि से भी प्रधान को इस काम से मुक्त किया जावे तो यह सही तरीका होगा और इसको सदन भी स्वीकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करते हुए जो केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं, पर अनुभव के आधार पर है, हमें इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने चाहिये उसी अनुभव के आधार पर ऐसा किया तो आप सरपंच और प्रधान को भार से मुक्त कर सकेंगे और उसे राजस्थान के डेवलपमेंट के कामों में ठीक प्रकार से योग देने योग्य बना सकेंगे। इस प्रकार की आशा करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister will make a reply.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : We will like to participate in the debate.

श्री उपाध्यक्ष : But there is no time left with me.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): प्रस्ताव का अगर समर्थन नहीं हो तो प्रस्ताव ही नहीं रहता। इसलिये समर्थन में बोलने की तो इजाजत देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया था और इसी व्यवस्था के अनुसार आधा घंटा मूवर ने

Page No.114

(श्री उपाध्यक्ष)

लिया, १५ मिनट मन्त्री लेंगे और वापिस कुछ कहने की जरूरत हुई तो १५ मिनिट मूवर फिर लेंगे और पांच मिनट फिर मेरे डिस्पोज़ल पर होंगे । There is no time left to me.

श्री पी० के० चौधरी : There should be a discussion on this Resolution.

श्री उपाध्यक्ष : But it does not rest with me. The time has been adjusted and I have to work according to it. It may be less, but I cannot go beyond it.

श्री मुरलीधर व्यास : डिस्कशन के लिये समय देना चाहिये, नहीं तो इसका मतलब ही नहीं होगा ।

(विराम)

यह सवाल तो परम्परा का है । समय का नहीं । समर्थन में कुछ न कुछ कहना चाहिये और जिनको विरोध करना हो करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये डेढ घंटा निश्चित किया गया है, इसके अन्तर्गत ही मुझको व्यवस्था करनी है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव....

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, it will be strange that the Resolution is being moved and without any other member having been given a chance to express his views, it is put to vote.

श्री उपाध्यक्ष : आप तो आरम्भ रखिये ! Is not the House suspend it's work ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी उपस्थित किया गया है मैं समझता हूं कि इस प्रकार के संकल्प पर विचार करने का अभी समय उपस्थित नहीं हुआ है। इस विकेन्द्रीकरण की योजना को अभी पूरा साल भर भी नहीं हुआ है और साल भर के अन्दर जो कुछ हमको अनुभव हुए उनमें कई मीठे अनुभव भी हुए हैं तो कई खट्टे भी । लेकिन खट्टे अनुभवों को बहुत तूल देकर, बढ़ा कर यह संकल्प उपस्थित करें कि जिससे जो अधिकार दिये गये हैं जनता के प्रतिनिधियों को उन अधिकारों को सरकार वापिस ले ले तो राजस्थान सरकार आज इस स्थिति में नहीं है और न इसको उचित ही समझती है कि बिना काफी अनुभवों के इसके ऊपर किस प्रकार से पुनर्विचार करें ! माननीय सदस्य ने जो उदाहरण दिया वह सिर्फ अध्यापकों का उदाहरण दिया । सर्विसेज में हस्तान्तरण की बात कही और जब कि कुछ उदाहरण अध्यापकों के दिये हैं और अगर अध्यापकों के बारे में जैसी आपने बातें कहीं अगर उनमें तथ्य है तो उन पर विचार किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): आप पहले रिज़ोल्युशन को पढ़ लें और फिर जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ठीक है ।

(संकल्प को देखने लगे)

Page No.115

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये और आरम्भ रखते हुए देख लीजिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ठीक है, वह अध्यापकों के लिए ही आपने कहा है। तो मैं मानता हूं कि कुछ थोड़े से उदाहरणों से इस प्रकार का विचार बना लेना या संकल्प उपस्थित करना या सरकार को बुरा-भला कहना, यह वाजिब और समझदारी नहीं होगी। जो उदाहरण दिये हैं उनके बारे में सरकार का ध्यान दिलाया है तो मैं देखूंगा कि अध्यापकों को क्या कठिनाइयां हैं। यह तो एक बात हुई; लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके पदोन्नति का अवकाश नहीं है। मैं समझता हूं यदि माननीय सदस्य एक्ट को देखते, वह तो देखने वाले आदमी हैं, लेकिन उनके ध्यान से यह बात निकल गई होगी लेकिन वे देखेंगे कि उनकी पदोन्नति की गुंजाइश है....

श्री भैरोंसिंह : वह क्या गुंजाइश है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : "Eligibility of promotion to State Service: A member of the Service shall be eligible for appointment or promotion to the next higher post in State Service in accordance with the rules applicable to this Service. Persons so appointed or promoted shall count the period of their holding the posts substantively in the service for purposes of seniority. They will also count the period for purposes of pension in accordance with the provisions of the Rajasthan Service Rules."

श्री भैरोंसिंह : Is there any example in Rajasthan where these provisions have been given effect to ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह दूसरी बात है। आपने कहा था कि प्रोमोशन की गुंजाइश नहीं है ! मैं कहता हूं कि गुंजाइश है। अगर कहीं इलिजिबल थे और अगर नहीं किये गये तो आप उनके केसेज़ ध्यान में लाइये, हम उन पर विचार करेंगे, लेकिन आपने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है; मैं कहता हूँ कि गुंजाइश है। इसलिए चिन्ता करने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रान्सफर के लिए आपने कहा तो उसके लिए बी० डी० ओ० को पॉवर्स दी गई हैं। बी०-डी० ओ० तो लोक प्रतिनिधि नहीं है। प्रैशर तो बी० डी० ओ० के ऊपर भी लाते हैं, सब पर प्रैशर लाते हैं, मुझ पर भी लाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि काम जो भी हम करायें बिना प्रैशर के ही करायें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर वह किसी के प्रैशर में आकर काम करता है तो यह उसकी गलती है, न कि जो प्रोग्रेसिव स्टेप हम लेते हैं उसको रिट्रोगेट करने के लिए आपने ऐसा किया है। यह तो सही इलाज नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की मुख्य बात थी वह यह थी कि अध्यापकों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर अध्यापकों को कष्ट है तो वह रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं; उनको ऐसा करने के लिए कोई मनाई नहीं है। मुझे तो एक भी अध्यापक ने नहीं कहा है ; मैं सबसे मिलता हूं और माननीय सदस्य मानेंगे कि मुझसे मिलने में किसी को भी संकोच और डर नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी

Page No.116

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाजार, जयपुर) : क्योंकि वे जानते हैं कि आपको अधिकार नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपसे मिलने में डर नहीं, लेकिन मिलना निरर्थक समझते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो यह तो उनका कुसूर है, बल्कि उनका कसूर तो डबल है और डबल यों है कि जिस मंत्री को सहानुभूतिशील मानते हैं उनसे मिलते नहीं और मिलते उनसे हैं कि जो उनका काम नहीं करवा सकते बल्कि उनका काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए उनकी समझदारी की तारीफ नहीं की जा सकती। मैं फिर सदन में कहता हूं कि यदि किसी भी अध्यापक को शिकायत है तो वह मुझसे मिलें।

श्री भैरोंसिंह : आपके ऊपर तो इतने दबाव आते हैं कि आप स्वयं नहीं टिक पाते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : He will continue please.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस विभाग के मेरे पास आने के बाद मैंने वह एक्शन लिया है और आप इसकी ताईद देते हैं, मेरे कमरे में आकर। आखिर यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है यह तो आपने जो मूल प्रश्न सदन के सामने उपस्थित किये उनका उत्तर दिया है; आपने जो मुख्य बातें उठाई थीं और जिनको लेकर आप बहुत चिंतित हो गए थे मैं यदि आपकी जगह होता तो इतना परेशान नहीं होता। अगर अध्यापकों को शिकायतें है तो वे सरकार के सामने आनी चाहिए। मैं अध्यापकों को भी इसका निमंत्रण देता हूं कि वे आयें और दरअसल में उनके साथ यदि ज्यादती हो रही हो तो गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब प्रयोग शब्द का इस्तेमाल हुआ तो इसका विरोध इसलिए किया कि यह प्रयोग नहीं है बल्कि इसको हमने अपनी एक एक्सेप्टेड पॉलिसी मान ली है। मैं तो कहता हूं कि कुछ बातें इसमें आगे की जायें और इसको आगे बढ़ाया जाये। लेकिन इसका मूल उद्देश्य यह है कि जनता को अधिक से अधिक काम कराने का सुविता मिले, यह मूल उद्देश्य है और उसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो दुरुपयोग से बचाने के लिए किसी नियन्त्रण की आवश्यकता हो सकती है। जो कदम हमारा आगे बढ़ गया है वह आगे ही बढ़ा है वह पीछे नहीं हट सकता।

(विराम)

और इस संकल्प के लिए मैं मानता हूं कि यह सरकार को पीछे हटाने वाला है। इसलिए सरकार इसको मंजूर नहीं कर सकती।

मैं आशा करता हूं कि मेरे दो प्रकार के सुझावों के बाद माननीय सदस्य इस बात को मान जायेंगे कि इस संकल्प को आगे प्रैस करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यापकों की कठिनाइयों के बारे में मैं कह देता हूं कि उनका रिप्रेजेन्टेशन आये या नहीं आये अगर वे मुझसे आकर कहेंगे तो उनकी कठिनाइयां दूर की जायेंगी। इस प्रकार का आश्वासन मैं दे सकता हूं। अध्यापकों के बारे में मानता हूं कि अध्यापक हमारे गांव

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के स्वाभाविक लीडर हैं। अगर वे परेशान हैं अगर वे दबाये जाते हैं तो वास्तव में यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि अध्यापकों को पूरा अवसर मिलना चाहिए। उनके प्रोमोशन के लिए माननीय सदस्य ने कहा था तो मैंने कहा कि उसके लिए गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि आपने जो दो तरह की कठिनाइयों का जिक्र किया वे दूर हो जाती हैं। इसलिए आपके अपने संकल्प को प्रैस करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है और मुझ आशा है कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस ले लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो ५ मिनट और हैं। १५ मिनट दिये थे आपको तो।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble mover will please conclude at 4.55.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि पुरानी कहावत है, "समझदार को इशारा बहुत है" और....

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : उन्होंने तो आपको इशारा ही किया है।

श्री भैरोंसिंह : और जिनको समझ नहीं होती है उनको चाहे कितनी ही बातें कही जायं उसका उन पर कोई असर नहीं होता। मैंने कुछ बातें बताई थीं। बदकिस्मती से जो इससे सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं उन्होंने मेरे रिजोल्युशन को पढ़ा ही नहीं है और उन्होंने सबसे पहले अपना तगड़ा आर्ग्युमेंट दे दिया कि आपने अध्यापकों के लिए नहीं, सारी सर्विसेज़ के बारे में कहा और उदाहरण के लिए अध्यापकों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो उनकी समझदारी का नमूना यही आ गया....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): यह समझदारी का नहीं और बात का है।

श्री भैरोंसिंह : खैर, समझदारी का नहीं नासमझी का समझ लीजिए। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक्ट में प्रोमोशन का प्रोविज़न है उसको सदन में पढ़ कर सुनाया। मैंने भी उस प्रोविजन को पढ़ा है और उसका काफी अध्ययन किया है और जिस समय वह एक्ट पास हुआ था उस पर काफी भाषण भी दिए थे। मुझे उसके बारे में जितनी जानकारी है शायद मंत्री महोदय को भी नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन प्रोविजन्स से राजस्थान में किस किस अध्यापक को प्रोमोशन मिला है ? साल भर का अर्सा होने को आ गया है क्या आप कह सकते हैं कि हजारों टीचर्स में से किसी का प्रोमोशन ड्यू नहीं था ? आप बता सकते हैं कि साल भर में कितने अध्यापकों को इस प्रोविज़न के अनुसार प्रोमोशन दिया गया है ? जब प्रोमोशन का सवाल आता है तो कह देते हैं कि हमें प्रोमोशन देने का अधिकार नहीं है। सीकर में देखते हैं कि इसके अन्दर प्राथमिक पाठशालाएं इन पंचायत समितियों के नीचे थीं उनमें किसी प्रकार का प्रोमोशन नहीं मिला। मैं मानता हूं कि प्रोविज़न है, इस बात का भी प्रोविज़न है कि कोई चोरी न करे, कोई बेईमानी न करे, किसी के पैसे

(श्री भैरोंसिंह)

को हजम न करें लेकिन इससे होता क्या है और जब सारी स्थिति आपके समक्ष रखी गई तो आप कहते हैं कि बी० डी० ओज़० को अधिकार दे दिए गए हैं और अब बी० डी० ओज० दबते हैं तो उनकी गल्ती है। मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान में आज कौन नहीं दबता है, सबसे ज्यादा दब्बू तो इस विभाग के मंत्रीजी हैं। अगर आप कोई उदाहरण लेना चाहें तो मैं एक नहीं कई ऐसी पंचायत समितियों को बता सकता हूं कि जिनके गलत ऑर्डर आपने दबाव में आकर दिए हैं। आप महुवा पंचायत समिति को ले लीजिए....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member's expression 'Daboo' as used is not compatible with the dignity of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : But it is compatible with the dignity of the Hon'ble Member.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह शब्द अनुचित माना जाता है तो इस शब्द को वापिस लेने में आपत्ति नहीं है मुझे। ऐसी स्थिति के अन्दर....

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, वापस लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : He has agreed to withdraw it and I have allowed it.

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति के अन्दर जो दबाव उनके ऊपर आता है उनसे वह दबते नहीं हैं। उस सम्बन्ध में वे चाहें तो मैं एक उदाहरण नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जितना दबाव इनके ऊपर काम करता है उतना राजस्थान के किसी मंत्री पर काम नहीं करता। अगर वे यह कहें कि उन पर दबाव असर नहीं करता तो वह इसलिए नहीं करता होगा कि जो कुछ फाइनेंस सेक्रेट्री लिखकर भेजता है वे उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उस सारी स्थिति के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो इस प्रकार का उत्तर दिया उस उत्तर को सुन कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सरकार के पास उत्तर नहीं है। केवल यह कह देना कि पॉलिसी है, प्रयोग नहीं है तो मैं बताऊं कि नेहरूजी ने स्टेटमेंट देते हुए कहा था : "Rajasthan is doing an experiment We may go to God or we may go to devil." इस प्रकार की पोजीशन....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नेहरूजी की दृष्टि से प्रयोग हो सकता है। राजस्थान सरकार की दृष्टि में 'प्रयोग' नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि नेहरूजी से ऊपर वित्त मंत्री महोदय बोलने लगे हैं। लेकिन फिर मैं इनको बताऊं कि अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यह हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग के जरिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : 'प्रयोग' शब्द उन्होंने कभी नहीं कहा, जब कभी 'प्रयोग' शब्द का उपयोग किया गया तो उन्होंने इसका खंडन किया है। बीसों दफा मेरे सामने यह हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : XXXX

श्री भैरोंसिंह : XXXX ऐसी स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग शब्द का प्रयोग एक बार नहीं अनेकों बार मंत्रियों ने अपने भाषणों में किए हैं। जिस प्रकार के भाषण प्रसारित किए गए हैं उनमें भी प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है और यहां पर भी इसका प्रयोग किया गया है। इसके लिए मैं इस सदन की प्रोसीडिंग की एक ही प्रति लाया हूं जिससे स्पष्ट हो जायेगा कि इस सदन के अन्दर भी इसका उपयोग किया गया है। ऐसी स्थिति के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा अनुभव एक सरीखा ही आया है, उस अनुभव के आधार पर हमें उसको लेना चाहिए। मंत्रीजी कहते हैं कि इस प्रकार की किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत करने में किसी प्रकार का कोई अर्थ निकलता हो तो कोई शिकायत करने भी आवे। फिर आपकी भावना कैसी सुन्दर है! मेरी तरफ इशारा करके आप कहते हैं कि आपके पास जाता हैं तो उसका काम कैसे हो सकता है? अगर आपके पास आता है तो ही काम निकल सकता है। आपने ही भलाई का ठेका ले रखा है। आपके पास आयेगा तो आप भला कर देंगे और अगर मेरे पास आता है तो आप नुकसान कर देंगे। यही चीज है उपाध्यक्ष महोदय, जो डेमोक्रेट्रिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की जड़ में खराबी है। अगर मेरे पास आता है तो वह दुष्ट है और मंत्रीजी के पास जाता है तो वह भला है। यह जो इस प्रकार की मनोवृत्ति माननीय मंत्रीजी की है जो उनका डेमोक्रेट्रिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है उसमें य. कभी पनप नहीं सकता ...

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने ठीक ही तो कहा था कि मेरे पास आयेगा तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी यही कह रहा हूं कि जैसा आप कहते हैं कि अगर वह मेरे पास आएगा तो काम नहीं होगा और मंत्रीजी के पास जाएगा तो उसका काम होगा। मैंने अपने भाषण के समय ही कहा था कि जो अध्यापक सत्तारूढ़ों के पास चला जाता है उनका तो विक्टिमाइजेशन नहीं होता है और जो किसी विरोधी दल के पास पहुंच जाता है तो उसका विक्टिमाइजेशन होता है और उसको केवल सत्तारूढ़ दल के पास ही जाना चाहिए; यह जो स्थिति है माननीय उपाध्यक्ष; मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में माननीय मंत्रीजी की यदि इस प्रकार की नीति है तो पहले मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि यह विभाग इनके पास से ले लिया जाय, इनसे कोई काम नहीं होने वाला है। जहां इनकी मनोवृत्ति इस प्रकार की है कि ऑपोज़िशन के लोगों के पास कोई चला जाय तो उनका काम नहीं होगा और उनके पास आने से ही काम होगा तो इस प्रकार से सरकार के प्रोसीजर को प्रीच करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो अभी भी कहता हूं कि ऑपोज़िशन के लोगों के पास जाने से वे तो कोई एक्शन नहीं ले सकते....

श्री भैरोंसिंह : यह अच्छा होगा कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष (श्री हरिभाऊ उपाध्याय की ओर) : आप जोर से कहिए ।

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ बातें उन्होंने सदन के अन्दर कही हैं उन पर सदन स्वयं विचार करे और जो उनके लिए ...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो फिर आपसे कहता हूं कि आप उनकी कठिनाइयों को दूर कराने के लिए सही रास्ता नहीं बताते हैं । ऑपोज़िशन के लोगों के हाथ में क्या है जो वे एक्शन ले सकें ? अगर वे मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी शिकायत सुन कर उस पर कार्यवाही कर सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी अजीब बात कही गई है । इसका मतलब यह है कि मेरे तो उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं बुला सकता हूँ, मेरी तरफ इशारा न करके उन्होंने विरोधी दल की ओर किया है । विरोधी दल के पास में जाते हैं तो उसके रास्ते में कांटे पैदा हो जायेंगे और उनके पास जायेंगे तो फूल बिछेंगे । मैं मानता हूं कि वाकई ऐसी ही स्थिति है और टीचर्स मारे जाते हैं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं । अगर आपकी जगह मैं होता तो पहले मैं यह पूछता कि अच्छा, तुमने सरकार के पास शिकायत की या नहीं और अगर नहीं की तो पहले वहां जाकर शिकायत करो । क्या आप ऐसा करते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : यह तो पोलिटीकल स्टंट बनाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्रीजी यह जानकारी दें कि कितनी शिकायतें मंत्री महोदय को लिख कर दी गईं और उन्होंने कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास किसी अध्यापक की कोई शिकायत नहीं आई ।

श्री भैरोंसिंह : क्योंकि वे समझते हैं कि आपको शिकायत करना निरर्थक है, आपको शिकायत करने में कोई सेंस नहीं है । आपके पास शिकायत करने से जो आपके असिस्टेंट सेक्रेट्री, श्री कोठारी, हैं उनसे कहना ज्यादा ठीक हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : Where there is direct approach !

श्री भैरोंसिंह : तो उस स्थिति के अन्दर मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि इस प्रकार की जो माननीय मंत्रीजी ने अपनी भावना व्यक्त की है उस भावना से संतोष हुआ है । यह रोग वहां की पंचायत समिति के प्रधानों में है । यह रोग तो प्रधानों में ही नहीं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके अन्दर भी यह रोग है । यह सदन इस रोग का निदान कर सकता है । सरकार को भी इसका निदान करना चाहिए । इस प्रकार के जो केसेज़ हैं और उनमें किस तरह के ऑर्डर्स हुए हैं उसके उदाहरण तो माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रीजी चाहें तो एक नहीं हजारों दे सकता हूं। आपको भी मालूम है कि उनके खिलाफ कितनी रिटें हो रही हैं और कितने मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं। मैं यहां पर नई बात नहीं कहना चाहता कि क्यों उनको वापिस जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए मैं नई बातों को यहां नहीं कहना चाहता और अपनी पुरानी बात को ही दोहराता हूँ कि आप जिन अध्यापकों के बारे में कहते हैं कि उनको मेरे पास नहीं आना चाहिए था लेकिन आप क्या गारंटी देते हैं कि किसी भी प्रधान के खिलाफ शिकायत की तो उस पंचायत समिति से उस अध्यापक को बचा लेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप क्या गारन्टी देंगे ? मैं तो दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जगह होता तो शायद इस बात की गारन्टी दे सकता था, और इस कानून में अमेंडमेंट करता और अमेंडमेंट करके इस प्रकार की व्यवस्था करता कि इन अध्यापकों का किसी प्रकार से विक्टिमाइज़ेशन नहीं हो।

(श्री राजस्व मंत्री के कुछ कहने पर)

यहां अध्यापक और चेलों का काम नहीं है। माननीय राजस्व मंत्रीजी उनको पढ़ा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति के अन्दर केवल इतना सा निवेदन करना चाहता था कि मेरे पास आ जायेंगे तो विक्टिमाइज़ेशन नहीं होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं कहता हूं कि वह सही तरीका है। आपको सही तरीके पर जोर देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : मंत्रीजी कह रहे हैं कि केवल यही तरीका है तो यह इस प्रकार का एप्रोच आज तक सर्विस रूल्स के अन्दर एलाउड नहीं है। कोई अध्यापक मिनिस्टर से मिलता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। उसकी शायद आपको जानकारी नहीं है और इसीलिए आप कह रहे हैं कि मेरे पास डाइरेक्ट एप्रोच करें। मैं मंत्रीजी की अनभिज्ञता का कायल हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : What he means to say is that he should approach the machinery of the Government and not 'Da Sahib' himself.

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्रीजी मंत्री से मशीनरी हो गये। लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्री हो चाहे मशीनरी हो....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मंत्री जो है वह मशीनरी का हैड है।

श्री उपाध्यक्ष : Part and parcel of the machinery.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आखिर यदि नीचे की मशीनरी में सुनवाई नहीं हो तो मंत्री तक आ सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप हैड विदाउट विज़डम हैं।

Page No.122

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : ऑपोज़िशन के पास पहुँचते हैं तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कितना ही मक्खन लगावें आपको डिप्टी मिनिस्टरी का चान्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी सारी स्थिति में यह निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी का केवल इतना-सा कथन कि इतने से समय के अनुभव के आधार पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, आज की परिस्थितियों में उचित नहीं है। हमने एक साल का अनुभव किया है। उस अनुभव के आधार पर कई कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिस चीज के बारे में जल्दी से निर्णय ले सकें कि राजस्थान के समस्त बच्चों को आज किस तरह से राजनीति से बचाकर अध्यापकों में जो विषैला राजनैतिक वातावरण पैदा करने वाले हैं उससे अध्यापकों को दूर कर सकें, अध्यापकों के दिमाग शिक्षा देने के सम्बन्ध में इन्डिपेन्डेन्ट हों; इन बातों की मंशा हमारी सरकार की हो और हम लोगों को शिक्षित करना चाहते हों, जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हों उसको पूरा कर सकें। यदि नहीं करते हैं तो आज की स्थिति में एक साल के बाद सारे अध्यापक तो नहीं लेकिन अधिकांश अध्यापकों को आप देखेंगे कि पोलिटिकल पार्टीज़ के एजेन्ट हैं, पोलिंग एजेन्ट्स हैं, कन्वेसर्स हैं, कहीं पर "कांग्रेस की जय हो," कहीं पर 'जनसंघ की जय हो' बोलते हुए जायेंगे। इस प्रकार का अध्यापकों का स्टेन्डर्ड हो जायगा। उस प्रकार का डिसीप्लिनरी केऑस शिक्षा के अन्दर क्रियेट होगा। उस समय सरकार की आंखें खुलेगीं, उस वक्त निर्णय करेगी कि हमने कुछ गलती की है। उस गलती पर पश्चाताप करते हुए फिर कहेंगे कि वह गलती आइन्दा नहीं होगी. उसमें संशोधन करना चाहिए।

इस सम्बन्ध में सातवें कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से उनको पता लगेगा कि जिन चीजों की हमने तारीफ की थी उन चीजों को उस रिपोर्ट में किस प्रकार प्रोत्साहन दिया गया है।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

ऐसी स्थिति में सदन से निवेदन करूंगा कि परिस्थितियों से हमें अनुभव हो गया है कि सरकार इस मसले पर विचार करे और आवश्यक संशोधन लाये इसके अन्दर। इसलिए मैं अपना प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करते हुए मांग करता हूं कि उसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है : "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों के जो अधिकार पंचायत समितियों को दिये गये हैं वे फिलहाल वापिस ले लिये जावें," इसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : As to the point of order that has been raised by various members, my observations are as follows :—

Page No.123

(श्री उपाध्यक्ष)

So far as the form of the Resolution is concerned, it comes under Rule 107 and Hon'ble the Speaker has accepted the form in which the Resolution has been circulated.

The first point is that such a Resolution cannot be moved as it proposes to make an amendment in the Act. In support of this point, Rules 109 and 110 have been quoted. There are precedents when Resolutions have been moved to bring a new legislation or to propose an amendment in the Act. The Resolution recommends to the Government that amendments be made in the Panchayat Samiti Act and it is the Government to implement the Resolution and bring an amending Bill in the House if it so desires.

Hon'ble the Speaker while admitting the resolution has taken into consideration all these points now raised in the House and the Resolution was admitted only when these rules were complied with, and therefore when points of this nature have been decided, it is out of question unless some cogent reasons appear before me to open it, once again at this stage.

Hence the points of order is not well taken.

We now adjourn to meet tomorrow at 11.00 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४. ५५ बजे दिनांक १६ सितम्बर, १९६० को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १५ सितम्बर, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	४२७०	ग्राम गुडाएन्दला के तालाब का निर्माण ।	
भाखरा परियोजना क्षेत्रान्तर्गत घोषित असिंचित भूमि ।		सी. आई. डी. विभाग के सर्कल इन्सपेक्टर श्री कंवरसेन द्वारा धन का दुरूपयोग ।	
माइनिंग स्केन्डल केस ।		सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का साक्षात् सत्यापन ।	
संचालक, आयुर्वेद विभाग द्वारा राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड की बैठक से बहिर्गमन ।		सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में श्री रामकिशन, थर्ड डिविजन का एम. बी. बी. एस.. कक्षा में प्रवेश ।	
हसनपुरा में हरिजनों और सवर्णों की मिली-जुली बस्ती बनाने सम्बन्धी योजना।		खांडी बांध का निर्माण कार्य ।	
चुरू जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को टी. ए. व डी.-ए. की अनुपलब्धि ।		एस. आई. व सी. आईज. के किये गये प्रोमोशन्स ।	
वाणियावास बंधे का निर्माण ।		बीकानेर जिले में Bone holes करवाना ।	
जयपुर में आयोजित राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९ में स्वीकृत धनराशि से अतिरिक्त खर्चा ।		श्री सवाईसिंह कॉन्सटेबल के विरुद्ध उदय मन्दिर थाना, जोधपुर में हुई गिरफ्तारी के बाद ज्यादतियां ।	
जयपुर नगर में घटित आत्महत्या की घटनायें ।		जयपुर शहर के ठेला हॉकर्स की समस्या का समाधान	
गीजगढ़ हाउस (जयपुर) के पीछे की बस्ती को बसाने सम्बन्धी योजना ।			

स्कम्भ

सब-इन्सपेक्टर्स की सीनियोरिटी लिस्ट।

पंचायत समिति नादोती को जीप के मद में स्वीकृत धन-राशि

पुलिस थाना बांसवाड़ा में लड़की के अपहरण की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही।

इब्राहिम के केस में अनियमितता बरतने के कारण लालसोट के थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही।

मानसिंह मुलजिम की गिरफ्तारी के मामले में भगवानसिंह सिपाही का नौकरी से पृथक्करण।

पीपाड़ शहर की नगरपालिका का पंचायत में परिवर्तन।

रेल्वे कॉलोनी, फुलेरा में चोरियें इत्यादि।

जवासिया एवं सामोलिया बंधों का निर्माण।

ग्राम अचनारा (चित्तौड़गढ़) के आदिवासियों से पुलिस द्वारा बल प्रयोग से बन्दूकों की लाइसेन्स फीस की वसूली।

ढाणी गुमानसिंह (सीकर) में पड़े

स्कम्भ

डाके के डकैतों से हुई पुलिस की भिडन्त का परिणाम

दिनांक ६. ६. ६० का स्थगित प्रश्न

सरपंच, ग्राम पंचायत अलीगढ़, तहसील उनियारा द्वारा अलीगढ़ मिडल स्कूल के निर्माण हेतु पंचायत कोष से प्रदत्त धन-राशि।

दिनांक ८-६-६० का स्थगित प्रश्न

पंचायत करेड़ा में धर्मार्थ रकम की वसूली।

वित्तीय समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

१. श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जनलेखा समिति, १९६०-६१ ने समिति के आठवें प्रतिवेदन का, जो गबन के मामलों से संबंधित है, उपस्थापन किया।

२. श्री भोलानाथ, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ ने समिति के सोलहवें प्रतिवेदन का, जो समाज कल्याण विभाग से संबंधित है, उपस्थापन किया।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया अशासकीय विधेयक

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८ ४३५०

श्री जनार्दनराय नागर, प्रभारी सदस्य, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री पी. के. चौधरी ने यह संशोधन रखा कि विधेयक पुनः उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अंत में प्रस्तुत करे।

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. डॉ० बहादुरसिंह
२. श्री दयाकृष्ण विजय
३. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
४. डॉ० चन्द्रकला
५. श्री मोतीलाल चौधरी
६. श्री मुरलीधर व्यास
७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
८. रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

श्री जनार्दनराय नागर, प्रभारी सदस्य, ने बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् श्री पी. के. चौधरी ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अशासकीय संकल्प ४४५२

श्री भैरोंसिंह (१४) ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

'सदन की यह सम्मति है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १६५६ के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों के जो अधिकार पंचायत समितियों को दिये गये हैं वे फिलहाल वापिस ले लिये जावें।'

मंत्री, पंचायत विभाग, के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

सदन की बैठक ४ बज कर ५५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक १६ सितम्बर, १६६० को प्रातः ११

Page No.127

बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार, १६ सितम्बर, १६६० की कार्य–सूची

१. राजस्थान बिक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६६० (विचारार्थ एवं पारित)

२. राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १६६० (विचारार्थ एवं पारित)

३. जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थाई प्रावधान) विधेयक, १६६० (विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८८ का उत्तर देखिये)

The following candidates were admitted under this clause.
Backward and Scheduled Castes.

S. No.	Name of the candidate.	Residence	Original Marks.	Marks after adding 5%
1.	Shri Iftekhar Ul-May S/o. Mohd. Abdulla Sahib (Black-Smith).	Jaipur.	61.55	64.62
2.	Shri Moti Lal S/o. Mohan Lal (Khatik)	Jodhpur.	49.33	51.79
3.	Shri Narendra Singh S/o Ram Pratap Singh (Raona Rajput)	Jodhpur.	48.22	50.63
4.	Shri Shankar Lal Gehlot S/o. Gopal Prasad (Nai)	Jodhpur.	48.00	50.40
5.	Shri Dinesh Chandra S/o Bhikam Das (Sad)	Nagaur.	47.77	50.15
6.	Shri Banshi Lal Chorasia S/o. Janki Lal Chorasia (Chorasia)	Baran.	47.46	49.83
7.	Shri Govind Singh Gehlot S/o. Sardar Singh Gehlot (Chorasia)	Alwar.	46.88	49.22
8.	Shri Ganesh Ram Parmar S/o. Chimna Ram Parmar (Ganchi)	Pali.	45.11	47.36
9.	Shri Ram Krishna Sharma S/o. Hari Das Sharma (Sad)	Jaipur.	44.44	46.66
10.	Shri Uttam Singh Badgujar S/o. Chaturbhuj (Raona Rajput)	Ajmer.	44.44	46.66
11.	Miss Uma Kumari D/o. Balwant Singh (Bagri)	Bikaner.	43.11	45.26

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४२७७	१६	व थाना वाइज़	थाना वाइज़ व
४२७८	२	कब तक	तो कब तक
४२७६	११	अशोक नगर, अनुसंधान	अशोक नगर; अनुसंधान
,,	१४	मा० द० सं०	मा. दं. सं.
४२८५	१२	सवणों की	सवर्णों की
४२६२	अन्तिम से ७	अकउन्ट	अकाउन्ट
४२६४	६	It is not	Is it not
,,	२२	account as	accounts
४३०३	अन्तिम से ३	S. P. D. to C. I. Kota	S. P., Kota to C. I. D.
४३०४	शीर्षक	४५०४	४३०४
,,	२	dairies of	diaries of
४३१३	१५	गास्ट्स और	कास्ट्स और
,,	२०	से क्युलर	से सक्युलर
४३१४	१६	ऑटमेटिकली	ऑटोमेटिकली
४३१५	१	पया ले	रुपया ले
४३१८	८-६	५८६. डॉ० बहादुरसिंह [धौलपुर-श्री मूलचन्द डागा-(प ली)	श्री मूलचंद डागा [पाली-डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर)
४३२७	अन्तिम से६	श्री एन० पी० सीनी	श्री एन० पी० सोनी
४३३०	१	पचायत मन्त्री	पंचायत मन्त्री
४३३३	अन्तिम से ३	प्रश्न संख्या ५६४	प्रश्न संख्या ५६७
४३३५	,, ,,	श्री रामनारायण वमा	श्री रामनारायण वर्मा
४३३७	,, ११	the Comnanded	the Commanded
४३४२-४५	शीर्षक	स्थगन प्रश्न	तारांकित प्रश्नोत्तर
४३४३	८	सेन्कडरी खोली	सेकन्डरी खोली
४३४८	२	reaise the	realise the
४३५३	६	नौजवाकों की	नौजवानों की
४३५८	११	Lducation a	education a
४३५६	२३	समिति को	समिति द्वारा

१	२	३	४
४३६०	१७	शॉर्ट ऑफ	सोर्ट ऑफ
,,	अन्तिम से ४	रिसोर्से को	रिसोर्सेज को
४३६४	२८	मिसन चलता	मिशन चलता
४३६५	१७	कम्पोज़ीसन वगैरह	कम्पोजीशन वगैरह
४३६७	११	वलिक................इ० सी०	कार्निक....ई० सी० एम०
४३८६	३	में इतना	मैं इतना
४४०४	शीर्षक	(श्री मोत लाल)	(श्री मोतीलाल)
४४२४	,,	चतुर्वेदी)	चतुर्वेदी)
४४२६	,,	जतुर्वेदी)	,,
४४२७	१६	अंग सम्बन्ध	अंग के सम्बन्ध
,,	२५	सयोजन और	संयोजन और
४४३०	२२	चरेत्र शिद्येरन पृथिव्या सर्व मान:वा	चरित्रम् शिद्येरन् पृथिव्या सर्व मानवा:
४४३५	१६	इन्सटीट्यूट	इन्स्टीस्यूट
४४४३	११	कॉलेजेल हैं,	कॉलेजेज हैं,
,,	अन्तिम से ४	प्राप्त हौं	प्राप्त हों
४४४७	२२	62 lacs	68 lacs
४४४८	१८	के सिलेब्स	के सिलेबस
४४६४	२	माननीय ने सदस्य	माननीय सदस्य
४४३६	६	Canbe	Can be
,,	८	यह अमेंडमेंट	या अमेंडमेंट
४४६८	१४	एडमिसिबिल	एडमिसिबिलिटी
४४७०	१८	Con read	Can read
,,	२३	प्रसीडिंग्ज़ देख	प्रोसीडिंग्ज देख
४४७५	१४	में वे सरकार	में सरकार
,,	अन्तिम से २	उपाध्य ाननीय	उपाध्यक्ष महोदय, मैंने
४४८०	अन्तिम	उसका अमला	उसको अमली
४४८२	अन्तिम से २	उसकी साटफाइड	उसकी सर्टिफाइड
४४८४	२४	सल्कंस	सर्कल्स
,,	शीर्षक	सरकारी संकल्प	सरकारी संकल्प
४४८५	२३	वर्क्स के	वर्कर्स के
४४८६	१	इन्डिपेन्डेटली	इन्डिपेन्डेन्टली

१	२	३	४
४४८६	१७	एक्सटेशन ऑफिसर	एक्सटेन्शन ऑफिसर
४४८७	अन्तिम से ३	माल लें	मोल लें
,,	अन्तिम	करना ड़ता	करना पड़ता
४४६७	३	Is not	Let not
४५०७	४	या कभी	यह कभी
४५१०	५	कि क्यों	क्योंकि
,,	अन्तिम	नहीं होगा ।	नहीं होगा............
४५१५	१२	order is	order are
४५१६	११	रूचु जिले	चुरू जिले
४५१८	१६	पृथकीकरण	पृथक्करण

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
मुख पृष्ठ के पीछे	३	प्रश्न सन्बन्धी	प्रश्न सम्बन्धी
४२७०	अन्तिम से ४	५४७	५७४
४३००	१६	बहादुरसिंह धौलपुर)	बहादुरसिंह (धौलपुर)
४३१३	१२ वीं पंक्ति के नीचे	—	(कृपया परिशिष्ट देखिये)
४३८२	शीर्षक	समाज शिक्षध	समाज शिक्षण